# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

**Third Series**

खंड 39, 1965/1886 (शक)

**Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)**

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886–87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]

[Vol. XXXIX contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**

**NEW DELHI**

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

# विषय-सूची

**अंक 20, मंगलवार, 16 मार्च, 1965/25 फाल्गुन, 1886 (शक)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| *तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 453 | भूमिहीन श्रमिक | 1811—13 |
| 454 | ट्रैक्टरों के पुर्जे . | 1814—16 |
| 455 | चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध | 1816—18 |
| 456 | अनाज उतारने वाली मशीनें | 1819—20 |
| 457 | उद्घाटन उड़ान . . . | 1820—23 |
| 458 | स्कूटर रिक्शाओं द्वारा अधिक किराया लिया जाना | 1823—25 |
| 459 | ताज क्षेत्र को सुन्दर बनाने की योजना | 1825—28 |
| 460 | दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों की कमी | 1828—30 |
| 462 | डेबर आयोग . . | 1831—33 |
| 463 | कृषि पंडित पुरस्कार . | 1833—34 |
| **अल्प सूचना प्रश्न संख्या** | | |
| 3. | . . . . . | 1834—36 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर—


| | | |
|---|---|---|
| 461 | माल ढोने वाले ट्रकों का अन्तर्राज्यीय पंजीयन प्राधिकार | 1836 |
| 464 | होटल वर्गीकरण समिति . . . | 1836—37 |
| 465 | चलते हुए विमानों में अपराध | 1837 |
| 466 | भारत-सोवियत व्यापार | 1837—38 |
| 467 | वनरोपण . | 1838 |
| 468 | मध्य प्रदेश में बस परिवहन | 1838—39 |
| 469 | "एम० वी० सागर दीप" | 1839 |
| 470 | शहरों में राशन . . . | 1840 |
| 471 | कीट नाशक पदार्थ . . . . . | 1840 |
| 472 | टैक्सियों के किराये . | 1841 |
| 473 | कलकत्ता पत्तन . . | 1841—42 |
| 474 | इन्दौर तथा जबलपुर के हवाई अड्डे . . . | 1842 |
| 475 | कोचीन में जहाजों की मरम्मत करने वाला कारखाना | 1843 |
| 476 | एयर कारपोरेशनों द्वारा अर्जित लाभ . . . | 1843—44 |


---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

## CONTENTS

*No. 20—Tuesday, March 16, 1965/Phalguna 25, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Question Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 453 | Landless Labourers | 1811—13 |
| 454 | Spare Parts of Tractors | 1814—16 |
| 455 | Ban on Sugar Export | 1816—18 |
| 456 | Grain unloading Machinery | 1819-20 |
| 457 | Inaugural Flights | 1120—23 |
| 458 | Overcharging by Scooter Rickshaws | 1823—25 |
| 459 | Scheme to beautify Taj Areas | 1825—28 |
| 460 | Shortage of Products of D.M.S. | 1828—30 |
| 462 | Dhebar Commission | 1831—33 |
| 463 | 'Krishi Pandit' Awards | 1833-34 |
| | Short Notice Question | 1834—36 |


WRITTEN ANSWERS TO QUESTION


| *Starred Question Nos.* | | |
|---|---|---|
| 461 | Authority for Inter-State Registration of Goods Trasnport | 1836 |
| 464 | Hotel Classification Committee | 1836-37 |
| 465 | Crimes on board the Aeroplanes | 1837 |
| 466 | Indo-Soviet Trade | 1837-38 |
| 467 | Afforestation | 1838 |
| 468 | Bus Transport in M.P. | 1838-39 |
| 469 | M.V. "Sagar deep' | 1839 |
| 470 | Rationing in Cities | 1840 |
| 471 | Insecticides | 1840 |
| 472 | Taxi Fares | 1841 |
| 473 | Calcutta Port | 1841-42 |
| 474 | Indore and Jabalpur Airports | 1842 |
| 475 | Ship Repair Base at Cochin | 1843 |
| 476 | Profits earned by Air Corporations | 1843-44 |

| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1188 | मोटर गाड़ियों पर कर | 1844 |
| 1189 | बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन | 1844 |
| 1190 | मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां | 1844–45 |
| 1191 | केरल में पर्यटन केन्द्र | 1845 |
| 1192 | परिवहन प्राधिकार, कोजीकोड | 1845–46 |
| 1193 | केरल में सहकारी परिवहन समितियां | 1846 |
| 1194 | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन | 1846 |
| 1195 | अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 | 1847 |
| 1196 | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त | 1847 |
| 1197 | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन | 1847 |
| 1198 | खाद्यान्न का चोरी छिपे लाना ले जाना | 1847–48 |
| 1199 | पंजाब में जल का इकट्ठा हो जाना | 1848 |
| 1200 | दिल्ली दुग्ध योजना के दूध प्राप्ति केन्द्र | 1848–49 |
| 1201 | दूध का उत्पादन | 1849 |
| 1202 | फसल बीमा योजना | 1850 |
| 1203 | कृषि तथा खाद्य अनुसन्धान परिषद् | 1850 |
| 1204 | बहिरों और गूंगों के लिये होस्टल | 1850–51 |
| 1205 | बिकलांगों के लिये होस्टल | 1851 |
| 1206 | कृषि अनुसन्धान संस्थाओं का नियंत्रण | 1852 |
| 1207 | संविधान सभा में दस्तावेज | 1852–53 |
| 1208 | गन्ने की नई किस्म | 1853 |
| 1209 | सोवियत संघ से ट्रेक्टरों का आयात | 1854 |
| 1210 | चीनी का कोटा | 1854 |
| 1211 | गन्ने का भाव | 1855 |
| 1212 | केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अधिकारी की गिरफ्तारी | 1855 |
| 1213 | काई सम्बन्धी अनुसन्धान | 1855–56 |
| 1214 | इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये 'कारवेल' | 1856 |

| *Unstarred Questions No.* | *Subject* | *Pages* |
|---|---|---|
| 1188 | Taxation on Motor Vehicles . . . . . | 1844 |
| 1189 | Sugar Production in Bihar and U.P. . . | 1844 |
| 1190 | Scheduled Castes in Mysore State. . | 1844-45 |
| 1191 | Tourist Centres in Kerala . . . | 1845 |
| 1192 | Transport Authority Kozhikode . . | 1845-46 |
| 1193 | Transport Cooperative Societies Kerala. . . | 1846 |
| 1194 | Report of Commissioner of S.C. & S.T.. . | 1846 |
| 1195 | Untouchability (Offences) Act, 1955 . . | 1847 |
| 1196 | Assistant Commissioners for S.Cs. and S.Ts. . . | 1847 |
| 1197 | Report of Commissioner of S.C. & S.T. | 1847 |
| 1198 | Smuggling of Foodgrains . . . . . | 1847-48 |
| 1199 | Water Logging in Punjab . . . | 1848 |
| 1200 | Milk procurement Centres of D.M.S. . . | 1848-49 |
| 1201 | Milk production . | 1849 |
| 1202 | Crop Insurance Scheme . . | 1850 |
| 1203 | Council for Agricultural and Food Research . | 1850 |
| 1204 | Hostels for the Deaf and Dumb . | 1850-51 |
| 1205 | Hostels for the Crippled . . . . | 1851 |
| 1206 | Control of Agricultural Research Institutes . | 1852 |
| 1207 | Constituent Assembly Documents . . | 1852-53 |
| 1208 | New Variety of Sugarcane . . . | 1853 |
| 1209 | Import of Tractors from U.S.S.R. . | 1854 |
| 1210 | Quota of Sugar . | 1854 |
| 1211 | Prices of Sugarcane . . . . | 1855 |
| 1212 | Arrest of Central Warehousing Corporation's Officer | 1855 |
| 1213 | Research on Algae | 1855-56 |
| 1214 | Caravelle for I.A.C. . . . | 1856 |

| अतराकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1215 | भाखड़ा बांध पर पर्यटकों के लिये सुविधायें | 1856 |
| 1216 | सिंचाई प्रयोजनों के लिये वर्षा के पानी का उपयोग | 1856–57 |
| 1217 | कृषि का विकास | 1857 |
| 1218 | परिवहन समस्याएं | 1857 |
| 1219 | उर्वरक का सम्भरण | 1858 |
| 1220 | ऊन तथा अनुसन्धान केन्द्र | 1858–59 |
| 1221 | बड़ौदा में दुग्ध संयंत्र | 1859 |
| 1222 | कपास का उत्पादन | 1859-60 |
| 1223 | ट्रैक्टरों का प्रयोग | 1860 |
| 1224 | निर्जलित खाद्य कारखाना | 1860–61 |
| 1225 | उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति | 1861 |
| 1226 | मखनिया दूध के पाउडर का आयात | 1862 |
| 1227 | सोलमन मछली का पालना | 1862 |
| 1228 | कृषि-औद्योगिक श्रम सेवा सहकारी समितियां | 1863 |
| 1229 | असैनिक हवाई अड्डे | 1863 |
| 1230 | विमान सेवाओं में श्रेणियां बनाना | 1863 |
| 1231 | राजस्थान नहर | 1863–64 |
| 1232 | भूमि में फसल परिवर्तन | 1864 |
| 1233 | राज्यों में पृथक पर्यटन विभाग | 1864–65 |
| 1234 | अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां | 1865–66 |
| 1235 | बागानी का विकास | 1866–67 |
| 1236 | उड़ीसा में उर्वरकों का सम्भरण | 1867–68 |
| 1237 | उड़ीसा में चीनी की कमी | 1868–69 |
| 1238 | नलकूप | 1869 |
| 1239 | बिहार में चीनी का कारखाना | 1869–70 |
| 1240 | कोचीन-कालिकट सड़क | 1870 |
| 1241 | पोरक्काट्टेरी (केरल) में पुल | 1870 |
| 1242 | अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन | 1870–71 |
| 1243 | भूमि परिरक्षण | 1871 |
| 1244 | उत्तर प्रदेश में खाद्य उत्पादन | 1871–72 |
| 1245 | उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास | 1872 |
| 1246 | उत्तर प्रदेश में सघन कृषि कार्यक्रम | 1872–73 |

| *Unstarred Question Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1215 | Amenities for Tourists at Bhakra Dam | 1856 |
| 1216 | Rain Water for Irrigation Purposes | 1856-57 |
| 1217 | Development of Agriculture | 1857 |
| 1218 | Shipping Problems | 1857 |
| 1919 | Supply of Fertilizer | 1858 |
| 1220 | Wool and Research Centre | 1858-59 |
| 1221 | Milk Plant in Baroda | 1859 |
| 1222 | Cotton Production | 1859-60 |
| 1223 | Use of Tractors | 1860 |
| 1224 | Dehydrated food Plant | 1860-61 |
| 1225 | Food situation in U.P. | 1861 |
| 1226 | Import of Skimmed Milk Powder | 1862 |
| 1227 | Rearing of s lolomon fish | 1862 |
| 1228 | Agro-Industrial Labour Services Co-peratives | 1863 |
| 1229 | Civil Arodromes | 1863 |
| 1230 | Creation of Classes in Air Services | 1863 |
| 1231 | Rajasthan Canal | 18663-64 |
| 1232 | Diversion of Land | 1864 |
| 1233 | Separate Tourist Departments in States | 1864-65 |
| 1234 | International Exhibitions | 1865-66 |
| 1235 | Development of Horticulture | 1866-67 |
| 1236 | Supply of Fertilizer to Orissa | 1867-68 |
| 1237 | Sugar Scarcity in Orissa | 1868-69 |
| 1238 | Tube Wells | 1869 |
| 1239 | Sugar Factory in Bihar | 1869-70 |
| 1240 | Cochin-Calicut Road | 1870 |
| 1241 | Bridge at Porakkatteri (Kerala) | 1870 |
| 1242 | Grow More Food Drive | 1870-71 |
| 1243 | Soil Conservation | 1871 |
| 1244 | Food Production in U. P. | 1871-72 |
| 1245 | Development of Khadi and Village Industries in U. P. | 1872 |
| 1246 | Intensive Agriculture Programme in U.P. | 1872-73 |

| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1247 | उत्तर प्रदेश को कृषि सम्बन्धी सहायता | 1873 |
| 1248 | अमरीका से सहायता | 1873–74 |
| 1249 | आगरा-बम्बई सड़क | 1574 |
| 1250 | दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 1874 |
| 1251 | उर्वरकों का वितरण | 1875 |
| 1252 | पूसा इंस्टिट्यूट, दिल्ली | 1575 |
| 1253 | पालम हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग | 1875–76 |
| 1254 | भूमि संरक्षण | 1876–77 |
| 1255 | मीन-क्षेत्रों का विकास | 1877 |
| 1256 | तम्बाकू की खेती | 1877–78 |
| 1257 | सिलचर-शिलांग सड़क पर पुल | 1878 |
| 1258 | कृषि अनुसन्धान | 1878 |
| 1259 | कृषि पत्रिकायें | 1879 |
| 1260 | खाद का वितरण | 1979–80 |
| 1261 | प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र | 1880 |
| 1262 | ऋण पर ब्याज की दर | 1881 |
| 1263 | राजस्थान में भू-सर्वेक्षण | 1882 |
| 1264 | दिल्ली-बम्बई उड़ान | 1882 |
| 1265 | मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में पानी की व्यवस्था | 1883 |
| 1266 | चीनी | 1883 |
| 1267 | कृषि वस्तुओं के मूल्य | 1884 |
| 1268 | कीटनाशक पदार्थों का आयात | 1884 |

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** 1884

पश्चिम बंगाल सीमा पर पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के जमाव के समाचार--

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 1884

श्री स्वर्ण सिंह 1885

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** 1801

**कार्य मंत्रणा समिति** 1891

पैंतीसवां प्रतिवेदन 1889

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1247 | Agricultural Assistance to U.P. | 1873 |
| 1248 | Assistance from U.S.A. | 1873-74 |
| 1249 | Agra-Bombay Road | 1874 |
| 1250 | E.S.I. Scheme in Delhi | 1874 |
| 1251 | Distribution of Fertilizers | 1875 |
| 1252 | Pusa Institute, Delhi | 1875 |
| 1253 | Palam Airport Terminal Building | 1875-76 |
| 1254 | Soil Conservation | 1876-77 |
| 1255 | Development of Fisheries | 1877 |
| 1256 | Cultivation of Tobacco | 1877-78 |
| 1257 | Bridge on Silchar Shillong Road | 1878 |
| 1258 | Agricultural Research | 1878 |
| 1259 | Agricultural Magazines | 1879 |
| 1260 | Distribution of Manure | 1879-80 |
| 1261 | Regional Research Centres | 1880 |
| 1262 | Rate of Interest of loan | 1881 |
| 1263 | Soil Survey in Rajasthan | 1882 |
| 1264 | Delhi Bombay Flights | 1882 |
| 1265 | Water Supply in Adivasi Villages of M.P. | 1883 |
| 1266 | Sugar | 1883 |
| 1267 | Prices of Agricultural Commodities | 1884 |
| 1268 | Import of Insecticides. | 1884 |
| Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | | 1884 |
| Reported concentration of East Pakistan Rifles on West Bengal border | | |
| | Shrimati Renu Chakravartty | 1884 |
| | Shri Swaran Singh | 1885 |
| Papers laid on the Table | | 1889 |
| Business Advisory Committee | | 1891 |
| | Thirty-fifth Report | 1891 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **समिति के लिये निर्वाचन** . . . . . | 1892 |
| राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति . | 1892 |
| **नियम 377 के अन्तर्गत प्रश्न** . . . . | 1893 |
| **मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—** | |
| श्री अ० कु० सेन . . . . | 1897 |
| श्री जी० भ० कृपलानी . . | 1903 |
| डा० राम मनोहर लोहिया . . . . | 1905 |
| श्री खाडिलकर . . . . | 1909 |
| श्री नारायण दांडेकर . . . . | 1911 |
| श्री हनुमन्तैया . . | 1914 |
| श्री मौर्य . . . | 1915 |
| श्री रवीन्द्र वर्मा . . | 1916–17 |
| श्री सेझियान . . | 1917—19 |
| श्री लाल बहादुर शास्त्री . | 1919—22 |
| श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . | 1922—27 |

| *Subject* | PAGES |
|---|---|
| Election to Committee . . . . . | 1892 |
| National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee | 1892 |
| Point under Rule 377 . . . . . | 1893 |
| Motion of no-Confidence in the Council of Ministers— | |
| Shri A. K. Sen . | 1897 |
| Shri J. B. Kripalani . . | 1903 |
| Dr. Ram Manohar Lohia . . . | 1905 |
| Shri Khadilkar . . . | 1909 |
| Shri N. Dandeker . | 1911 |
| Shri Hanumanthaiya . | 1914 |
| Shri Maurya . . | 1915 |
| Shri Ravindra Varma | 1916–17 |
| Shri Sezhiyan . . | 1917—19 |
| Shri Lal Bahadur Shastri | 1919—22 |
| Shri Surendranath Dwivedi | 1922—27 |

# लोक सभा
# LOK SABHA

**मंगलवार, 16 मार्च, 1965/25 फाल्गुन, 1886 (शक)**
*Tuesday, March 16, 1965/Phalguna 25, 1886 (Saka)*

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### भूमिहीन श्रमिक

+

*453. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री प्रभात कार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिहीन श्रमिकों को बेकार पड़ी सरकारी जमीन देने की योजना में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) योजना की कार्यान्विति का काम तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भूमिहीन श्रमिकों को बेकार पड़ी सरकारी जमीन देने की योजना की गति 1963-64 तक धीमी थी। 1964-65 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ और आशा है कि आगामी वर्ष के दौरान में स्थिति में और सुधार हो जायेगा।

(ख) धीमी गति के कारण निम्न प्रकार थे :—

(1) राज्य सरकारों के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देना संभव न था।

(2) भूमिहीन श्रमिकों को जो बेकार ज़मीन दी जानी थी, उसका सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था ।

(3) राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रतिमान अपर्याप्त था ।

(ग) 1 अप्रैल, 1964 से केन्द्रीय सहायता का प्रतिमान बढ़ा दिया गया है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितनी बेकार पड़ी भूमि भूमिहीन श्रमिकों को अब तक दे दी है और वहां पर कितने भूमिहीन श्रमिक बसा दिये गये हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : अब तक जो कुल बेकार पड़ी भूमि मिली है वह 85 लाख एकड़ है । पहली दो योजनाओं में जो भूमि बांटी गई वह 70.86 लाख एकड़ थी और तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में बांटी गई वह 13 लाख एकड़ थी । केन्द्रीय चालित योजना के अन्तर्गत 1963–64 तक जो परिवार वहां बसाये गये उनकी संख्या 43,878 है । तीसरी योजना के अन्त तक हमें आशा है कि 85,000 परिवार वहां बसा दिये जायेंगे ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस ओर प्रगति सामान्यतया कम हुई है और सरकार के पास बेकार तथा बंजर भूमि आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में काफी मात्रा में है तो क्या कारण है कि सरकार उन व्यक्तियों को दबा देती है जो भूमिहीन श्रमिक वहां बसना चाहते हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : सरकार भूमिहीन श्रमिकों को एक तरीके से बसाना चाहती है । इसलिये जब कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले और जबरदस्ती से भूमि पर काबू पाने का प्रयत्न करे तो सरकार को कार्यवाही करनी ही पड़ती है ।

**Shri Sidheshwar Prasad** : Has it come to the notice of the Government that some of the landless families who were allotted land have deserted their holdings and some have sold their lands and whether Government will see to it that the aim for which this scheme was launched, is fulfilled.

**Shri Shahnawaz Khan**: The aim of theGovernment was that the person to whom such land was allotted should take full advantage of it but when land is allotted in the beginning it is difficult to settle things as to who will make use of it and who will not do so.

**Shri Ram Sewak Yadav** : Whether such things have come to the notice of the Government that in Utter Pradesh the land management committees or village sabhas who control these things are not giving these lands to landless people especially Harijans. If so, what step is Government taking to eliminate such things.

**Shri Shahnawaz Khan** : Action is being taken according to the law in force in U.P.

**Shri Ram Sewak Yadav** : My question is whether complaints regarding non-allotment of land to landless people and Harijans have come to the notice of the Government and if so, what steps have been taken to remove them ?

**Shri Shahnawaz Khan** : I have not received any complaint. The work regarding allotment of such land is in the hand of Gram Sabhas and they allow it to the persons whom they consider deserving for it.

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या सरकार की ऐसी योजना है कि भूमिहीन श्रमिक अपने फालतू समय में कोई औद्योगिक कार्य करें ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरा प्रश्न है ।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या इस योजना का श्री विनोबा भावे की भूदान योजना से कोई समन्वय अथवा सहयोग है ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । हमारा उन से इस में सहयोग है ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि वह भूमि जो कृषि योग्य बनाई है वह भी इन आंकड़ों में शामिल है जो मंत्री महोदय ने दिये हैं और क्या राज्यवार भूमिहीन श्रमिकों को बसाने का कार्य करने की योजनायें बनाई गई हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : May I know how much land has been obtained by Vinobaji under "bhoodan" and out of that how much land has been distributed and how much remains to be distributed. Have State Governments warned the Central Government that proper use has not been made of the land by the Harijans etc. which was given to them. Have Government thought to impart training before allotting land ?

**Shri Shahnawaz Khan** : The area of land obtained under "bhoodan" is 41·85 lakh acres. Much land out of that has been distributed and some people have deserted their holdings. I do not have the figures relating to improper use of land.

**श्री म० प० स्वामी** : क्या भूमिहीन श्रमिकों की परिभाषा के बारे में सारी सरकारों का मत एक जैसा है ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । इस नीति के बारे में मुख्य उद्देश्य हम ने निर्धारित किये हैं और बाकी सारी राज्य सरकारें उस पर चल रही हैं ।

**श्री रंगा** : क्या चीन के आक्रमण के पश्चात् नीति में कुछ बदली हुई है कि जिन भूमिहीन श्रमिकों को कुछ सरकारी भूमि दी थी उन्हें पक्के पट्टे अथवा भूमि की मलकियत नहीं दी जानी चाहिये और बाकी सरकारी भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में नहीं बांटा जाना चाहिये ?

**श्री शाहनवाज खां** : चीन के आक्रमण से हमारी भूमिहीन श्रमिकों को बसाने की नीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : इस प्रश्न के आंकड़ों की मैं पहले पुष्टि करना चाहूंगा और उस के पश्चात् इस का उत्तर दूंगा ।

**श्री रंगा** : मंत्री महोदय और दूसरे आंकड़ों की भी पुष्टि कर लें तो अच्छा है । जो भूमि बची हुई है वह 85 लाख एकड़ नहीं है अपितु 4 करोड़ एकड़ से भी अधिक है ।

## Spare Parts Of Tractors

+

*454. { **Shri Yashpal Singh :**
**Shri M. L. Dwivedi :**
**Shri Bhagwat Jha Azad :**
**Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards the fact that considerable number of tractors are lying idle for want of spare parts, even though many of them were purchased against rupee payment; and

(b) if so, the measures being taken to expedite their import so that agricultural production is not hampered.

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan)** : (a) Government is aware that a number of tractors are lying idle for want of spare parts.

(b) The following steps have been taken :—

(i) The State Governments have been asked to undertake a quick survey of tractors requiring immediate repairs.

(ii) The State Governments have been advised to set up organisations within the Directorate of Agriculture to assist the tractor-owners to get the spare parts they need.

(iii) The system of grant of actual user's licence is being introduced from the beginning of the next licensing period from April, 1965.

**Shri Yashpal Singh** : Are Government in possession of facts and figures as to how many tractors are in working order and how many of them are lying idle due to non-availability of spare parts?

**Shri Shahnawaz Khan** : Yes Sir, according to our guess we have 40 thousand tractors and out of them half are lying idle due to non-availability of spare parts.

**Shri Yashpal Singh** : Have Government any intention to set up district-wise workshops which may solve the problems of agriculturists and where they can get thier tractors repaired ?

**Shri Shahnawaz Khan :** Yes Sir, we have given instructions to the State Governments to set up such workshops in districts to solve the difficulties of the farmers.

**Shri M. L. Dwivedi** : The Government had created an organisation called "after sales service" and a committee for that was also constituted by the Government. I want to know whether that committee has been closed and whether Government are taking measures to see to it that those who sell tractors and their spare parts may not be able to sell them in the blackmarket.

**Shri Shahnawaz Khan** : The companies which sell tractors are under a duty to provide free service for some period to those to whom they sell the tractors.

**Shri M. L. Dwivedi** : I wanted to know about availability of spare parts.

**Shri Shahnawaz Khan** : They provide free service as well as make available spare parts. But I confess the paucity of spare parts in the country at present but since their import in the country involves foreign exchange, we cannot give foreign exchange to that extent. The "after sales service committee" is functioning.

**श्री हिम्मतसिंहका** : क्या सरकार देश में ही फालतू पुर्जे बनाने की योजना कर रही है जिन के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां। सरकार देश में ही न केवल पुर्जे अपितु ट्रक्टर निर्माण करना चाहती है ।

**श्री कन्डप्पन** : क्या सरकार को यह पता है कि कृषकों को छोटे तथा बीच के दर्जे के ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। यदि हां, तो इस ओर विशेषकर तामिलनाद क्षेत्र की मांग पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां। हमें पता है छोटे तथा मध्यम दर्जे के ट्रैक्टरों की यहां उन की उपलब्धि से अधिक मांग है और हम उन्हें बनाने के कारखाने निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**Shri Yudhvir Singh** : Perhaps the Minister has not followed the question. The question is as to what is being done for procurement of spare parts from those countries from which tractors were received on rupee payment basis. The minister has only stated that they have issued instructions to the State Governments and some committees are being formed at the districts-level. My question is as to what concrete steps is government taking with regard to tractors which have been procured from foreign countries and 50 per cent of which are lying idle due to non-availability of spare parts ?

**Shri Shahnawaz Khan** : The Government sanctions foreign exchange for such things and grants licences to the established importers for procurement of spare parts. But foreign exchange to cover spare parts for all the tractors which require repair could not be managed.

**Shri Sheo Narain** : Are Government intending to auction the 20,000 tractors which are lying idle due to non-availability of spare sparts ?

**Shri Shahnawaz Khan** : The 20,000 tractors which are thus lying idle do not belong to the Government and some of them were brought long back.

**श्री अ० प्र० जैन** : क्या यह सच है कि जो ट्रैक्टर इस प्रकार बेकार पड़े हैं वह उन देशों से मंगाये गये हैं जिन से हमारा लेन देन रुपयों में होता है। फिर भी इन पुर्जों का आयात क्यों नहीं किया गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : उन देशों से मंगाना भी इसलिये कठिन हो गया है कि उन से हम ने पहले ही काफी सामान आयात कर लिया है। अत: यह सोचना गलत है कि रुपये में भगतान किये जाने वाले देशों से असीमित मात्रा में आयात किया जा सकता है।

**श्री अ० प्र० जैन :** आपने इस थोड़ी सी राशि के कारण 20,000 ट्रैक्टर बेकार किये हुए हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरे मित्र यदि इस दिशा में वित्त मंत्री पर प्रभाव डाल सकें तो अच्छा है ।

**श्री दाजी** : इस बात का ध्यान रखते हुए कि इन ट्रैक्टरों की बहुत अधिक आवश्यकता है तो क्या कारण है कि हम रूस के सहयोग से ट्रैक्टर तथा उन के पुर्जे अपने देश में बनाना आरम्भ कर जब कि इस बारे में पूरी रिपोर्ट 1 1/2 वर्ष से मंत्रालय के पास पड़ी है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय के लिये है ।

## चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

\+

*455. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री रामेश्वर टांटिया**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन में कमी होने के कारण चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या देश के अन्दर खपत को कम कर के निर्यात वायदों को पूरा किया जा रहा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) और (ख) जी, नहीं । निर्यात वायदे, जो देश के हित में हैं, पूरे किये जा रहे हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हम अपने पुराने वायदे पूरे कर रहे हैं जो हम ने 1961–62 और 1962–63 में किये थे और हम उन पर टिकेंगे अथवा 1964 या 965 के आरम्भ में हम ने नये वायदे किये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : हम ने कुछ नये वायदे भी किये हैं, परन्तु उतनी मात्रा के नहीं जितनी मात्रा कि हम पिछले कुछ वर्षों में निर्यात करते रहे हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : हमारे देश में चीनी की खपत लगभग 26 लाख मीट्रिक टन है । कुल उत्पादन लगभग 20 से 30 लाख मीट्रिक टन होगा । क्या सरकार देश के भीतर की चीनी को खपत के लिये कम चीनी दे कर इस को निर्यात नहीं करेगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हम भीतरी खपत का भी ध्यान रख रहे हैं । परन्तु देश की अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा का अर्जन भी महत्वपूर्ण है । इस लिये सरकार ने निर्णय किया है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये चीनी की कुछ मात्रा निर्यात भी की जानी चाहिये ।

**Shri Yashpal Singh** : Majority of people in the country comsume *Gur and Khandsari* and do not require sugar. Due to so much facilities provided by Government to the mills the Khandsari and Gur industry cannot stand competition. What steps are being taken by Government so as to increase the production of Khandsari and Gur and enable the Government to fulfil thier commitments with foreign countries.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम:** इस समय भी दो तिहाई उत्पादन गुड़ और खंडसारी के रूप में होता है और उन को प्रोत्साहन न दिये जाने की कोई बात नहीं है ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार को चीनी उद्योग से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे कि वे लक्षित मात्रा से अधिक उत्पादन करने के लिये तैयार थे और यदि हां, तो उन को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही इस सभा में दे चुका हूं कि यदि वे गत वर्ष के उत्पादन से अधिक चीनी पैदा करेंगे तो उन को उत्पादन शुल्क के रूप में रियायतें दी जायेंगी ।

**श्री हिम्मतसिंहका** : इस वर्ष के चीनी के उत्पादन को देखते हुए देश में विभिन्न राज्यों को चीनी के कोटे में वृद्धि करने के लिये क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां । कुछ राज्यों के कोटों में हम ने तदर्थ वृद्धियां की हैं । परन्तु यह देखते हुए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पादन के संबंध में कठिनाइयां थीं हम समूचे रूप से वृद्धि नहीं कर सके हैं । परन्तु मामले पर मई या जून में पुन: विचार किया जायेगा ।

**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस वर्ष कितने उत्पादन की आशा है और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सरकार सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ नयी चीनी मिलें स्थापित करने जा रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : आशा है कि इस वर्ष हम 30 लाख मीट्रिक टन चीनी पैदा कर लेंगे और हम सरकारी क्षेत्र में नहीं अपितु सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में हम अधिक जनता के लिये और नये कारखानों के लिये लाइसेंस दे रहे हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चीनी के निर्यात द्वारा सरकार के ने जो विदेशी मुद्रा अर्जित की है वह इन निर्यातों के लिये सरकार द्वारा भारतीय चीनी मिल संस्था को दी जा रही सहायता की राशि के मुकाबले में कितनी है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : विदेशों में उपलब्ध मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडी पर निर्भर करता है । इस में संदेह नहीं कि सहायता काफी भारी है परन्तु हमें यह सोच कर निर्णय करना है कि हमें कितनी विदेशी मुद्रा चाहिये, अर्थात ,क्या हम राज्य सहायता दें और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करें अथवा नहीं । सामान्यत: हमने यह निर्णय किया है कि इस विदेशी मुद्रा को अर्जित करना आवश्यक है । प्रति वर्ष हम विदेशी मुद्रा द्वारा लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया अर्जित करते हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कितनी राज्य सहायता दी गई है ?

**अध्यक्ष महोदय** : शायद मन्त्री महोदय इस समय आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं हैं।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : 1963 में 3.42 करोड़ रु० की राज्य सहायता दी गई जबकि 32 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी। 1964 में राज्य सहायता की अनुमानित राशि 2.1 करोड़ रु० है और 19 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। 1965 के लिए अनुमान है कि 10.5 करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा के अर्जन के मुकाबले हमें 11 करोड़ रु० की राज्य सहायता देनी होगी।

**श्री कपूर सिंह** : हमारे उत्पादन और हमारे उपभोग में क्या अन्तर है और इस अन्तर का हमारे निर्यात के वायदों से क्या सम्बन्ध है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : आशा है कि हमारी आवश्यकता लगभग 27 लाख मीट्रिक टन होगी, और हमारा उत्पादन इस वर्ष लगभग 30 लाख मीट्रिक टन होगा।

**Shri Rameshwaranand** : Is the hon. Member aware that the *per capita* distribution of sugar in cities is eight times as compared to that in villages. Why this discrimination ? Is it because they do not know how to speak or they do not wear coats and pataloons.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां गांवों की अपेक्षा शहरों में चीनी के वितरण का कोटा क्या है क्योंकि शहरों म खपत अधिक है।

**श्री बासप्पा** : क्या यह सच है कि किसानों ने विभिन्न राज्यों से सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने के लिये बड़ी बड़ी राशियां इकट्ठी की हैं ? यदि हां, तो क्या उन मामलों में लाइसेंस दे दिये गये हैं ? क्या मैसूर सरकार ने चीनी मिलों को लाइसेंस देने के लिये सरकार को लिखा है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मामला विचाराधीन है, और आशा है कि हम शीघ्र ही नये लाइसेंस जारी कर देंगे।

**श्री दे० द० पुरी** : क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डल चीनी करार के अन्तर्गत भारत को कोटा मिला है ? यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कितना अधिक मूल्य हम मिलने की सम्भावना है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां, हमें राष्ट्रमण्डल का कोटा मिला है। अभी मैं निश्चित संख्या नहीं दे सकूंगा, परन्तु इस राष्ट्रमण्डल के कोटे में हम थोड़ा सा अधिक मूल्य मिलता है।

**Shri Tulsidas Jadhav**: When there is shortage of sugar why none licences are not issued for starting cooperative sugar factories whose applications are pending for the last 2-3 years and money blocked for no interest etc.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि नये लाइसेंसों पर विचार किया जा रहा है, आशा है कि हम शीघ्र ही जारी कर देंगे।

## अनाज उतारने वाली मशीनें

\+

*456. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अनाज उतारने वाली मशीनें, जिनके लिये कुछ महीने पहले स्विटजरलैण्ड को क्रयादेश (आर्डर) दिया गया था, यहां पहुंच गयी हैं तथा लगा दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पत्तनों पर अनाज उतारने में इनके फलस्वरूप क्या सुधार हुआ है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) स्विटजरलैण्ड से मंगायी जाने वाली दस अनाज उतारने वाली मशीनों में से सात मशीनें पहले ही आ चुकी हैं और इनको लगाया जा रहा है। आशा की जाती है कि ये मशीनें अप्रैल, 1965 के आरम्भ तक प्रयोग के लिए तैयार हो जाएंगी। शेष तीन मशीनों के शीघ्र ही आने की आशा है।

(ख) मशीनों को चलाने के पश्चात् यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : ये मशीनें कितने पत्तनों पर लगाई गई हैं ?

**श्री दा० रा० चव्हाण** : ''कुलेर' प्रकार की मशीनों को, जिन्हें कि आयात किया गया है और आयात किया जा रहा है, एलेक्जेंड्रा डॉक्स, बम्बई के एक शेड में अधिष्ठापित किया जायेगा।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि गत अक्तूबर में अमरीका की एक फर्म ने यह पेशकश की थी कि हम इन मशीनों को चाहे जितनी संख्या में ले सकते थे; और यद्यपि हमारे विशेषज्ञों ने इन मशीनों को अनुमोदित भी कर दिया था फिर भी पेशकश को ठकरा दिया गया था ? यदि हां, तो पेशकश को ठुकराने के क्या कारण थे ?

**श्री दा० रा० चव्हाण**: जहां तक अमरीका की वेकुवेटर प्रकार की मशीनों का सम्बन्ध है, ऐसी 25 मशीनें आयात की गई हैं। दोनों प्रकार की मशीनें पहले से ही भारत में हैं।

**श्री हिम्मत सिंहका** : क्या सकार देश में इस मशीन के निर्माण की योजना पर विचार कर रही है ?

**श्री दा० रा० चव्हाण** : जी, नहीं।

**श्री रामेश्वर टांटिया** : इन मशीनों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

**श्री दा० रा० चव्हाण** : बुहलेर टाइप 1.75 लाख रु० की आकर पड़ेगी और वेकुवेटर टाइप लगभग 67,000 रु० की आकर पड़ेगी।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : इन मशीनों के लगाने के परिणामस्वरूप कितने मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और उनको अन्य कोई रोजगार देने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मजदूरों की छंटनी करने की नीति नहीं है। किसी भी मजदूर को निकाले बिना ही इनका उपयोग किया जायेगा ।

**श्री तिरुमल राव** : क्या इस मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, और 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक मशीन की क्या क्षमता है ?

**श्री दा० रा० चव्हाण** : बुहलेर टाइप की क्षमता 30–35 मीट्रिक टन प्रति घण्टा है और वंकुवेटर टाइप की क्षमता 18 मीट्रिक टन प्रति घंटा है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि कलकत्ता में लगाये गये साइलोस का प्रयोग इसलिये नहीं किया जा सका है कि इनके लिये गलत स्थान चुना गया है जहां कि जहाज स्वयं नहीं जा सकते ? इसलिये इन अनाज उतारने की मशीनों को लगाते समय क्या इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि विदेशी मुद्रा की ऐसी राशि को नष्ट न किया जाये जैसे कि कलकत्ता में किया गया ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यहां पर हर एक बात का ख्याल रखा गया है। पहले एक सर्वेक्षण किया गया था, और आवश्यकता की जांच की गई थी, और उसके आधार पर इन मशीनों को आयात किया गया है। इसलिये इन मशीनों के अनुपयोगी सिद्ध होने अथवा गलत इस्तैमाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : मशीनों द्वारा अनाज के उतारने के लाभ को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय अनाज के उतारने के सारे काम को विभाग में लेना चाहते हैं जिससे कि जो कर्मचारी बेकार हो जायें उन्हें अन्य कामों पर लगा दिया जाये ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : विभाग द्वारा काम केवल बम्बई में ही किया जाता है। अन्य भागों में भी हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

## Inaugural Flights

*457. **Shri M. L. Dwivedi** :+
**Shri S. C. Samanta** :
**Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Civil Avilation** be pleased to state :

(a) the number of inaugural flights arranged by the Air-India during 1964-65 while opening new air routes;

(b) the total number of persons invited to travel in each inaugural flight and the number of Service Personnel, Government officials and non-Government officials amongst them;

(c) the total amount of expenditure incurred on wine (flight-wise) including the wine served before or after the meals at the respective destinations; and

(d) whether Government officials and other non-officials are permitted to take wine while travelling in the Air-India planes and if not, the reasons for serving wine to them during such flights?

**The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo)** : (a) Air-India has operated three inaugural flights ex-India so far during the year 1964-65.

(b) The details are as follows :

| Particulars of flight | Total No. of invitees | Service Personnel | Government Officials | Non-Government Officials |
|---|---|---|---|---|
| First Fiji (Nandi) inaugural on 2nd August, 1964 | 13 | .. | .. | 13 |
| First London inaugural *via* Moscow on 2nd October, 1964. | 81 | | 4 | 77 |
| Second Fiji (Nandi) inaugural on 9th November, 1964. | 28 | .. | 5 | 23 |

(c) It is not possible to determine the cost of wine served to invitees because there were fare paying passengers also on the flights. The following is the average expenditure incurred on wine served to pasengers in flights :

India/Fiji — Rs. 9·30 per passenger.

India/U.K.*via* Moscow — Rs. 8·42 per passenger.

Air-India has no records of the expenditure incurred on wines served to invitees at the destinations.

(d) All passengers including invitees are offered wine on international flights. The option to accept or refuse rests with the passengers.

As regards taking of wines by Government Officials, they are governed by thier respective Conduct Rules.

**Shri M. L. Dwivedi** : May I know whether under the rules of the Government an order had been issued to the effect that Government servants are prohibited to drink during office hours or while on duty, if so, the reasons for serving wine to them during flights ?

**Shri Kanungo** : This we do not know whether they take wine or not, but this is evident that if any Government servant contravenes the rules of conduct, his explanation is called.

**Shri M.L. Dwivedi** : May I know the amount spent on food and wine provided to these invited passengers whether they be private or Government Officials ?

**Shri Kanungo** : I have not got the figures regarding total expenditure.

**Shri M.L. Dwivedi** : What are the reasons for not obtaining the information when one month notice had been given ?

**Mr. Speaker :** Why does the hon. Member require the figures regarding wine ?

**Shri M. L. Dwivedi :** Because I know that money was lavishly spent on wine.

**Mr. Speaker :** What information the hon. Minister had he has given it. How can he give the break up of figures of expenditure incurred on Government Officials and others ?

**श्री स० चं० सामन्त :** इन उड़ानों में एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के मन्त्रणा बोर्ड के कितने सदस्यों को निमन्त्रित किया गया था, और क्या होटल आदि का खर्च सरकार ने उठाया था और यदि हां, तो उस खर्च की राशि क्या है ?

**श्री कानूनगो :** सभी निमन्त्रित व्यक्तियों की एक लम्बी सूची मैंने दूसरे सदन में रख दी है यदि इच्छा हो तो म इसको सभा पटल पर रख दूंगा । यह एक बहुत लम्बी सूची है ।

खर्च एयर इण्डिया ने वहन किया न कि सरकार ने ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह सूची सभा पटल पर रख दी जाये ।

**Shri Yashpal Singh :** Was the wine served before or after or at the time of inauguration ?

**Shri Kanungo :** In keeping with the international arrangement the wine is served at the time of flight.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :** May I know the number of Centre and State Ministers in the non-Government invitees ?

**Shri Kanungo :** It is a long list which I shall place on the Table of the House.

**Shri Bibhuti Mishra:** May I know the amount of foreign exchange spent in these inaugural flights since Government usually complain about the shortage of foreign exchange ?

**Shri Kanungo :** Corporation bore the expenditure and not the Government.

**Shri Bibhuti Mishra :** Corporation is of the Government.

**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ?

**श्री कानूनगो :** क्योंकि भारत से बाहर होटलों में इन अतिथियों की खातिर की गई थी इसलिए कुछ विदेशी मुद्रा तो खर्च हुई ही होगी । परन्तु मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :** क्या इसके लिए केवल एक ही महिला को आमन्त्रित किया गया था और क्या सरकार इसमें महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी ?

**श्री कानूनगो :** इसके लिए मैं सूची देखूंगा ।

**श्री रामनाथन् चेटिट्यार** : क्या एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों तथा निकट सम्बन्धियों को भी इन उद्घाटन उड़ानों में ले जाया गया था और यदि हां, तो क्या यह जानकारी बताने वाली एक सूची भी सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**श्री कानूनगो** : सम्पूर्ण सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ।

**स्कूटर रिक्शाओं द्वारा अधिक किराया लिया जाना**

\+

*458. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री सावित्री निगम :**

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में स्कूटर तथा टैक्सी चालकों द्वारा अधिक किराया लिये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये कोई एजेंसी स्थापित की गई है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1964 के अन्तिम सप्ताह के शिष्टाचार अभियान से इन गाड़ियों के चालकों में फैली अनेक बुराइयों का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) स्कूटर और टैक्सी ड्राइवरों द्वारा अधिक किराया लेने के मामलों की जांच करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिये परिवहन निदेशालय, दिल्ली के इंफोर्समेंट अमला को फरवरी, 1964 से काम में लाया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) महत्वपूर्ण स्थानों, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, व्यस्त बाजार केन्द्रों, आदि पर अकस्मात् जांच करने के लिये दिल्ली में परिवहन निदेशालय की इंफोर्समेंट शाखा के अधीन एक चलते-फिरते जांच स्कवाड का संगठन किया गया है ।

**Shri Yashpal Singh** : By the time such meters are fixed which are for the benefit of passengers would the Government consider to provide every passenger with a dagger, since every scooter driver keeps a dagger and charges what he likes ?

**Shri Raj Bahadur** : This is not my experience. I have not seen the dagger.

**Shri M. L. Dwivedi** : The hon. Minister never goes in the scooter.

**Shri Raj Bahadur** : Probably the hon. Members know more than myself about me. I would submit that as regards Enforcement Directorate, efforts are being made to control these things through Enforcement Directorate. Apart from this the traffic branch of Police has also taken some action in this regard and I hope that the complaints pointed out shall not arise again.

**Shri Yashpal Singh** : All this is due to the shortage of scooters. If 1000 scooters are poured in the market there will be much relief. Do Government propose to increase the number of scooters ?

**Shri Raj Bahadur** : Undoubtedly there is the shortage of scooters, but whatever scooters are manufactured they are licensed. There are three kinds of complaints regarding scooters—misbehaviour, overcharging and sometimes refusing to go for short distance—Apart from these three complaints no other complaint has been received regarding dagger.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Is it a fact that their rates have not been enhanced for a pretty long time and it is for this reason that they are charging in excess for there is rise in prices all round. Is it also a fact that due to lack of proper training to the drivers the taxis and scooters often meet accidents ; if so, whether Government propose to take some steps to give training to the drivers ?

**Shri Raj Bahadur** : As regards the enhancing of rates, the rates of taxis n enhanced with effect from 1st March. Driving licence is issued only after necessary training and examination and if still there are accidents efforts are made to keep watch on them.

**श्रीमती सावित्री निगम** : कितनी बार अचानक जांच की गई, कितने मामले चलाए गये हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई है, और इन मामलों में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे ?

**श्री राज बहादुर** : विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत मैं शिकायतों के कुछ आंकड़े दे सकता हूं । जैसाकि मैंने बताया एक शिकायत है अधिक किराया लेने की; दूसरी है थोड़े फासले के लिये यात्रियों को ले जाने से इंकार करना और तीसरे दुर्व्यवहार । 1963 में इन शीर्षकों के अन्तर्गत शिकायतों की संख्या क्रमश: 196, 370 और 152 थी । 1964 में यह संख्या क्रमश: 481, 1140 और 547 थी । इससे पता चलेगा कि उपाय कड़े कर दिये गये और अधिक टैक्सी चालकों और स्कूटर चालकों पर मुकदमे चलाये गये ।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि बहुत से यात्री जो रिक्शाओं और स्कूटरों में चढ़ते हैं बिना किराया दिये ही भाग जाते हैं ?

**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में शिकायतें दोनों ओर ही हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मंत्री महोदय ने बताया कि एक बड़ी कठिनाई यह है कि स्कूटर-चालक यात्रियों को उन रास्तों से नहीं ले जाना चाहते जिन से वे जाना चाहते हैं; क्या सरकार ने कोई ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि चालकों को चेतावनी की गंभीर सूचना लोगों के न्यायालयों में जाने बिना ही दी जा सके ?

**श्री राज बहादुर** : जैसाकि मैंने बताया प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक जांच दस्ता नियुक्त किया गया ह । इस के अतिरिक्त पुलिस ने भी कुछ कार्यवाही की है । उदाहरणार्थ पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने और व्यक्ति पर अभियोग चलाने के लिये एक लिखित शिकायत ही काफी है ।

महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात पुलिस के सिपाहियों को शिकायत की किताबें दी गई हैं ताकि शिकायतें तुरन्त ही की जा सकें। इसके अतिरिक्त, एक योजना बनाई जा रही है जिस के अन्तर्गत हम सारे राज्यक्षेत्र को 6 खण्डों में बांट देंगे और प्रत्येक खण्ड में एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल होंगे और यदि आवश्यक समझा गया तो हम एक उपनिरीक्षक और एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिये अग्रेतर कार्यवाही करेंगे जिस से कि स्थान पर ही शिकायतों की तुरन्त जांच हो सकेगी ।

**Shri Onkarlal Berwa** : The hon. Minister has said that there is shortage of scooters, may I know the numbr of scooters at present plying on the roads of Delhi and what is the estimated shortage of scooters?

**Shri Raj Bahadur** : I shall not be able to give this information off hand.

**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : प्रत्येक स्कूटर में एक छोटा मीटर लगाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

**श्री राज बहादुर** : स्कूटर चालकों को मीटर लगाने के लिये हम ने कहा है, परन्त मीटरों का उपलब्ध न होना भी एक कठिनाई है ।

**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : दिल्ली स्टेशन और अन्य स्थानों पर यात्रियों की कठिनाइयों को समझने के लिये क्या माननीय मंत्री के लिये बिना साज़ो सामान के शहर का दौरा करना सुविधाजनक होगा ?

**श्री राज बहादुर** : मैं ऐसा करता रहा हूं । मैं अपने साथ ले जाने के लिये माननीय सदस्या को निमंत्रण देता हूं, यदि वह इसको स्वीकार करें ।

**ताज क्षेत्र को सुन्दर बनाने की योजना**

\+

*459. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री बाल्मीकी :**
**श्री श्यामलाल सर्राफ :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरे के ताज क्षेत्र को सुन्दर बनाने की कोई योजना है ;

(ख) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये और क्या योजनायें हैं ;

(ग) इन योजनाओं को कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) योजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

**विवरण**

(क) जी हां । पर्यटक विभाग द्वारा नियुक्त कार्यकारी ग्रुप आगरा गया था और स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकार के परामर्श से मास्टर प्लान बनाने का निश्चय किया जिसम ताज क्षेत्र भी शामिल किया जायेगा । उनका प्रस्ताव ताजमहल के आस पास 4 फरलांग के रेडिअस में एक राष्ट्रीय पार्क बनाने का है ।

(ख) अन्य योजनाओं में इस प्रकार के सुधार भी शामिल हैं :

(1) आगरा को आने वाली मुख्य सड़कें जो शहर से गुजरती हैं, उनको चौड़ा करना ;

(2) हवाई अड्डे से एक और सड़क का बनाना जो जैनगर समतल लंघन पर पुल पर से होकर जायेगी ;

(3) जमुना किनारा सड़क का साफ करना और किले के साथ साथ नदी के किनारे का बाग बनाना ;

(4) पर्यटक आवासगृह का बनाना जिसमें मध्यम वर्ग को अपेक्षित प्रमाप की सुविधायें हों ;

(5) नगर की स्वच्छता में सुधार करना जिससे इस में मक्खियां और मच्छर न रहें ;

(6) ताज को जाने वाली मुख्य सड़क के साथ साथ छावनी की दुकानों और बंगलों में सुधार करना ;

(7) मनोरंजन के लिये ;

(8) बाज़ार का बनाना ।

(ग) योजना तैयार की जा रही है और विभिन्न प्रक्रमों में इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

(घ) योजना के मुख्य भाग का चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा होने की आशा है ।

**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं कि मंत्रालय को विदेशी पर्यटकों से कुछ सुझाव मिले थे ; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस कार्यकारी ग्रुप ने उनको कार्यान्वित किया है अथवा उनको पृथक रूप से कार्यान्वित किया जायेगा ?

**श्री राज बहादुर** : ऐसे पर्यटक केन्द्रों की सुविधाओं के सम्बन्ध में की गई आलोचना के आधार पर ही यह योजना बनाई गई है ।

**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से यह पता चलता है कि एक पर्यटक आवासगृह, जिस में मध्यम वर्ग के लिये सुविधायें होंगी, बनाया जायेगा । क्या यह सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाया जायेगा ?

**श्री राज बहादुर :** हम जानते हैं कि मध्यम-आय वर्ग से बहुत संख्या में लोग वहां जाते हैं । अतः हमें यह आवास-गृह बनाना पड़ा । हम गैर-सरकारी क्षेत्र को सभी सुविधायें देंगे, परन्तु यदि वह सभी आवश्यकतायें पूरी न कर सके तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** कौन सा कार्य आरम्भ हो गया है ? विवरण में बहुत सी चीजों का उल्लेख है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं कि कौन सा कार्य आरम्भ किया गया है और उस पर कितना व्यय होगा ।

**श्री राज बहादुर :** अभी योजना तैयार की जा रही है । हमें इसके लिये धन का भी प्रबन्ध करना है । हम यथासम्भव शीघ्र इसे आरम्भ कर देंगे ।

**श्री तिरुमल राव :** इस योजना को देखते हुए, क्या परिवहन मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान कुष्ठ-अस्पताल को कहीं दूर हटाने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ; यदि हां, तो कब से ?

**श्री राज बहादुर :** इस विषय पर विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि प्रस्तावित संस्था में केवल गवेषणा कार्य होगा । वर्तमान कुष्ठ-अस्पताल और पुराना अस्पताल जो कई वर्षों से चला आ रहा है, को भी संस्था से बहुत दूर हटा दिया जायेगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** ताज की सुन्दरता और इसके इतिहास को देखते हुए क्या सरकार की प्रकाश-और-ध्वनि के चित्र जिसमें इतिहास दिखाया जायेगा, दिखाने की कोई योजना है, जिस प्रकार लाल किले के बारे में किया जा रहा है ?

**श्री राज बहादुर :** सबसे पहले हमारा बिजली लगाने का विचार है और जैसे और धन का प्रबन्ध हो जायेगा और लाल किले का परीक्षण सफल होगा, हम इस चीज का प्रयत्न करेंगे कि ताज पर भी यह सम्भव है कि नही ।

**श्री श्याम लाल सर्राफ :** सुन्दर बनाने की योजना के अतिरिक्त, जिस का माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, क्या सरकार को पता है कि बावजूद इसके कि वहां बहुत पर्यटक जाते हैं खाने को व्यवस्था बहुत अस्वास्थ्यप्रद है क्योंकि प्रत्येक चीज़ पर मिट्टी और मक्खियां बैठी होती हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है कि जो लोग वहां जाते हैं उनको स्वास्थ्यप्रद खाना मिले ?

**श्री राज बहादुर :** यदि माननीय सदस्य हाल ही में ताज गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि वहां एक जलपानगृह बनाया जा रहा है । और मेरे विचार में यह पांच या छः महीने में पूरा हो जायेगा ।

**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** सुन्दर बनाने की योजनायें और अन्य चीजें जो हो रही हैं, क्या वह केवल ताज के सम्बन्ध में हैं अथवा सिकन्द्रा और फतेहपुर सीकरी के लिये भी ?

**श्री राज बहादुर :** हाल ही में यह नीति के रूप में निश्चय किया गया है कि सभी पर्यटक स्थलों

का विकास किया जाये । यह एकीकृत विकास योजना है जो सभी पर्यटक आकर्षण स्थानों की सुविधाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में है ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** There was some controversy in the Press that some leprosarium is being constructed near Taj which will look like an ugly spot. How far is it true ? If it is being constructed, whether the transport ministry is taking some steps to remove it?

**Mr. Speaker**: This question has already been put and answered to also.

**श्री कपूर सिंह :** हम अधिक से अधिक पर्यटकों को यहां बुलाने के लिये विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं में कोई ऐसी चीज़ भी शामिल है जिसमें ताज में हमारे अधिकृत मार्ग-प्रदर्शकों को कहा गया है कि वह ताज के सम्बन्ध में अधिक से अधिक काल्पनिक कहानियां सुनायें ? यही वहां हो रहा है । क्या यह भी सरकार की योजना का एक भाग है ?

**श्री राज बहादुर :** पथप्रदर्शक एक विशेष प्रकार का व्यक्ति है जो पर्यटकों को इतिहास के आधार पर कहानियां सुनाता है और न कि कल्पना के आधार पर ।

**Shri Tulsidas Jadhav** : It is a good thing that the Government is trying to beautify the Taj area but has it come to the notice of Government that the lepers in the Agra city and near the Agra Railway Station are a great source of nuisance to the people. Are the government doing something in this connection.

**Shri Raj Bahadur** : We are keeping an eye on this also. We are trying to make some arrangement.

**Shri Achal Singh** : When will this scheme be ready and what will be its cost ?

**Shri Raj Bahadur** : As I have already stated, the scheme is ready. We are trying to provide funds for it in the Fourth Five Year Plan.

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** इन योजनाओं के विकास के परिव्यय को किस प्रकार बांटा जायेगा ? क्या यह खर्चा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जायेगा ?

**श्री राज बहादुर** : तीन प्राधिकार हैं—नगरपालिका निगम, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का पर्यटक विभाग । हम खच को बांटने का कोई युक्तियुक्त आधार बनाने प्रयत्न करेंगे ।

**दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों की कमी**

\+

*460. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध, घी, आइसक्रीम और मक्खन अभी भी कम मात्रा में दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) पिछले वर्ष दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल की नियुक्ति की गई थी । इस दल ने सितम्बर, 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय उनकी सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) प्रशासन पद्धति में कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से संगठन के उच्च पदो में अनेक परिवर्तन किये गए हैं। यह भी प्रस्ताव है कि दिल्ली दुग्ध योजना को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी में परिणित कर दिया जाये ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : I want to know whether it is a fact that there is a lot of dissatisfaction among the employees because Delhi Milk Scheme is being converted into a corporation and whether this is a major factor for short supply.

**Shri Shahnawaz Khan** : There is no reason for this dissatisfaction. Some representatives of the employees met me. They were fully assured that their services will be protected.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : I want to know whether those people who met the hon. Minister, gave some suggestions. Is it a fact that they alleged that the behaviour of the Minister with them was not proper. The other thing I want to ask is what are the main reasons for this increase i the prices of ghee, butter and milk. Is it a fact that the Government employees, particularly parliament employees, are facing great difficulty in getting ghee ?

**S ri Shahnawaz Khan** : The Delhi Milk Scheme is meant for providing milk and not ghee.

**Mr. Speaker** : When providing ghee is not it's job, then why is it givin ghee. ?

**Shri Shahnawaz Khan** : Since the milk is being brought from far off places, it becomes sour sometimes. After the milk has been converted into curd, we make ghee out of it.

**Shri Onkar Lal Berwa** : Just now the hon. Minister told that all the old employees have been changed and set up has been replaced. I want to know the loss incurred according to the last report.

**Mr. Speaker** : Have you got it.

**Shri Shahnawaz Khan** : I do not have it now.

**Shri Onkar Lal Berwa** : We give notice of the question ten days before and you say you don't have the information.

**Mr. Speaker** : The question was not about the loss.

**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री ने अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुये बताया दिल्ली दुग्ध योजना की कमियों को दूर करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था और उन्होंने उसके साथ साथ कहा कि उसको समवाय का रूप दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असमर्थ थी और इसे समवाय क्यों बनाया जा रहा है।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सरकारी कार्यों की प्रशासकीय प्रक्रिया से किसी व्यापारिक संस्था को चलाना कठिन है ; इसीलिये हमने इसे समवाय बनाया है।

**Shri Prakash Vir Shastri**: Parliament House is like a family where along with the Members of Parliament the employees working in the Parliament House are also members of this family. But the facilities for obtaining ghee, butter or milk which are available to Members of Parliament are not available the employees. Would it be considered ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं इस विषय पर विचार करूंगा, परन्तु मेरा विचार था कि माननीय सदस्य कुछ विशेषाधिकार रखना चाहेंगे ।

**Singh**: Just now the Deputy Minister told that a sub-committee has been formed for looking into all the things. What are the main recommendations of that Committee ?

**Shri Shahnawaz Khan**: The recommendations of Committee are as under. I do not have the Hindi translation, therefore I may be excused for reading in English. They are :—

"योजना के प्रशासकीय ढांचे का पुनर्गठन;

ठेकेदारों द्वारा दूध प्राप्त करने की पद्धति के स्थान पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध प्राप्त करने की पद्धति को अपनाना;

संयंत्र की स्वच्छता में सुधार करने के लिये जोरदार प्रयत्न करना;

उपकरणों और भवन इत्यादि के संधारणा में सुधार ;

कच्चे दूध की श्रेणी के प्रमाप को बनाये रखना;

उपभोक्ताओं को दूध वितरण की व्यवस्था में अग्रिम शोधन पद्धति के स्थान पर "नकद देकर दूध ले जाने" की पद्धति को लागू कर सुधार करना;"

**Shri Sidheshwar Prasad** : Which of the recommendations, read just now, have been accepted by the Government and when will a decision be taken about those recommendations about which no decision has been taken so far ?

**Shri Shahnawaz Khan** : The Government has accepted all the recommendations.

**Shri Rameshwaranand** : This milk which is being procured from the contractors, Iwant to know at what rate the contractors procure the milk and at what rate they give to the Government ?

**Mr. Speaker** : It is a detailed question.

**Shri Bibhuti Mishra** : The hon. Minister told just now that the workers were assured. But is it a fact that some workers have been suspended for which reason there is no cooperation between the employees and the officers and that the work is not going on properly.

**Shri Shahnawaz Khan** : In any organization the bad worker has to be suspended. This will go on.

**Shri Rameshwaranand** : Please reply to my question. It was a small question: It may please be answered.

**Mr. Speaker** : Since your question was small, that is why I didn't allow him to answer it.

## ढेबर आयोग

*462. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 24 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी सिंचाई, विद्युत् तथा औद्योगिक योजनाओं को स्थापित करने के परिणामस्वरूप हटाये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को फिर से बसाने तथा रोजगार देने के बारे में ढेबर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा आदेश भेजे गए थे जिनमें प्रायोजनाओं की स्थापना के परिणामस्वरूप अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के पुनर्वास तथा रोजगार की आवश्यकता के बारे में कहा था। उद्योग तथा संभरण मंत्रालय नें भी आवश्यक आदेश भेजे थे जिनमें संस्थानों को विस्थापित अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के पुनर्वास के लिये पूरे प्रयत्न करने के लिये कहा गया था राज्य सरकारें और सरकारी संस्थान जहां तक हो सके आवश्यक कार्रवाई कर रहे है और साथ साथ स्थिति की जांच भी कर रहे हैं।

बड़ी प्रायोजनाएं रौरकेला और दुर्गापुर के लोहा कारखाने, भारी इंजीनियरिंग निगम, मैथन डैम, पंचरै डैम इत्यादि इत्यादि के बारे में आदेशों को क्रियान्वित करने में की गई प्रगति प्राप्त सूचना के आधार पर इस प्रकार है :—

| विस्थापित परिवारों की संख्या | | पुनर्वास किए गए परिवारों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित आदिम जातियां | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित आदिम जातियां | अनुसूचित जातियां |
| 6,077 | 1,357 | 5,496 | 596 |

**श्री स० चं० सामन्त :** क्या गृह मंत्रालय सम्बद्ध मंत्रालयों को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और अन्य चीजों के सम्बन्ध में बतायेगा?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मुख्य उत्तर में यह बताया गया है कि हमने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं।

**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह मंत्रालय भी कुछ कार्यभार स्वयं लेगा।

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** जी हां। हम समय समय पर इसे कर रहे हैं, जैसे ही कोई चीज हमारी सूचना में आती है। इसके अतिरिक्त जैसे गृह मंत्री ने बताया महीने या दो महीने के अन्दर राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जायेगा। उस सम्मेलन में राज्य सरकारों की सूचना में भी यह लाया जायेगा।

**श्री ब० कु० दास :** विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कुछ सामान्य योजनायें हैं। विस्थापित अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये लिय क्या मंत्रालय इन योजनाओं की अनुपूर्ति करता है?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** विस्थापित अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये प्रयोजना द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों के अतिरिक्त, प्रायोजनाओं की स्थापना के उपरान्त, इस मंत्रालय का पिछड़ी हुई जातियों के लिये विभाग उनके आर्थिक उत्थान के लिये कुछ योजनायें बनाता है।

**श्री बसुमतारी :** अभी माननीय मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विस्थापित परिवारों की संख्या 68,000 है। विभिन्न क्षेत्रों में उनमें से कितने परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** : मैं माननीय सदस्य को शुद्ध कर दूं। विस्थापित परिवारों की संख्या 6,077 है जिनमें से 5,496 का पुनर्वास किया जा चुका है।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** बोकारो परियोजना के लिये अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये क्या कोई योजना है?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** प्रत्येक परियोजना के लिये एक योजना है और यही परियोजना का विशेष कार्य है।

**Shri Ram Sewak Yadav** : I want to know whether Schedule castes and Scheduled tribes have been provided with work in the whole of country according to the recommendations of Dhebar Commission ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : : अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों द्वारा प्राप्त रोजगार के सम्बन्ध में मैं अलग अलग आंकड़े नहीं दे सकती। परन्तु विस्थापित अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को व्यवसायिक तथा अन्य प्रशिक्षण देने के लिये व्यवस्था की जा रही है जिससे इनको इन परियोजनाओं में रोजगार मिल सके।

**कृषि पंडित पुरस्कार**

+

*463. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री बड़े :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि पण्डित राष्ट्रीय पुरस्कार योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। यह "अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता योजना" कहलाती है। प्रथम पुरस्कार विजेता को नकद पुरस्कार के साथ-साथ "कृषि पण्डित" की उपाधि भी दी जाती है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

## विवरण

इस योजना का उद्देश्य किसानों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को जागृत करना है जिससे देश में उत्पादन की वृद्धि हो सके और महत्वपूर्ण खाद्य फसलों की औसत प्रति एकड़ उपज भी बढ़ सके।

प्रतियोगिता निम्नलिखित फ़सलों के सम्बन्ध में चलाई जा रही है :

| | | |
|---|---|---|
| १. धान | ४. रागी | ७. चना |
| २. ज्वार | ५. मकई | ८. रबी ज्वार तथा |
| ३. बाजरा | ६. गेहूं | ९. आलू |

प्रतियोगिता को वैध बनाने के लिए भाग लेने वाले राज्यों की संख्या कम से कम ३ होती है, किन्तु विशिष्ट रूप से चने के लिए २ और अखिल भारतीय प्रतियोगिता के पहले दो बर्षों में, रागी, मकई तथा रबी ज्वार के सम्बन्ध में २.।

जिन किसानों ने राज्य स्तर फसल प्रतियोगिता में पिछले वर्ष पहले छः स्थान प्राप्त किये वे एक वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस स्तर पर कोई प्रवेश-शुल्क नहीं लिया जाता। प्रतियोगी को उत्पादन-सम्बन्धी कार्यों का रिकार्ड रखना होता है। फसल की कटाई राज्य के कृषि उप-निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी की देखरेख में की जाती है। उपज के अनुमान के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंगों पर विस्तृत कार्यप्रणाली बनाई गई है।

केन्द्र द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार राज्य सरकारें ग्राम-खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं करती हैं। साधारणतया निम्न स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेता अगले उच्च स्तर की प्रतियोगिता में आगामी वर्ष में भाग ले सकते हैं। राज्य ऐसी प्रतियोगिताएं ग्राम स्तर से 1958-59 की रबी तथा उसके बाद से चला रहे हैं। प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता धान के लिए खरीफ 1964 में आयोजित की गई थी। परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिये जायेंगे।

**श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या उक्त योजना को विभिन्न राज्यों में लागू किया जायेगा ?

**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, इसे पहले से ही लागू कर दिया गया है।

**श्री मानसिंह पृ० पटेल** : कृषि पण्डितों के चुनने के लिये जो कसौटी है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : सर्वोत्तम फसलों को अधिकतम मात्रा में पैदा करने की उनकी क्षमता।

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या रोम फसलों के लिये भी ये पुरस्कार दिये जायेंगे ?

**श्री शाहनवाज खां** : नौ फसलें हैं जिनके लिये ये पुरस्कार दिये जाते हैं और वेइस प्रकार हैं : आलू, गेहूं, बाजरा, रागी, मकई, जवार, धान, चना और रबी जवार।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : सरकार ने कृषि पण्डितों में से एक को कृषि मंत्रालय का प्रभार कब देगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : जब श्री देशमुख उस पुरस्कार को प्राप्त कर लेंगें।

## अल्प सूचना प्रश्न

## SHORT NOTICE QUESTION

### Death of a Student of Indian School of Mines, Dhanbad

No. 3. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
**Shri Onkar Lal Berwa** :
**Shri D.C. Sharma** :
**Shri Yashpal Singh** :
**Shri Bade** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a student of the Indian School of Mines, Dhanbad, has died of food poisoning ;

(b) whether it is also a fact that there is great unrest among the students over this incident ; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla)**: (a) A student of the School died in the local hospital on the 8th March, 1965, but the cause of his death is being investigated and is not yet established.

(b) Yes, Sir.

(c) The Govetnment of Bihar is enquiring into the matter. Following the disturbances by students, the Director of the School has ordered its closure with effect from the 11th March, 1965.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : By what time the enquiry will be completed and the Members informed ? Will the Government think over it that some foreign element was involved in it. Who got it done deliberately ?

**श्री मु० क० चागला** : शव-परीक्षा का परिणाम अग्रेतर जांच के लिये कलकत्ता भेज दिया गया है। परन्तु मैं सभा को बता दूं कि विद्यार्थी एक पर्ची छोड़ गया था जो निदेशक को दे दी गई थी जिससे कुछ ऐसा पता चलता है कि उसने आत्महत्या की थी।

**Shri Hukam Chand Kachhaviaya :** Is it a fact that when the student got loose motions and developed complications his removal to hospital was considerably delayed and after arriving in the hospital the doctors did not take proper care ?

**श्री मु० क० चागला** : जी, नहीं। हमारी जानकारी यह है कि उस को प्रत्येक सम्भव सहायता दी गई थी। पहले स्कूल के डाक्टर ने उसका उपचार किया, फिर छात्र को अस्पताल ले जाया गया था, और जब देखा गया कि हालत खराब थी तो उसे सदर अस्पताल, धनबाद में ले जाया गया।

**Shri Onkar Lal Berwa** : How many students were served food along with this student or whether he was served separately ?

**श्री मु० क० चागला** : यदि हमारी जानकारी सही है, यदि यह आत्महत्या का मामला है तो खाने में जहर देने से इस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि छात्र द्वारा छोड़ी हुई पर्ची से पता चलता है कि उसने कुछ खा लिया था क्योंकि जीवन से ऊब गया था।

**श्री हेम बरुआ** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मुख्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि समूचे मामले की जांच की जा रही है। परन्तु उसी सांस में वह कहते हैं कि छात्र ने आत्महत्या की है। ये दोनों बातें किस प्रकार से मेल खाती हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले भी उन्हों ने यही कहा है कि एक पर्ची छोड़ी गई थी और जांच की जा रही थी।

**Shri Yashpal Singh :** What was the name of t
he was studying and what are the reasons of his death ?

**श्री मु० क० चगला** : छात्र का नाम है कैलासम। यह मैं नहीं जानता कि वह किस कक्षा का छात्र था।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि इस छात्र की मृत्यु अस्पताल ले जाने के बाद हुई, और किसी को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी, और केवल प्रातःकाल में ही जब कालिज से उस के मित्र उस को मिलने गये तो उन्होंने उसे मृत पाया और उस समय उसके पास उस कमरे में कोई नहीं था और अस्पताल के कर्मचारियों की संगदिली पर उनकी सख्त नाराजगी स्वाभाविक ही थी ?

**श्री मु० क० चागला** : छात्र के माता पिता को दिन में पहले ही सूचना दे दी गई थी और उनके आने से पुर्व ही छात्र की मृत्यु हो गई। मेरे पास जो तथ्य हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि चिकित्सीय अधिकारियों ने कोई कठोरता दिखाई।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि इस मामले की जांच करने के लिये बिहार सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है ? यदि हां, तो क्या इस अवस्था पर चुप रहना ठीक न होगा ?

**श्री मु० क० चागला** : जी हां, बिहार सरकार ने डा० जार्ज जैकब को विभागीय जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो कल तक ही बिहार विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। समूचे मामले की जांच की जा रही है।

**श्री दाजी** : मंत्री महोदय ने कहा कि स्कूल 11 मार्च से बन्द था। यह एक गंभीर स्थिति है। यह सुनिश्चित करने के लिये क्या किया जा रहा है कि यह मामला सुलझ जाये और ऐसा संकट फिर से न आये ?

**श्री मु० क० चागला :** धारा 144 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया था। विद्यार्थियों ने इस का उल्लंघन किया। उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने डाक्टरों पर हमला किया। स्थिति बड़ी गंभीर थी और स्कूल के अधिकारियों ने सोचा कि ऐसी स्थिति में स्कूल को बन्द करना ही सब से अच्छा है।

**Shri K.N. Tiwary :** Is it a fact that the doctors of that place approached Bihar Government to conduct enquiry in this matter and it is on their request that this enquiry is being conducted ?

**Shri M. C. Chagla :** This is true and as I said the enquiry is being conducted.

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## माल ढोने वाले ट्रकों का अन्तर्राज्यीय पंजीयन प्राधिकार

*461. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने अखिल भारतीय आधार पर चालन के लिये मोटरगाड़ियों का पंजीयन करने के लिये कोई ऐजेन्सी खोली है ;

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि परिवहन संचालकों को लम्बी दूरी वाले मार्गों पर विभिन्न राज्यों में आते जाते समय भारी कर देने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). संविधान के अन्तर्गत, मोटर परिवहन संबंधी कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारों में निहित हैं अत: मोटर गाड़ियों के पंजीयन करने का दायित्व मोटर वैहिकल्स एक्ट, 1939 के अध्याय 3 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पंजीयन अधिकारियों का है।

(ग) जी हां।

(घ) एक अध्ययन दल की स्थापना कर दी गई है। यह लंबे फासलों के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में यात्री कर माल कर और मोटर गाड़ी कर के जमा करने और निर्धारण करने के बारे में क्रियाविधि की जांच करेगा और निम्न बातों पर सिफारिश करेगा :—

(1) अन्तर्राज्यीय परिवहन में देरी और असुविधा को दूर करने के लिये एकसी क्रियाविधि, (2) विभिन्न सम्बद्ध राज्यों में अन्तर्राज्यीय परिवहन से प्राप्त ऊपर वर्णित तीनों करों की प्राप्ति के विभाजन के लिए उचित आधार या सूत्रदल की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने और सरकार द्वारा जांच किये जाने के बाद इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी।

## होटल वर्गीकरण समिति

*464. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल वर्गीकरण समिति की होटल उद्योग सम्बन्धी सिफारिशों पर, जिसने अपना प्रतिवेदन एक वर्ष से भी अधिक पहले दिया था, क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समिति पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि व्यय की ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार ने होटल वर्गीकरण समिति की स्थापना होटलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत "स्टार" पद्धति के अनुसार वर्गीकरण करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिये की थी। सरकार ने समिति की होटल स्थापना की वर्गीकरण संबंधी सिफारिशों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

समिति ने कुछ ऐसी भी सिफारिशें की थीं जो उसके संदर्भ क्षेत्र के बाहर थीं। किन्तु, चूंकि ये सिफारिशें होटल उद्योग के बारे में थीं और ये होटल उद्योग के बारे में पर्यटन विभाग के सामान्य प्रकार्यों के अन्तर्गत आती हैं, अतः इनमें से बहुतों को कार्यान्वित कर दिया गया है और कुछ पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस समिति पर सरकार ने रु० 1,09,527.84 की सम्पूर्ण राशि व्यय की है।

## चलते हुए विमानों में अपराध

*465. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलते हुए विमानों में होने वाले अपराधों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अभिसमय की अभी जांच की जा रही है।

## Indo-Soviet Trade

*466. **Dr. Ram Manohar Lohta :**
**Shri Kishen Pattnayak :**
**Shri Madhu Limaye :**

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the loading and unloading charges are not accounted for while fixing the sea freight or Indo-Soviet Trade ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of Indian Shipping Lines to the following of the F.I.O. basis (*i.e.*, exluding loading/discharging expenses) ?

**The Minister of Transport : (Shri Raj Bahadur)** : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The main reason for concluding Indo-Soviet tariff on F.I.O. basis (*i.e.* excluding loading/discharging expenses) was the insistence of Soviet representatives to be guided by the tramp rates which are generally fixed on F.I.O. basis. It is not possible to adopt F.I.O. basis in all cases since general cargo moves according to established commercial practice throughout the world on non F.I.O. basis.

## बनरोपण

*467. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनरोपण कार्यक्रम के बारे में सलाह देने के लिये सरकार ने एक उप-समिति बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कितनी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) कौनसी कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार नहीं कीं और इस के क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां । रूक्ष तथा अर्ध-रूक्ष क्षेत्रों में खोह-खड्ड वाली भूमि, नहर के किनारों, सड़क के किनारों और बेकार भूमि पर वनरोपण करने के लिये केन्द्रीय वन विद्या मण्डल की एक उप-समिति बनाई गई है ।

(ख) उप-समिति की सिफारिशों की एक प्रति पहले ही सभा की लायब्रेरी में रख दी गई है ।

(ग) रिपोर्ट क्रियान्विति के लिये राज्यों तथा संघ क्षेत्र सरकारों के पास भेज दी गई हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

## Bus Transport In Madhya Pradesh

*468. **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Vidya Charan Shukla :**
**Shri Uikey :**
**Dr. Chandrabhan Singh :**
**Shri R. S. Tiwary :**
**Shri R. S. Pandey :**
**Shri Wadiwa :**

Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 754 on the 1st December, 1964 and state :

(a) whether Government have since conveyed their concurrence to the Bill for the nationalisation of passenger transport forwarded to them by the Government of Madhya Pradesh; and

(b) if not, the reason for the delay ?

**The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur)** : (a) and (b). On a careful examination of the matter, it was felt that a separate legislation for the purpose which the Madhya Pradesh Government had in view, was not necessary. The object could be broadly achieved through the existing provisions in Chapter IV-A of the Motor Vehicles Act, 1939. The Madhya Pradesh Government have been advised to re-examine the matter and come up with proposals they considered necessary for making modifications in the said Chapter of the Central Act for Government of India's consideration.

## "एम० वी० सागर दीप"

*469. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सागर तट पर स्थित प्रकाश-स्तम्भों का निरीक्षण करने के लिये अर्जित 'एम० वी० सागर दीप' जलयान का प्रायः एक वर्ष से प्रयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). दीपघर टेंडर एम० वी० सागर दीप यूगोस्लाविया में जनवरी, 1964 में लिया गया था । यह जहाज कलकत्ता में फरवरी, 1964 के अन्त में पहुंचा था । अपने 'बेस' कलकत्ता में आने के समय से उस ने निम्न कार्य किये :—

(क) नीचे लिखे हुए प्रकाशों की जांच :—

1. डेल्फिनस नोज दीपघर
2. सक्रामेन-टु दीपघर
3. पुलिकेट दीपघर
4. मद्रास दीपघर
5. रोज द्वीप दीपघर (पोर्ट ब्लेयर)

(ख) सक्रामेन-टू वालूचरा पर लाइट-वोया की स्थापना ।

(ग) मद्रास से 300 मील की दूरी पर हिन्द महासागर में भारत मौसम विज्ञान विभाग के तिरते मौसम-स्टेशन, "नोमद", की स्थापना ।

(घ) सर ह्यू रोज द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) पर नया दीपघर बनाने के लिए समान ढ़ोना ।

पिछले कुछ महीनों में जहाज को बाहर भेजना संभव नहीं हुआ । क्योंकि पूरा प्रयत्न करने पर भी अभी तक जहाज में सारे आवश्यक अधिकारियों और कर्मीदल को भर्ती नहीं किया जा सका है ।

## शहरों में राशन

*470. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता को छोड़ कर अन्य बड़े शहरों में राशन व्यवस्था लागू करने के लिये की गई अग्रिम कार्यवाही पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) केन्द्र ने व्यय का कितना भाग वहन किया ; और

(ग) देश के अन्य 6 शहरों में राशन व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को त्याग देने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग). कलकत्ता के अलावा राशनिंग खाद्यान्नों के नियमित वितरण के रूप बहुत शहरों में लागू हैं। इन शहरों में भी सरकारी स्टाक से खाद्यान्नों का वितरण कार्डों के द्वारा होता है। इस अनौपचारिक राशनिंग के अनुभव पर निर्भर करते हुए, सांविधिक राशनिंग लागू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

सारे देश में कार्डों के जारी करने में हुए वास्तविक खर्चे के बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

अब तक कोई और आगे कार्यवाही नहीं की गई है ।

## कीट नाशक पदार्थ

*471. **श्री जसवन्त मेहता :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में कृषकों द्वारा पौधों की रक्षा के लिये कीट नाशक पदार्थों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो कृषकों को कीट नाशक पदार्थ देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अगली खरीफ की फसल के लिए कोई नया पौधा परिरक्षण कार्यक्रम बनाया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) फ्री फारेन एक्सचेंज के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियों के सामान्य आयात के अतिरिक्त सरकार ने यू० एस० ऐड, डच क्रैडिट तथा वस्तु विनिमय द्वारा व्यवसाय के अधीन कीटनाशक औषधियों के अतिरिक्त आयात का प्रबन्ध किया है। भारत में अतिरिक्त औद्योगिक यूनिटों को और अधिक कीटनाशक औषधियां बनाने के लिए लाइसेन्स दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई क्रैश कार्यक्रम नहीं है। परन्तु हम पौधा रक्षण के कार्य को पूरे जोर से कर रहे हैं।

## टैक्सियों के किराये

*472 श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **परिवहन** मन्त्री दिल्ली में टैक्सी के किराये में वृद्धि करने की दिल्ली राज्य टैक्सी यूनियन की मांग के बारे में 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब मामला किस अवस्था में है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : दिल्ली में टैक्सियों का किराया 1-3-65 से बढ़ा दिया गया है। दोहराई हुई दरें इस अनुबन्ध के अधीन हैं कि जिन टैक्सियों में नये किराये को दिखाने वाले मीटर नहीं लगे होंगे वे जब तक जरूरी समायोजन नहीं हो जाता है तब तक पुरानी दरों पर ही किराया लेती रहेंगी।

## कलकत्ता पत्तन

*473. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री रानेन सेन :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री मुहम्मद इलियास :

**श्री कृष्णपाल सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**महाराजकुमार विजय आनन्द :**

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक हारबर मास्टरों की हड़ताल के कारण कलकत्ता पत्तन में कई दिनों तक काम अस्त-व्यस्त रहा ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल कितने दिन तक रहीं;

(ग) हड़ताल के क्या कारण थे ; और

(घ) सरकार को इस हड़ताल के परिणामस्वरूप घाट शुल्क के रूप में कितनी हानि हुई ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). कलकत्ता पत्तन के 33 असिस्टेंट हारबर मास्टर 12 जनवरी, 1965 से 2 मार्च, 1965 तक हड़ताल पर रहे। यह श्री जे० प्रसाद स्थानापन्न हारबर मास्टर को डिप्टी हारबर मास्टर के अगले नीचे पद पर पदावन्नति किये जाने के विरोध में की गई थी। एक दिन के लिये अर्थात् 13 जनवरी, 1965 के दिन जहाजों का आना जाना बन्द करना पड़ा था। उसके बाद और दूसरे वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये, और सामान्य जहाजों का आना जाना शुरू हो गया। वास्तव में वे हड़ताल के तुरन्त शुरू होने से पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज़ थे।

(घ) हड़ताल के कारण घाट शुल्क में कोई हानि नहीं हुई।

## इन्दौर तथा जबलपुर के हवाई अड्डे

*474. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री उइके :**
**डा० चन्द्रभान सिंह :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री रा० स० तिवारी :**
**श्री वाडीवा :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर तथा जबलपुर के हवाई अड्डों का विस्तार-कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : इन्दौर हवाई अड्डे पर नये रनवे का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है ; 10 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 1965 के अन्त तक सारा काम पूरा हो जाने की आशा है। जबलपुर हवाई अड्डे पर रनवे को सशक्त बनाने के लिये अनुमान तैयार किया जा रहा है।

**कोचीन में जहाजों की मरम्मत करने वाला कारखाना**

*475. **श्री दी० चं० शर्मा :** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के जहाज बनाने के कारखाने का विस्तार करके उसको जहाजों की मरम्मत करने का एक बड़ा कारखाना बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां।

(ख) मित्सूविषी हैवी इं डस्ट्रीज़ द्वारा परियोजना की रिपोर्ट तैयार करके उसे सरकार को देने के बाद ही ब्यौरा ज्ञात होगा।

**एयर कारपोरेशनों द्वारा अर्जित लाभ**

*476. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री हेडा :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने 1961–62, 1962–63, 1963–64 तथा चालू वर्ष की पहली छमाही में कितना लाभ कमाया ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निगम का प्रतिवर्ष कितना विकास हुआ और यह साधारणतया औद्योगिक विकास की तुलना में कैसा है ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) शुद्ध लाभ जो हुआ, वह इस प्रकार रहा :—

| वर्ष | इण्डियन एयर लाइन्स | एयर इण्डिया |
|---|---|---|
| | (रुपये लाख में) | |
| 1961–62 | 7.88 | 38.87 |
| 1962–63 | 60.91 | 234.78 |
| 1963–64 . . | 104.43 | 304.17 |
| 1964–65 (अप्रैल से सितम्बर) | लाभ का परिकलन कुल वर्ष पर किया जाता है इसलिये आधे वर्ष के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। | |

(ख) वृद्धि की दर निम्न प्रकार रही है :—

| वर्ष | इंडियन एयर लाइंस (पूर्व वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत-उपलब्ध टन-किलोमीटरों में) | एयर इंडिया | औद्योगिक वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| 1961–62 . . | +6.8 | +34.2 | +6.4 |
| 1962–63 . . . | +12.7 | +16.3 | +7.9 |
| 1963–64 . . . | —0.7 | +15.9 | +9.2 |

**मोटर गाड़ियों पर कर**

1188.. **श्री हेमराज :** क्या **परिवहन** मन्त्री 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मोटर परिवहन पर कर भार की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति में क्या प्रगति हुई है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

**बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन**

1189. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 की फसल की अवधि में बिहार और उत्तर प्रदेश में गुड़ बनने से चीनी के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा ;

(ख) गुड़ के भाव में गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) 1963–64 की तुलना में 1964–65 में गुड़ का कितना उत्पादन हुआ ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) बिहार में शर्करा उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना गुड़ बनाने में लगाया जाने के कारण इस पर प्रभाव पड़ा था लेकिन इस समय अनुमान लगाना कि प्रभाव कितना पड़ा है कठिन है।

(ख) गुड़ के भाव में गिरावट के रुख का मुख्य कारण सप्लाई स्थिति अच्छी होना है।

(ग) 1964–65 में गुड़ के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

**मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां**

1190. **श्री सिद्दय्या :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 की जनगणना में मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित प्रत्येक जाति की जनसंख्या सुनिश्चित कर ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक जाति के कितने लोग हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०——4004/65]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**केरल में पयटन केन्द्र**

1191. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में महत्वपूर्ण केन्द्र दर्शाने वाला एक सचित्र एल्बम प्रकाशित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) केरल में पर्यटन सम्बन्धी वर्तमान साहित्य अन्य राज्यों द्वारा प्रकाशित समान साहित्य की अपेक्षा पर्याप्त है या नहीं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसी कितनी पुस्तकें, पत्रिकायें तथा विवरणिकायें प्रकाशित की गई हैं तथा उनमें कितने कितने पृष्ठ हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). हम पर्यटन के केन्द्रीय विभाग द्वारा निकाले गये प्रकाशनों के बाबत सूचना दे सकते हैं । केवल केरल या किसी अन्य राज्य के बाबत कोई सचित्र एल्बम प्रकाशित नहीं किया गया है परन्तु केरल का उचित प्रकाशनों में दिग्दर्शन किया गया है ।

जहां तक (ग) भाग का सम्बन्ध है सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है परन्तु एकत्रित की जायेगी और यथा समय प्रस्तुत की जायेगी ।

**परिवहन प्राधिकार, कोजीकोड**

1192. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, कोजीकोड (केरल) ने कितने अस्थायी 'स्टेज करेज" परमिट दिये ।

(ख) इन परमिटों की कितनी बार अवधि बढ़ायी गयी तथा कितने-कितने समय के लिये ;

(ग) क्या इन अस्थायी परमिटों को देने से पहले इस मार्ग पर वर्तमान चालकों को कोई सूचना दी गई थी ;

(घ) क्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने अपनी नियमित बैठकों में इन आवेदन-पत्रों पर विचार किया था ; और

(ङ) उन मार्गों के नाम क्या हैं जिन के लिये अस्थायी परमिट दिये गये हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना केरल को सरकार से प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**केरल में सहकारी परिवहन समितियां**

1193. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केरल में सहकारी परिवहन समितियों को कितने 'स्टेज कैरेज' परमिट दिये गये ;

(ख) केरल में विभिन्न प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारियों को उक्त अवधि में सहकारी समितियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) स्टेज कैरेज चलाने में सहकारी परिवहन समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना केरल सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन**

1194. **श्री सिद्दय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपना 1963–64 का प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) 22 जनवरी, 1965 ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955**

**1195. श्री सिद्दय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवाई के लिये राज्य सरकारों और संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई कार्यवाही की है ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--4005/65]**

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त**

**1196. श्री सिद्दय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1965 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों के कोई रिक्त पद खाली थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनको भरने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) एक--हैदराबाद से ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह हैदराबाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त के स्थान पर नियुक्ति के लिये एक भारतीय प्रशासन सेवा/राज्य सिविल सेवा के एक अधिकारी की सेवाएं दें ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन**

**1197. श्री सिद्दय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1961-62 के लिये उनके ग्यारहवें वार्षिक प्रतिवदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर मैसूर राज्य ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : इस मामले में भारत सरकार को मैसूर सरकार से कोई अग्रतर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

**Smuggling of Foodgrains**

**1198. { Shri M. L. Dwivedi / Shri S. C. Samanta / Shri Yashpal Singh }**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the monthly expenditure on 200 Police Constables posted on Patrol duty to check the illegal transportation of foodgrains along the 40 mile long border between Delhi and Uttar Pradesh :

(*b*) whether such transportation of foodgrains has been checked or reduced as a result of these arrangements ; and

(*c*) whether similar arrangements are also being made or have been made to check illegal transportation of foodgrains through the borders of other States to the State of Uttar Pradesh and the deficit areas of other States.

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) :** (*a*) Rs. 30,386 approximately.

(*b*) Yes Sir, smuggling of foodgrains has been considerably reduced.

(*c*) Similar arrangements have been made in other States.

## पंजाब में जल का इक्ट्ठा हो जाना

1199. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाध तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 26 दिसम्बर, 1964 को पंजाब राज्य के ऐसे क्षेत्रों का वायुयान द्वारा सर्वेक्षण किया जहां पानी भरा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उन की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार को अर्थ-सहायता देने का विचार है ताकि वह ऐसे क्षेत्रों में सुधार कर सके जहां जल भर जाता है तथा रेह लग जाती है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :: (क) जी हां । 26 दिसम्बर, 1964 को वाययान द्वारा दौरा किया गया ।

(ख) वायुयान द्वारा दौरे से पता चला कि परियोजना के इंजीनियरिंग और भूमि सम्बन्धी पहलुओं पर और आगे विस्तृत जांच पड़ताल की आवश्यकता है ।

(ग) इस जांच-पड़ताल के पूरा होने पर केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

## Milk Procurement Centres of D.M.S.

1200 { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
**Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the number of milk procurement centres of the Delhi Milk Scheme outside Delhi ?

(*b*) the expenditure incurred on these centres during the last year ;

(*c*) the quantity of milk to be procured form each centre during the current year and the quantity procured during preceding year separately ;

(*d*) whether there are such centres also from where no milk is procured at all ; and

(*e*) if so, the number thereof and the reasons for the same ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan)** :

(*a*) 15.

(*b*) Rs. 11,67,287/.

(*c*) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. *See* No. L.T. 4006/65**.]

(*d*) Yes.

(*e*) Three. The centres being close to Delhi, there is unhealthy competition from "Dudhias" who bring milk to Delhi on cycles. The Delhi Milk Scheme is unable to purchase quality milk in competition with private trade.

## दूध का उत्पादन

1201. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में या इसके आस पास दूध उत्पादकों ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों तथा भैंसों को कोई टीका लगाना शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि ऐसा टीका लगे पशुओं का दूध दिल्ली दुग्ध योजना को न दिया जा सके क्योंकि ऐसा दूध मानव उपभोग के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां)** : (क) जी हां । संभवत: दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के कुछ डेरी वाले दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी गाय तथा भैंसों को पिट्यूट्रिन के टीके लगा रहे हैं । यह प्रथा देहात में नहीं है ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली के शहरी क्षेत्र से कोई दूध नहीं खरीदती । हमारे पास इस प्रकार के टीका लगे पशुओं के दूध हानिकारक होने के विषय में कोई सूचना नहीं है ।

**फसल बीमा योजना**

1202. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव की सभी बातों पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** (क) और (ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

**कृषि तथा खाद्य अनुसंधान परिषद्**

1203. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री पें० वेंकटासुब्बया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न नं० 596 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में कृषि तथा खाद्य अनुसन्धान की एक नई परिषद स्थापित करने के बारे में अनुसन्धान पुनर्विलोकन दल की सिफारिशों पर अब विचार लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

**बहिरों तथा गूंगों के लिये होस्टल**

1204. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में बहिरों तथा गूंगों की शिक्षा के लिये ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिनमें होस्टल की व्यवस्था है ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार 65 संस्थाओं में से 48 संस्थाओं में होस्टल की व्यवस्था है । उनका राज्यवार विवरण इस प्रकार है :—

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | होस्टल व्यवस्था वाली संस्थाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 3 |
| 2 | आसाम | 1 |
| 3 | बिहार | 2 |
| 4 | महाराष्ट्र . | 6 |
| 5 | गुजरात | 5 |
| 6 | केरल | 4 |
| 7 | मद्रास | 7 |
| 8 | मैसूर | 2 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 1 |
| 10 | उड़ीसा . . | 1 |
| 11 | पंजाब . . | 1 |
| 12 | राजस्थान . | 1 |
| 13 | उत्तर प्रदेश . | 9 |
| 14 | पश्चिम बंगाल . . | 4 |
| 15 | दिल्ली . | 1 |
| | कुल | 48 |

## विकलांगों के लिए होस्टल

1205. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांगों की शिक्षा के लिये देश में ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिन में होस्टल की व्यवस्था है ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार 24 में से 15 संस्थाओं म होस्टल की व्यवस्था है ।

## कृषि अनुसंधान संस्थाओं का नियंत्रण

1206. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री नवल प्रभाकर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकास खण्डों में कृषि अनुसन्धान संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किये गये प्रदर्शन एककों पर नियंत्रण के बारे में कृषि वैज्ञानिकों के पैनल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) इस उपाय से यह कहां तक सुनिश्चित हो सकेगा कि कृषि उद्योग में आधुनिक तरीकों के अपनाये जाने के लिये किये गये प्रयोग खण्ड अधिकारियों की लापरवाही के कारण असफल न हो जायें ; और

(ग) क्या खण्ड विकास प्राधिकारी ने इस सुझाव का समर्थन किया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) से (ग). कृषि वैज्ञानिकों के पैनल ने प्रश्न के भाग (क) के विषय में निश्चित रूप से कोई सिफारिश नहीं की है । परन्तु पैनल ने खण्ड विस्तार अधिकारियों तथा अनुसन्धान संस्थाओं और कृषि विश्व-विद्यालयों व कृषि विद्यालयों के साथ अनुसन्धान संस्थानों और कृषि विश्व-विद्यालयों के घनिष्ठ सहयोग के बारे में एक सिफारिश की है ताकि खण्डों के विस्तार कार्यों पर प्रभाव-शील ढंग से नियंत्रण हो सके । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे समस्त जिला कृषि अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि अनुसन्धान संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए । अभी तक इन सुझावों के बारे में राज्य सरकारों कीं प्रतिक्रिया का पता नहीं लगा है ।

## संविधान सभा के दस्तावेज

1207. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विदेशियों को विधि मंत्रालय में रखे हुए संविधान सभा के दस्ता-वेजों तथा फाइलों की जांच, अध्ययन तथा/अथवा नक्ल करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को अनुमति दी गई है, उनके नाम, राष्ट्रीयता तथा उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) अनुमति देने अथवा न देने के लिये यदि कोई आधार, कसौटी तथा शर्तें हैं, तो वे क्या हैं ;

(घ) क्या उन विदेशियों को वे पत्र व्यवहार तथा अन्य पत्र भी दिखाये गये थे जिन पर गुप्त अथवा गोपनीय शब्द अंकित थे ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन पत्रों को गोपनीय अथवा गुप्त न ठहराने का तथा उन्हें बिना किसी रोकटोक के उद्धृत करने या उन पर टिप्पणी करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक अभिलेखों से पता चलाया जा सकता है, गत पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित विदेशियों को अनुमति दी गई :—

(i) कौरनैल यनीवर्सिटी के श्री रैल्फ एच० रैजलैफ, पी० एच० डी०, जो भारतीय संविधान के प्रारूपण से सम्बद्ध अनुसन्धान के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन स्कालर हैं ।

(ii) आक्सफोर्ड में अमेरिकन स्कालर श्री जी० एस० आस्टिन जो इन्टीट्यूट आफ करेन्ट वर्ल्ड अफेयर्स, न्युयार्क सिटी से शिक्षावृत्ति पर हैं तथा भारतीय संविधान की रचना सम्बन्धी विषय पर अनुसन्धान स्कालर हैं।

(iii) अमेरिकन विश्वविद्यालयों के फील्ड स्टाफ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री फिलिप्स तलबोट जो भारतीय संविधान विषय पर अनुसन्धान स्कालर हैं।

(ग) से (ङ). दस्तावेजें वास्तविक अनुसन्धान स्कालरों को 'ऐतिहासिक अनुसन्धान नियमों' के अनुसार निर्देश के लिये उपलब्ध की जाती हैं । उन्हें कोई गुप्त दस्तावेजें उपलभ्य नहीं की जातीं । संविधान सभा के अभिलेखों को देखने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि ऐसे अभिलेखों से लिये गये उद्धरण अनुसन्धान स्कालरों को दिये जाने के पहिले पड़ताल के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ।

## गन्ने की नई किस्म

**1208. श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के लिये, विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिये गन्ने की कोई नई किस्म तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर भारत के गन्ना उत्पादकों को उसे अपनाने के लिये कहा गया है ; और

(ग) गन्ने की नई किस्म से प्रति एकड़ कितना उत्पादन होगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) गन्ने की नई किस्मों की खेती से वर्तमान किस्मों की अपेक्षा गन्ने की सामान्यत: 50-100 मन प्रति एकड़ अधिक उपज हुई है ।

## सोवियत संघ से ट्रैक्टरों का आयात

1209. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ से 1500 वीलर ट्रैक्टर आयात किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या उनमें से अब तक कुछ आ गये हैं ;

(ग) इन वीलर ट्रैक्टरों का मूल्य क्या है ; और

(घ) ये ट्रैक्टर किन को बेचे जायेंगे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** :(क) 1965 के दौरान सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से 1200 वीलर ट्रैक्टर आयात करने के प्रबन्ध पर लिए गए हैं। चालू वर्ष की ट्रेड प्लान व्यवस्था के अन्तर्गत और आगे आयात करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) इन ट्रैक्टरों के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

(ग) जिन ट्रैक्टरों को आयात करने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं उनकी कीमत, लागत, बीमा, भाड़ा सहित ये हैं :—

| | |
|---|---|
| डी० टी०—14 वी० . | 3500 रुपए |
| डी० टी० —28 . . | 6250 रुपए |

हैंडलिंग, सेवा सुविधाओं आदि के लिए एजेन्ट लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य पर 20 प्रतिशत धन ले सकते हैं।

(घ) ये ट्रैक्टर किसानों, सरकारी विभागों और कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य संस्थानात्मक एजेंसियों को बेचे जायेंगे ।

## QUOTA OF STGAR

1210. **Shri Bade:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that the quota of sugar allotment to Rajasthan has been reduced to half with effect from December, 1964;

(*b*) if so, the reasons therefor; and

(*c*) whether similar action has been taken in respect of other States also?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan):** (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

## Prices of Sugarcane

1211. { **Shri Onkar Lal Berwa:**
**Shri P.H. Bheel:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the fixation of sugarcane prices for crushers;

(b) if so, the time by which the decision is likely to be taken; and

(c) whether the views of cane-growers have also been ascertained in this con nection?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan)**: (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

## Arrest of Central Warehousing Corporations Officer

1212. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri P.H. Bheel:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police have arrested a high ranking official of the Government of India who was connected with the Central Warehousing Corporation at Jabalpur on a charge of forgery; and

(b) the amount misappropriated and the action taken in the matter?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan)**: (a) The Police arrested on 24-12-64 a Warehouseman of thr Central Warehousing Coproration, Jabalpur, for misappropriation of funds. The Warehouseman arrested is not an official of the Government of India but of the Central Warehousing Corporation and his post is in the scale of Rs.325—15—475—EB—20—575.

(b) The estimated loss is Rs. 1,033.75.

## काई सम्बन्धी अनुसन्धान

1213. **श्री हेडा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद नगर निगम तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य : ज ि ः र विभाग द्वारा संयुक्त रूप से काई सम्बन्धी अनुसन्धान किया गया है ;

(ख) इससे भूख की समस्या कहां तक हल होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस समय तक अनुसन्धान कार्य किस अवस्था में पहुंच गया है ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) जी, हां ।

(ख) क्लोरेला जैसी साधारण प्रकार की हरी काई जोकि एक बड़े पैमाने पर उगाई जा सकती है, मानव तथा कुक्कुट खाद्य के लिए एक सर्वोत्तम अनुपूरक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है ।

(ग) अभी तक देश में काई प्रोटीन के एक बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयत्न नहीं किये गये हैं और अपेक्षित तकनीकों का विकास भी नहीं हुआ है।

**इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिए 'कारवेल'**

1214. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार चालू वर्ष में दो और 'कारवेल' खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीटों का डिजायन पहले जैसा ही होगा ; और

(ग) इनके कब तक चलाये जाने की आशा है ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने, सिद्धान्ततः इण्डियन एयरलाइंस को दो अतिरिक्त कारवेल विमानों के खरीदने की सहमति दे दी है। यह उसी प्रकार के होंगे, जो कारवेल VI–एन, इस समय कारपोरेशन के पास हैं। इनको खरीदने को वार्ता चल रही है, यदि वार्ता सफल हो गई तो उसका मसौदा सर्दी (1965–66) में तैयार हो जाने की सम्भावना है।

**भाखड़ा बांध पर पर्यटकों के लिए सुविधायें**

1215. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 405 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा बांध पर पर्यटकों के लिए होटल तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : पिछले तीन महीनों में भारत सरकार तथा पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों और भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड प्रतिनिधियों के बीच और अधिक विचार-विमर्श हुआ जिनमें इमारतों के लिये भूमि प्राप्त करने की शर्तों, योजनाओं और प्राक्कलनों और उनकी व्यवथा सम्बन्धी दूसरी सुविधाओं को अन्तिम रूप देना और उनके प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रश्न शामिल हैं।

आशा की जाती है कि सम्पूर्ण योजना को पूरा करने की दिशा में प्रथम कार्यवाही के रूप में जलपान गृह का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरु किया जायेगा।

**Rain Water for Irrigation Purposes**

1216. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the percentage of rain water utilized for the purpose of irrigation during the period from 1951 to 1964 year-wise and State-wise; and

(b) the prospects of the increased use of rain water for irrigational purposes by the end of Fourth Five Year Plan;

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan)**: (a) and (b). The required information is not available State-wise and year-wise. The total quantity of surface flow available annually in India is estimated as 1356 million acres feet, out of which 450 million acre feet has been estimated as utilizeable flow for irrigation purposes. The information on the utilisation Plan-wise, as available, is indicated below:—

| *Period* | *Utilisation* | *Percentage useable flow* |
|---|---|---|
| Pre-Plan | 76 m.a. ft. | 17% |
| End of II Plan | 120 m.a. ft. | 27% |
| End of III Plan (anticipated) | 150 m.a. ft. | 33% |
| End of IV Plan | The figures can be worked out only after the Fourth Plan is finalised. | |

## कृषि का विकास

1217. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका भारत को कृषि के विकास के लिए अधिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कृषि विकास कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं जिनके इस सहायता के अन्तर्गत आने की सम्भावना है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है । परन्तु इस समय कोई ब्यौरा देना सम्भव नहीं है ।

## नौवहन समस्यायें

1218. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा विदेशी नौवहन समवायों के उच्चाधिकारियों के 27 व 28 जनवरी, 1965 को हुए अधिवेशन में कलकत्ता-भारतीय पूर्वी तट-पूर्वी पाकिस्तान-अमरीका मार्ग से होने वाले व्यापार की विभिन्न नौवहन समस्याओं पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) उन समस्याओं को हल करने के लिये क्या निर्णय किये गये ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह उन जहाजी कम्पनियों की प्राइवेट बैठक थी जो ऐसा व्यापार करती हैं जिससे भारत सरकार का सीमा कोई सम्बन्ध नहीं है । बैठक की कार्यवाही गोपनीय है ।

**उर्वरक का सम्भरण**

1219. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 दिसम्बर 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमोनिया सल्फेट को पचास किलो वाली बोरियों में भर कर भेजने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप में स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के किन पहाड़ी क्षेत्रों में भेजे जायेंगे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) अमोनियम सल्फेट को पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग के लिए 50 किलो की बोरियों में भर कर निम्नलिखित राज्यों को सप्लाई किया जाएगा :—

1. मध्य प्रदेश
2. आंध्र प्रदेश
3. पश्चिम बंगाल
4. उड़ीसा
5. महाराष्ट्र
5. उत्तर प्रदेश
7. हिमाचल प्रदेश

**ऊन तथा अनुसंधान केन्द्र**

1220. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र की सहायता से कोई ऊन तथा अनुसन्धान केन्द्र खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना वार्षिक व्यय होगा ; और

(ग) इसके लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से राजस्थान के टौंक जिले में मालपुरा में एक केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा उस पर अब तक दिया गया वार्षिक व्यय निम्नलिखित है :—

| | रुपये |
|---|---|
| 1961–62 | 3,277 |
| 1962–63 | 2,63,424 |
| 1963–64 | 4,54,551 |
| 1964–65 | 8,86,084 (30–9–64 तक भवनों के निर्माण पर किया गया खर्च भी शामिल है) |

(ग) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि विशेषज्ञों तथा उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करेगी और शेष खर्च भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

**बड़ौदा में दुग्ध संयंत्र**

1221. **महाराजकुमार विजय आनन्द:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि तथा खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से बड़ौदा में एक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो संगठनों द्वारा दी जाने वाली तकनीकी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजना कब आरम्भ होगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) बड़ौदा दुग्ध संयंत्र के लिए उपकरण के रूप में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि की सहायता 230,000 डालर या लगभग 11 लाख रुपये हैं। भारत में खाद्य तथा कृषि संगठन के डेरी विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि के तकनीकी सलाहकारों के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) डेरी को बिजली मिलते ही अगले दो-तीन महीनों में।

**कपास का उत्पादन**

1222. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए कोलम्बो योजना विशेषज्ञ, डा० एच० एल० मानिंग की सेवाय प्राप्त की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) डा० एच० एल० मार्निंग, कपास विशेषज्ञ द्वारा की गई सिफारिशें सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.-4007/65]**

**ट्रेक्टरों का प्रयोग**

1223. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सर्वेक्षण कर के इस बात का खंडन किया है कि ट्रेक्टरों के प्रयोग से मज़दूर बेकार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश के किन भागों का सर्वेक्षण किया गया ; और

(ग) सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण की मुख्य बात क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

**निर्जलित खाद्य कारखाना**

1224. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री ब० कु० दास**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सूरत जिले में एक निर्जलित खाद्य कारखाना स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में विदेशी सहयोग किस रूप में लिया गया है;

(ग) जिले में क्या क्या कच्चा माल मिलता है;

(घ) क्या कारखाने में बने उत्पाद बाजार में दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण)** : (क) सर्व श्री पुण्डरीक अलमौला, अहमदाबाद को बलसर ( जिला सूरत, गुजरात ) में तुरन्त तैयार खाद्य पदार्थों के बनाने के लिये एक कारखाना लगाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 के अधीन दिसम्बर, 1963 में लाइसेंस दिया गया था । यह पता चला है कि यह कारखाना अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) विदेशी सहयोगी लगभग एक करोड़ रुपया देने के लिये सहमत हो गये हैं जिस में 24·5 प्रतिशत साम्य पूंजी के रूप में तथा शेष 75·5 प्रतिशत ऋण के रूप में होगा।

विदेशी भाग 49 प्रतिशत होगा। विदेशी सहयोगियों ने तैयार माल का कम से कम 25 प्रतिशत अर्थात् 250 मीट्रिक टन नियमित आधार पर निर्यात करने का फैसला भी कर लिया है।

(ग) इस ज़िले में आम, नींबू, केला और टमाटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यह पता चला है कि यहां दूध भी विधायन के लिये उपलब्ध है।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति

1225. **श्री हेडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति कितने समय तक गंभीर रही ;

(ख) 1964 के अंतिम तीन महीनों तथा 1965 के पहले छः महीनों में उत्तर प्रदेश को कितना गेहूं देने का आश्वासन दिया गया था; और

(ग) इस आश्वासन को किस तरह पूरा किया जा रहा है तथा आयात किया हुआ कितना गेहूं दिया गया और देशी गेहूं कहां से दिया जाता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द्वा० रा० चव्हाण)** : (क) मई-जून, 1964 में जब यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल दूसरे वर्ष में भी खराब हो गई, तब खाद्य सप्लाई की स्थिति तंग होनी आरम्भ हो गई और यह तंगी 1964 के शेष सारे भाग में भी बराबर बनी रही। खरीफ की फसल आने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) और (ग). 1964 के अंतिम तीन महीनों और 1965 के पहले 6 महीनों में गेहूं की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। तथापि, केन्द्रीय स्टाक से उत्तर प्रदेश को आयातित गेहूं की निम्न मात्राएं सप्लाई की गयीं :—

(हजार मीट्रिक टन में)

| | |
|---|---|
| अक्तूबर, 1964 | 87 |
| नवम्बर, | 114 |
| दिसम्बर, | 72 |
| जनवरी, 1965 | 82 |
| फरवरी | 51 |

उपभोग के लिए देशी गेहूं की कोई सप्लाई नहीं की गयी थी।

## Import of skimmed milk powder

**1226. Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether skimmed milk powder was imported on a large scale in January and February, 1965 ;

(b) the quantity out of this received by the Delhi Milk Scheme ;

(c) the vitamin content in the milk powder and the price thereof ; and

(d) the difference between the price of fresh milk and tonned milk per kilo ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) A sum of Rs. 63·00 lakhs of foreign exchange has been allocated to the Government Dairy Plants to import skim milk powder during the year 1964-65 (*i.e.* April, 1964 to March, 1965) but the actual quantity to be imported will vary according to the terms of contract entered into by each Dairy Plant. Hence, the information relating to the actual import during January-February 1965 is not available.

(b) No quantity has been imported by the Delhi Milk Scheme during this period under the above arrangement.

(c) Does not arise.

(d) Delhi Milk Scheme sells milk by litres only. The difference between the price of fresh milk and that of tonned milk sold by the Delhi Milk Scheme is 26 paise per litre.

## सोलमन मछली का पालन

1227. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में अमरीका से आयात किये गये अंडों पर सोलमन मछली पालने के प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं;

(ख) क्या इस मछली को वहां बड़े पैमाने पर पालने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस परियोजना को चालू करने के लिए किन विशेषज्ञों की सलाह तथा क्या सहायता उपलब्ध है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द्वा० रा० चव्हाण)** : (क) अब तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे उत्साहवर्द्धक हैं। तथापि, इस मछली के परिपक्व अवस्था में आने तक कई वर्ष लगेंगे और इस स्थिति में अंतिम परिणाम नहीं जाने जा सकते हैं ।

(ख) नहीं । इस मछली का पालन छोटे पैमाने पर होगा और इसका केवल मात्र उद्देश्य मत्स्य-शिकारियों के लिए खेल तथा मनोरंजन प्रदान करना है ।

(ग) राज्य सरकार को पहले ही इसके विशेषज्ञों का तकनीकी परामर्श उपलब्ध है ।

## कृषि-औद्योगिक श्रम सेवा सहकारी समितियां

1228. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **सामदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के गरीब वर्गों के लिए कृषि-औद्योगिक श्रम सेवा सहकारी समितियां गठित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) और (ख) : मामले पर अभी योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

## असैनिक हवाई अड्डे

1229. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने तथा देश की विमान परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में नये असैनिक हवाई अड्डे बनाने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). खजुराहो में हवाई अड्डे का निर्माणकार्य प्रगति पर है । पर्यटक के हितों तथा घरेलू वायु-यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य स्थानों पर हवाई अड्डों के बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

## Creation of Classes in AIR Services

**1230. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state whether Government propose to introduce First, Second and Third Classes in the air services operated by the Indian Airlines Corporation ?

**The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) :** The I.A.C. have and will continue to have one-class service except that on the Boeings first and economy classes are b eing and will continue to be kept.

## राजस्थान नहर

1231. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर को नौवहन योग्य बताने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

## भूमि में फसल परिवर्तन

1232. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश को खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए किसानों को खाद्य फसलों के बदले में व्यापारिक फसलें उगाने से रोकने के साधन ढूंढने का कोई प्रस्ताव है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है । देश में खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन कम होने के कारण कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न करते समय समस्त फसलों की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के विषय में निर्भर होना पड़ता है । यह कार्य भूमि के समुचित उपयोग तथा उन आयातों के सम्भरण से हो सकता है जो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है । भारत सरकार पहले ही एक कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कर चुकी है । यह आयोग खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों की मूल्य नीति के बारे में परामर्श देगा जिससे कि देश की कुल आर्थिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए एक सन्तुलित तथा समाकलित मूल्य-पद्धति का विकास किया जा सके । आशा है कि मूल्य नीति तथा मूल्य पद्धति के विषय में सिफारिशें करते समय आयोग और बातों के अतिरिक्त भूमि के समुचित उपयोग की आवश्यकता, अन्य संसाधनों तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को दृष्टि में रखेगा ताकि उन्नत तकनीकों को अपना कर अपनी उपज को अधिक से अधिक बढ़ाये ।

## राज्यों में पृथक पर्यटक विभाग

1233. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार सभी राज्यों में पृथक् पर्यटक विभाग, जिनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं, स्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) पर्यटकों द्वारा स्थानीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रयोग के लिए पर्यटक विभाग केन्द्रों को बिना मीटर की कितनी टैक्सियों के लाइसेंस दिये गये हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नांकित राज्य सरकारों ने पर्यटन विभाग खोल दिये हैं जिस में एक पूरे समय काम करने वाला निदेशक तथा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं :—

1. बिहार
2. जम्मू और कश्मीर
3. केरल
4. राजस्थान ।

अन्य सभी राज्यों के अधीन भी एक एक पर्यटन विभाग शाखा है जो उनके जन सम्पर्क विभाग, सूचना तथा दूसरे सम्बन्धित विभाग के अधीन समुचित कर्मचारियों सहित हैं।

(ग) बम्बई में भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बिना मीटर वाली टैक्सियां (पर्यटन गाड़ियां) चलाई जा रही हैं।

## अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्श

1234. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में पर्यटन विभाग में कितनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों में भाग लिया; और

(ख) इन प्रदर्शनियों में भाग लेने में विदेशी मुद्रा को मिला कर कुल कितना व्यय हुआ।

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) यह सूचना 1964–65 के पहले दस महीनों की ही उपलब्ध है। इस अवधि में पर्यटक विभाग और उसके कार्यालयों ने जिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों में भाग लिया उनकी संख्या ग्यारह थी। इनमें से पांच अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों में उसने प्रत्यक्ष भाग लिया और 6 में अप्रत्यक्ष।

(ख) 1––व्यय उन्हीं में हुआ जिनमें पर्यटक विभाग या उसके कार्यालयों में प्रत्यक्ष भाग लिया। उन प्रदर्शनियों, मेलों की सूची नीचे दी गई है जिसमें किया हुआ व्यय, विदेशी मुद्रा की राशि सहित, इंगित किया गया है।

न्यूयार्क 2––**अस्टा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शन** : (अक्टूबर 1964) यह प्रदर्शन मियामी बीच में यात्रा एजेण्टों की अमरीकी सोसाइटी के सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। भारतीय स्टाल की बहुत प्रशंसा की गई थी और इसमें भारत सम्बन्धी दो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का संगठन भी किया गया था। इस प्रदर्शन में रु० 6545.38 का कुल व्यय हुआ था जिसमें वदेशी मुद्रा का व्यय 790.84 डालर (रु० 3,765.96) था।

**सान फ्रांसिस्को :**

2. यू० एस० विश्व यात्रा मेला (सितम्बर, 1964) भारतीय मंडप का कक्ष सान्फ्रांसिस्को भारत के कान्सुल जनरल ने स्थापित किया था। स्टाल में पर्यटक कार्यालय के कर्मचारियों ने काम किया था। इन्होंने पर्यटक साहित्य का वितरण किया और उपयुक्त प्रदर्शन किया। इसमें कुछ भी व्यय नहीं हुआ।

3––**लास एंज्लूस काउन्टी मेला :** परीना में (सितम्बर, अवतूबर, 1964) मेले के अधिकारियों में स्थान दिया था पर्यटक कार्यालय ने उसके पास जो भी उपलब्ध सामग्री थी उसमें समुचित प्रदर्शन किया, इसमें कुछ व्यय नहीं हुआ।

4––**विश्व यात्रा प्रदर्शन :** लांग बीच में (कैलीफोर्निया नवम्बर 1964) यहां भी स्थान मुफ्त मिला था। इस स्टाल की सजावट में सामान्य लागत 78 डालर (लगभग

366 रु०) हुई थी। इस कक्ष में पर्यटक कार्यालय के एक कर्मचारी ने कार्य किया। इससे अपनी यात्रा के दौरान लांग बीच का भ्रमण किया था।

**टोरंटो**

5.—**कनाडा की राष्ट्रीय प्रदर्शनी :** यह टोरंटो में (अगस्त-सितम्बर, 1964) हुई थी। मेसर्स लुफ्तान्सा ने स्थान मुफ्त में दिया था और भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय, टोरंटो ने, कार्यालय में उपलब्ध सामग्री की सहायता से प्रदर्शन किया था। इसलिये इसमें कुछ भी व्यय नहीं हुआ।

**पेरिस**

6.—**पेरिस मेला** (मई, 1964). यह पेरिस में प्रतिवर्ष होने वाला बहुत विशाल अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। इसमें पर्यटक कार्यालय ने पहली बार 1964 में भाग लिया मेला अधिकारियों ने स्थान मुफ्त में दिया था और उपयुक्त प्रदर्शन करने के लिए 320 फ्रांसीसी फ्रेंक (लगभग 310 रुपये) व्यय हुआ था।

(ख) 2—विभाग और या उसके विदेशी कार्यालय की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सुगठित कार्यक्रम के अनसार भाग लेते हैं। इन प्रदर्शनियों में पर्यटक साहित्य फ़ोटोग्राफ, पारदर्शकतायें इत्यादि प्रदर्शित किये जाते हैं जिसमें वे "टूरिस्म इन इण्डिया" पर एक कौने में स्थान कर सकें। कभी कभी विभाग द्वारा साहित्य और फोटों इत्यादि वाणिज्य मंत्रालय कों सीधे दिल्ली भेज दिये जाते हैं। अधिकांश मामलों में जब प्रदर्शनियां ऐसे स्थानों पर की जाती है जो भारत की अपेक्षा विदेशों में पर्यटक कार्यालय के अधिक निकट होता है तब निकटस्थ भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय द्वारा साहित्य उपलब्ध किया जाता है। ऐसी प्रदर्शनियों के नाम नीचे दिये जाते हैं:—

1. लीपजिग अन्तर्राष्ट्रीय मेला, लीपजिग—पूर्व जर्मनी
2. बैंकांक में अन्तर्राष्ट्रीय मेला—थाईलैण्ड।
3. फिनलैण्ड में हेलसिन्की ब्यापार मेला।
4. लन्दन में आइडियल होम प्रदर्शनी।
5. लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान मेला।

**बागवानी का विकास**

1235. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र मलिक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में बागवानी के लिए उड़ीसा सरकार को ऋणों और अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) इस अवधि में राज्य ने कितनी राशि का उपयोग किया ; और

(ग) 1965–66 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि देने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| ऋण | 1,58,300 | रुपये |
| अनदान | 2,66,800 | रुपये |

(ख) 2,26,735 रुपये (इस समय तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)
(ग) 6,20,700 रुपये ।

**उड़ीसा को उर्वकों का सम्भरण**

1236. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री रामचन्द्र मलिक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में वास्तव में उड़ीसा को उर्वरकों की कितनी मात्रा का सम्भरण किया गया ;

(ख) क्या 1965–66 में कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) 1964–65 के दौरान में नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की जितनी मात्रा उड़ीसा सरकार को अलाट की गई तथा जो वस्तुतः उन्हें सप्लाई की गई, निम्न प्रकार है :—

| उर्वरक का नाम | अलाटमैंट | 28–2–1965 तक जितनी मात्रा सप्लाई की गई |
|---|---|---|
| | (आंकड़े मीटरी टनों में) | (आंकड़े मीटरी टनों में) |
| सल्फेट आफ अमोनिया | 8,565 | 7,193 |
| यूरिया | 50 | 44 |
| कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट | 28,500 | 26,335 |

इससे आगे भी सप्लाई जारी है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने 1965–66 के लिए नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा मांगी है :—

| | (आंकड़े मीटरी टनों में ) |
|---|---|
| सल्फेट आफ अमोनिया | 2,000 |
| यूरिया | 400 |
| कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट | 92,800 |

आगामी खरीफ के मौसम में प्रयोग के लिए राज्य सरकार को उर्वरकों की निम्न मात्रा दे दी गई है :—

| | |
|---|---|
| सल्फेट आफ अमोनिया | 1,000 मीटरी टन |
| यूरिया | 200 मीटरी टन |
| कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट | 30,000 मीटरी टन |

इसके आगे अलाटमेंट तिमाही आधार पर की जायेगी । यह अलाटमेंट समस्त देश की मांग तथा प्रत्येक तिमाही की अनुमानित उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए की जायेगी । आशा है कि वर्त्तमान वर्ष की तुलना में 1965–66 में उपलब्धि अच्छी होगी । इस लिए आशा की जाती है कि 1965–66 में उड़ीसा के कोटे में वृद्धि हो जायेगी ।

## उड़ीसा में चीनी की कमी

1237. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा की चीनी की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि उस राज्य में इस समय चीनी की कमी है;

(ग) यदि हां, तो उस राज्य को पर्याप्त मात्रा में चीनी भिजवाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) उड़ीसा में चीनी का वर्तमान भाव क्या है और देश के अन्य भागों में चीनी के भावों की तुलना में यह कितना है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द्वा० रा० चव्हाण )** : (क) लगभग 50,000 मीट्रिक टन ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केन्द्रों पर शर्करा के प्रचलित खुदरा भाव निम्न प्रकार हैं :—

| केन्द्र | भाव (रु० प्रति किलो) |
|---|---|
| दिल्ली | 1.39 |
| जलन्धर | 1.34 |
| इनदौर | 1.31 |
| कानपुर | 1.26 |
| पटना | 1.28 |
| कलकत्ता | 1.32 |
| बम्बई | 1.26 |
| मद्रास | 1.27 |
| बंगलौर | 1.22 |
| हैदराबाद | 1.27 |
| गोहाटी | 1.34 |
| भुवनेश्वर | 1.31 |

**नलकूप**

1238. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री रामचन्द्र मलिक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1965 तक उड़ीसा में बनाये गये परीक्षात्मक नल-कूपों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या उस राज्य में 1965–66 में ऐसे और नलकूप बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) उड़ीसा में भूमि जल परीक्षण के दौरान 33 परीक्षात्मक छिद्रण किये गये थे जिन में से 20 में सफल रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बिहार में चीनी का कारखाना**

1239. **श्री राम सेवक :**
**श्री फ० गो० सेन :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बनम्खीं में एक चीनी का सहकारी कारखाना खोलने के बारे में वर्त्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस कार्य के लिए मशीनें और संयंत्र जुटा लिये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द्वा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त निगम ने हाल ही में इस सहकारी कारखाने को ऋण देना स्वीकार किया है और अब यह कारखाना प्लान्ट और मशीनों का आर्डर देने के लिए कदम उठा रहा है ।

**कोचीन-कालिकट सड़क**

1240. **श्री कोया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नदियों के साथ की तक तटवर्ती सड़कों द्वारा कोचीन को आलिकट से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ताकि त्रिवेन्द्रम से कालिकट की दूरी कम हों सके, और

(ख) यदि हां, तों उसकी लागत का कोई प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ।

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**पोरक्काट्टरी (केरल) में पुल**

1241. **श्री कोया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्लियेरी-पुथीयागढ़ सड़क पर पोरक्काट्टेरी में पुल तैयार हो गया है और यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आई ;

(ख) क्या सड़क मोटरगाड़ियों के योग्य बना दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) से (ग). उल्लियेरी-पुथियानगढ़ (यह वास्तव में पुडियानगद है ) सड़क राज्य सड़क है । अतः इस के विकास का सम्बन्ध, जिस में पोराक्काट्टेरी पर के पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है, मुख्यतः केरल सरकार से है। राज्य सरकार ने बताया है कि यह पुल 30 सितम्बर, 1964 को 592129 रुपये की लागत से पूरा हो गया । पुडियांगदी से पोंरक्काट्टेरी तक का भाग मोटर गाड़ी चलने योग्य है और बताया गया है कि इस भाग में एक बस सेवा चलती है । आर्थिक कमी के कारण राज्य सरकार ने पोरक्काट्टेरी से उल्लियेरी तक के भाग का विकास मुलतवी कर दिया है ।

**अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन**

1242. **श्री दाजी** :
**श्री वारियर**:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में सहायता करने वाले विदेशी संगठनों के अध्यक्षों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क). 3 फरवरी, 1965 को विस्तार प्रशिक्षण विषयक राष्ट्रीय समिति तथा यू. एस. ऐड, फोर्ड संस्थान और राकफैलर संस्थान के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हुई । इस बैठक में खाद्य और कृषि

मन्त्रालय के कुछ प्रवर अधिकारियों तथा यू. एस. ऐड के उन विशेषज्ञों ने भी भाग लिया जो कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

(ख) बैठक का उद्देश्य यह था कि तकनीकी कार्मिकों के आन्तरिक तथा वाह्य, समस्त साधनों को एकत्रित करके सघन कृषि क्षेत्रों में विस्तार प्रशिक्षण कार्यों को तेज किया जाए और ऐसे तौर तरीके तलाश किये जायें जिनसे कि देश में मौजूदा विदेशी तकनीकी कार्मिक बृहत विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग भी ले सकें और साथ ही साथ उनके नियमित कार्यों में बाधा भी न पड़े।

**भूमि परिरक्षण**

1243. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि-सर्वेक्षण और भूमि परिरक्षण के लिए कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो दल के क्या कार्य होंगे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां ) :** (क) और (ख). देश में व्यापक भूमि सर्वेक्षणों केलिए कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति बनाई गई। समिति के कार्य विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्यों में और केन्द्र में भूमि-सर्वेक्षण संगठन की ज़रूरतों पर विचार करना।

(2) वह तरीका जिसके द्वारा संगठन राज्यों और केन्द्र दोनों में क्रमावस्था में विकसित हो सके।

(3) विश्वसनीय तथा यथार्थ भूमि-सर्वेक्षण को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध।

(4) केन्द्र और राज्यों में कार्य प्रणालियों और कार्य समन्वय में समानता लाने के लिए प्रबन्ध।

(5) देश तथा विदेश में प्रशिक्षण के लिए सुविधायें।

(6) विदेश से मंगाये जाने वाले उपकरण तथा तकनीकी सहायता और हवाई-जहाज़ द्वारा सर्वेक्षण, फोटो-व्याख्या आदि सुविधायें।

आवश्यक सिफारिशें समिति द्वारा कर दी गई हैं और उन पर विचार हो रहा है।

**उत्तर प्रदेश में खाद्य-उत्पादन**

1244. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खाद्य-उत्पादन के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में खाद्य-उत्पादन के लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं और खाद्य-उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान था और वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन के आधार स्तर, जो कि 1960–61 में 138 लाख मीटरी टन था, उसे 1965–66 तक 186 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने प्रस्ताव है । उत्तर प्रदेश में 1961–62, 1962–63 तथा 1963–64 में खाद्यान्न उत्पादन क्रमशः 141, 135 तथा 118 लाख मटरी टन था । 1962–63 तथा 1963–64 में मुख्यतः प्रतिकूल मौसमी स्थिति के कारण ही उत्पादन कम हुआ ।

(ख) उत्तर प्रदेश में जिलेवार खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य उपलब्ध नहीं है । फिर भी, उत्तर प्रदेश में 1961–62, 1962–63 तथा 1963–64 के दौरान में जिलेवार वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन के विषय में जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 4008/65]**

**उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास**

1245. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन सी योजनायें स्वीकृत की गयी हैं ; और

(ख) ये योजनायें उत्तर प्रदेश में कहां तक और कहां कहां क्रियान्वित की गई हैं ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: खादी और ग्राम उद्योगों के विकास के लिए योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हैं । तथापि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये जैसे कि प्रशिक्षण, प्रदर्शन, उत्पादन और अथवा । विक्रय, अनुसन्धान, प्रचार, मशीनों की खरीद और इमारतों आदि के निर्माण के लिये ऐसी योजनाओं के लिये ऋणों और और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । खादी की खुदरा बिक्री पर छूट (6–4–1964 से इसके स्थान पर सूती खादी पर बुनने सम्बन्धी मुफ्त राजकीय सहायता दी जाती है ) और खादी के उत्पादन और विक्रय पर और कुछ ग्राम उद्योगों को और उत्पादन और वक्रय संस्थाओं को भी राजकीय सहायता दी जाती है । कुछ चुने हुए नई किस्म के औजारों पर भी राजकीय सहायता दी जाती है ।

(ख) विभिन्न संस्थाओं, समितियों आदि द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनके नाम और स्थान सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए गए हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०--4009/65]**

**Intensive Agriculture Programme in Uttar Pradesh**

1246. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of districts in Uttar Pradesh where intensive agriculture programme has been taken up; and

(b) the main facilities being provided to the agriculturists under this programme ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library* See *LT No.* 4010/65]

## Agricultural Assistance to U.P.

**1247. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the funds asked for by the Government of Uttar Pradesh as long term, mid-term and short-term loan for agricultural purposes in 1963-64 were met in full ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether the amount given had been fully utilised by the State for the purpose for which it was intended ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) and (b) No. The State Government had asked for long and medium term loan of Rs. 883·323 lakhs during 1963-64. The requirement was examined in the light of the expenditure actually incurred by the State Government during the previous years as also the progress of the expenditure during 1963-64. On this basis a loan of Rs. 802·38 lakhs was sanctioned provisionally during that year.

The request for funds for short-term loans could not be met in full as the bulk of it was made towards the end of the year, when the provision for such loans in the Central Budget had been exhausted.

(c) The information has been called for from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha when received.

## Assistance from U.S.A.

**1248. Shri Vishwa Nath Pandey** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Agriculture, U.S.A. is considering over giving a grant to India to conduct research on insects damaging agricultural commodities stored in godowns ?

(b) if so, when and where the research work will be undertaken ; and

(c) the amount of grant expected ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) The U.S. Department of Agriculture have already agreed to make two grants for the purpose. No other proposal is under consideration.

(b) and (c) Particulars of the schemes are given below :

| | Name of the Scheme | Duration | Institution which is undertaking research | Amount provided |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Rs |
| 1. | Resistance of two major stored grain pests in world collection of wheat | Three years (31-12-64 to (30-12-67) | Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. | 72,096 |
| 2. | Investigation on the physiology of the Khapra beatle, *Trgoderma granaram* with emphasis on fat metabolism. | Five years (22-12-64 to 24-12-69) | M.S. University of Baroda | 1,61,400 |

Work on both schemes has already started.

**आगरा-बम्बई सड़क**

1249. **श्री पाराशर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वालियर और इन्दौर के बीच आगरा-बंम्बई सड़क को चौड़ा करने में क्या प्रगति हुई है ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 3 की आगरा-बम्बई सड़क के ग्वालियर -इन्दौर भाग की लम्बाई 303 मील 4 फर्लांग है । इस में से 30 मील 6 फर्लांग लम्बाई के टुकड़ों को चौड़ा कर दिया गया है । और भागों को चौड़ा करने का काम चौथी पंचवर्षीय आयोजना काल में करने का विचार है बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

**दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

1250. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 फरवरी, 1965 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना संकट में पड़ गई है" क्यों क अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा निर्दिष्ट औषधियां प्रायः स्वीकृत सूची में नहीं होती हैं जिसके फलस्वरूप रोगियों को दवा पाने के लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई उपाय खोजा जा रहा है ?

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) जी हां । विशेषज्ञों द्वारा बताई गई दवाइयों को लेने में देरी का कारण यह है कि विशेषज्ञ दवाइयों के नाम औषध विज्ञान के आधार पर नहीं बताते जिसकी कि उन्हें सूची दी होती है अपितु उनके व्यापारिक नाम बताते हैं । कभी कभी उनको जो सूची दी गई है वे उनसे बाहर भी दवाइयां बताते हैं । बीमाकृत व्यक्ति समान्यतः समान चिकित्सीय गुणों वाली दूसरी औषधियों को स्वीकार नहीं करते, वे केवल उन्हीं दवाइयों को लेने पर आग्रह करते हैं जो विशेषज्ञों ने बताई होती हैं ।

(ख) विशेषज्ञों से कहा गया है कि वे अपने नुसखे उन्हीं दवाइयों में से लिखें जो विशेषज्ञ सूची में दी गई हैं । चिकित्सा लाभ परिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मान्य औषध-कोष, जिस में विशेषज्ञ की सूची भी शामिल है, के पुनरीक्षण के लिये एक उपसमिति नियुक्त की है ।

## उर्वरकों का वितरण

1251. श्री कोया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामपुरे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्य और किसानों को इनके वितरण के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कब तक प्रतिवेदन देने की सम्भावना है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि समिति 31 मई, 1965 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

## पूसा इंस्टिट्यूट, दिल्ली

1252. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा इंस्टिट्यूट, दिल्ली की दक्षिणी सीमा से पत्थर की सीढ़ियां हटाने से और पक्की सड़क को निकटवर्ती दिल्ली विकास प्राधिकारी की कालोनी तक बढ़ा देने से, केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन में स्थित खाद्य विभाग के गोदाम और रिंग रोड पर स्थित इसके गोदामों के बीच की दूरी 3/4 कम हो सकेगी : और

(ख) क्या इसके फलस्वरूप दोनों स्थानों के बीच अनाज की ढुलवाई पर प्रति मास हजारों रुपये की बचत हो जायेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**:(क) जी, हां । दोनों गोदामों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सी०टी०ओ० गोदाम और नरायणा में रिंग रोड पर स्थित गोदाम में सामान्यत: एक दूसरे में कोई खाद्यान्न लाया ले जाया नहीं जाता है ।

## पालम हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग

1253. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे (दिल्ली) पर वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग को बढ़ाने या उस में फेर-बदल करने में आज तक क्या प्रगति हुई है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(ख) क्या पालम हवाई अड्डे की विद्यमान दशा के बारे में समाचार पत्रों में हाल ही में की गई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूगो)** : (क) लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सारा काम लगभग 2 महीनों में पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) पालम पर एक नये टर्मिनल कम्पलैक्स के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की जा रही है। तब तक अतिरिक्त निर्माण-कार्य चालू है और इसके पूरा होने पर, वास्तव में, एयर लाइंस और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी। हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं तथा सुख-साधनों में अन्तरिम प्रकार की कुछ और सुविधाएं, जो सक्रिय विचाराधीन है, सुधार भी करेंगी।

## भूमि संरक्षण

1254. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में भूमि संरक्षण के लिए उड़ीसा को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और किस प्रकार की योजनाओं पर यह व्यय की गई ; और

(घ) 1965-66 में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है या करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग) भूमि-संरक्षण योजनायें जो स्टेट प्लान में शामिल हैं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 1964-65 के दौरान उड़ीसा को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजनायें कृषि भूमि के इर्द-गिर्द परिधि-रेखा निकालने, वनरोपण, "चैक डैमिंग" परिवाह रोधन, आदि के लिए है।.. स्टेट प्लान योजनाओं के लिए मौजूदा कार्यप्रणाली के अनुसार इन शीर्षकों पर कुल होने वाले खर्च के आधार पर विभिन्न विकास शीर्षकों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि राज्य सरकार ने स्टेट प्लान में शामिल भूमि संरक्षण योजना पर अलग से कितनी राशि खर्च की है और केन्द्र द्वारा इन योजनाओं के लिए कितनी राशि दी जा रही है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1964-65 में राज्यों की नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्रहों में भूमि संरक्षण कार्य विषयक केन्द्र द्वारा परायोजित योजनाओं पर लगभग 32.68

लाख रुपये खर्च होंगे। प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार इतनी मात्रा तक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में सहायता देना स्वीकार कर लेगी।

(घ) अभी तक यह निश्चय नहीं किया गया है कि इस कार्य के लिए उड़ीसा सरकार को 1965-66 में कितनी धनराशि दी जायेगी। कार्यकारी दल ने उड़ीसा सरकार से परामर्श करके यह सिफारिश की है कि स्टेट प्लान योजनाओं के लिए जिसमें कि चौथी योजना के लिए अग्रिम कार्य की योजनायें भी शामिल हैं, 44.00 लाख रुपये दिये जायें और केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के लिए 45.00 लाख रुपये दिये जायें।

## मीन-क्षेत्रों का विकास

1255. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गहरे जल में मछली पकड़ने के बारे में कोई योजना पेश की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है और यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित की जायेगी ;

(ग) क्या ऐसी कोई अन्य योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उड़ीसा के उत्तरी तट पर यन्त्रीकृत नावों से तटीय पानी में मछली पकड़ने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम के अधीन नवम्बर, 1964 में एक योजना स्वीकार की गई है। अनुमोदित परिव्यय रु0 4.88 लाख है।

## तम्बाकू की खेती

1256. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1963-64 तथा 1964-65 में तम्बाकू की खेती के लिए उड़ीसा राज्य को कोई सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि मंजूर की गई अथवा नियत की गई ;

(ग) कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) 1965-66 में उस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है या करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (घ) 1963-64 तथा 1964-65 के वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया जो विशेष रूप से तम्बाकू की खेती के लिए निर्धारित किया गया हो। 1965-66 की अवधि में भी ऐसा कोई अनुदान देने का प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा कार्यप्रणाली के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्यों को केवल "विकास" के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत दी जा रही है "योजनावार" नहीं। राज्य सरकार ने इस सहायता में से तम्बाकू की खेती के लिये कितना धन उपयोग किया है इसके अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## सिलचर-शिलांग सड़क पर पुल

1257. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लुवहा नदी पर सिलचर-शिलांग सड़क (राष्ट्रीय राजपथ) पर पुल बन गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सड़क को बनाने में कितना समय लगेगा ताकि इस का सभी ऋतुओं में उपयोग किया जा सके ;

(ग) क्या इस सड़क पर अन्य तीन मुख्य नदियों पर भी पुल बनाये जा चुके हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

**परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ) सिलचर-शिलांग सड़क राष्ट्रीय मुख्य मार्ग नहीं है। यह राज्य सरकार की सड़क है जिसके विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। इसके महत्व को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने जोवाई से बदरपुर तक के भाग के निर्माण का खर्चा पूरा करने की जिम्मेदारी ले ली है। कुछ भागों में गुणोत्तर सुधार के सिवाय पूरी सड़क पूरी हो गई है। इस सड़क में चार पुलों का निर्माण होना है, अर्थात् लुभा, आफ़ा, गुमरा और वालेस्वर नदियों के ऊपर के पुल। गुमरा पुल पहले ही पूरा हो गया है। आफा पुल तैयार होने वाला है। लुभा पुल के निर्माण का ठेका मेसर्स गमन इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है और वे काम शुरू करने वाले हैं और संभवतः तीन वर्ष में उसे पूरा कर देंगे। वालेस्वर के पुल का निर्माण कार्य जारी है और 19 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। पुलों के निर्माण में बिलम्ब होने का कारण यह है कि कठिन और अगम्य स्थानों पर स्थित इन पुलों के निर्माण कार्य के लिए उचित ठेकेदार नहीं मिलते हैं।

## कृषि अनुसंधान

1258. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में देश में कृषि अनुसन्धान के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अनुदानों के रूप म कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या इस अनुदान में राज्य सरकारों अथवा गैर-औद्योगिक संगठनों का भी कुछ अंशदान था; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) 1963-64 की अवधि में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अनुदान के रूप में 39.96 लाख रुपये दिये गये थे। 1964-65 के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

## कृषि पत्रिकायें

**1259. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश में कितनी कृषि पत्रिकायें तथा साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) वे किन-किन भाषाओं में, कितनी संख्या में तथा कितनी अवधि के बाद प्रकाशित होते हैं ;

(ग) अगस्त 1947 में उनकी संख्या क्या थी ; और

(घ) देश में ऐसे पत्रों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या विशेष प्रोत्साहन दिये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) और (ख) देश में प्रकाशित कृषि सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं की कुल संख्या 135 है। पत्रिकाओं के नाम, भाषा, आवधिकता तथा प्रतियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण (विवरण 1) सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4011/65]**

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) विवरण (विवरण 2) सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4011/65]**

## खाद का वितरण

**1260. श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि गैर-सरकारी उर्वरक कारखाने जिनको रसायन-पदार्थों के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं, अपने बने उर्वरकों को अधिक मूल्यों पर दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योग से अनुरोध किया है कि उर्वरकों का वितरण सहकारी एजेन्सी द्वारा किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी उत्पादकों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) देश में तैयार होने वाले रासायनिक उर्वरक दो प्रकार के हैं, नाइट्रोजनपूरक तथा फासफोरस-पूरक।

नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों का क्रय तथा राज्यों और बागान आदि अन्य दिलचस्पी लेने वालों को उसका वितरण केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा होता है। इसमें मैसूर में तैयार होने वाला थोड़ा-सा अमोनिया सल्फेट तथा वाराणसी में तैयार होने वाला अमोनिया क्लोराइड शामिल नहीं है जो कि विनिर्माताओं द्वारा स्वयं वितरित किया जाता है। जहां तक किसी राज्य में आन्तरिक वितरण का सम्बन्ध है, यह कार्य सहकारी संस्थाओं तथा अन्य निकायों के माध्यम से सम्बन्धित राज्य सरकारें करती हैं। इस समय अधिकांश राज्यों में वितरण का कार्य सहकारी संस्थाओं को सौंपा हुआ है :

फासफोरसपूरक उर्वरकों का वितरण विनिर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाता है। विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे सुपरफासफेट का वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करें ताकि कृषक लोग अपनी उर्वरक सम्बन्धी समस्त मांग एक ही डिपो से पूरी कर सकें। यह सुझाव समस्त विनिर्माताओं ने स्वीकार कर लिया है और वे फासफोरसपूरक उर्वरकों का वितरण यथासम्भव सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करते हैं।

**प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र**

1261 **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वन बोर्ड ने दो प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों द्वारा किस प्रकार का अनुसन्धान किया जायेगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) दो प्रादेशिक वन अनुसन्धान केन्द्र जिन में एक उत्तर-पूर्वीय प्रदेश गोहाटी में और दूसरा केन्द्रीय प्रदेश जब्बलपुर या उसके समीप स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) गोहाटी केन्द्र निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत प्रादेशिक समस्याओं पर अनुसन्धान करेगा :—

वन विज्ञान, भूमि विज्ञान, इमारती लकड़ी का उपयोग, रसायन विद्या और वन-पदार्थों का कवक-विज्ञान।

इसी प्रकार जब्बलपुर केन्द्र भी निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत प्रादेशिक समस्याओं पर अनुसन्धान करेगा :—

वन विज्ञान, भूमि विज्ञान, इमारती लकड़ी का उपयोग और वन रक्षा।

## ऋण पर ब्याज की दर

1262. **श्री तन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले अल्पकालीन तथा मध्य-कालीन ऋणों पर ब्याज की दरों में राज्यवार क्या विभिन्नतायें हैं ; और

(ख) एकरुपता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालयमें उपमंत्री(श्री शाह नवाज़ खां)**: (क) जहां तक सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले अल्प तथा मध्यकालीन ऋणों का सम्बन्ध है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कृषकों को दिये गये ऋण पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों से ब्याज वसूल करती है। 1962–63 की अवधि के लिए ऐसे अग्रिम धनों पर लगे ब्याज की तालिका सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 4012/65]** तालिका से पता लगता है कि साधारण दरें 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक हैं। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अल्प तथा मध्यकालीन तकावी ऋणों का संबंध है, ब्याज की दरें 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक हैं। इस प्रकार के ऋणों पर लगे ब्याज की दरों के बारे में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जहां तक सहकारी ऋणों के ब्याज की दरों का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर 1960 तथा 1962 में विभिन्न समितियों ने विचार किया है। इस सम्बन्ध में तकावी ऋण तथा सहकारी ऋण (1962) विषयक पटेल समिति की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों को भेजे गए मुख्य निष्कर्षों का एक उद्धरण नीचे दिया गया है :—

> "सहकारी समितियों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज के बारे में समस्त देश के आधार पर कोई एक सी दर निर्धारित करना सम्भव नहीं है। ब्याज की दरें व्यावहारिक होनी चाहियें और ये "मनी मार्किट" तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिये जाने वाले उपदान पर निर्भर होगी। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिये जाने वाले सहकारी तथा तकावी ऋणों पर एक संग्रहित दर वसूल किया जाना चाहिए। ऐसे ही प्रयोजनों तथा ऐसी ही अवधियों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज की दरें निधि के स्रोतों का ख्याल किये बिना समान होनी चाहियें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ब्याड की दरें अनुचित और बहुत अधिक न हों और प्राय: 8 प्रतिशत से कम होनी चाहिये। समय समय पर इन दरों में संशोधन होना चाहिए ताकि उन्हें उचित स्तर तक नीचे गिराया जाये।"
>
> (नोट : जब से यह सिफारिश हुई है बैंक की दरों में $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक दो बार कमी की गई है। )

जहां तक खाद्य उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की वसूली का सम्बन्ध है 1952 में राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि गैर-सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से प्रशासनिक खर्चा तथा इन सौदों में होने वाली हानियों के खतरों का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जिस दर पर ऋण दिये हैं उनसे $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक ब्याज वसूल न किया जाए।

## राजस्थान में भू-सर्वेक्षण

1263. **श्री तन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जिन क्षेत्रों में राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई होगी क्या उनमें भू-सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकला ; और

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार एक विशेष किस्म की फसलें उगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां)**: (क) जिन क्षेत्रों में राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई होगी उनमें राजस्थान सरकार भू-सर्वेक्षण कर रही है। सर्वेक्षण चालू है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

## दिल्ली-बम्बई उड़ान

1264. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार दिल्ली-बम्बई उड़ानों में वृद्धि करने तथा कुछ अन्य मार्गों पर जेट सेवा चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) : जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस 1 अप्रैल 1965 से निम्नलिखित जेट सेवायें चालू करने का विचार रखती हैं :—

**करावेल सेवायें**

| | |
|---|---|
| दिल्ली-बम्बई | . 3 दैनिक सेवायें |
| दिल्ली-कलक्ता | . 2 दैनिक सेवायें |
| बम्बई-मद्रास (बंगलौर होती हुई) | . 1 दैनिक सेवा |
| दिल्ली-मद्रास | . 1 दैनिक सेवा |

**बोइंग सेवायें**

| | |
|---|---|
| बम्बई-कलकत्ता . . | . 1 दैनिक सेवा |

**मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में पानी की व्यवस्था**

1265. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
**श्री उइके :**
**डा० चन्द्रभान सिंह :**
**श्री वाडीवा :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों ने प्रार्थना की है कि पानी की समस्या वाले 3000 आदिवासी गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिये, जिन के लिए योजना में उपबन्ध नहीं किया गया है, पूरी वित्तीय सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन की प्रार्थना पर अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी, हां ।

(ख) अभी निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा क्योंकि मामले में विस्तृत जांच अपेक्षित है ।

**चीनी**

1266. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में हर एक लाख व्यक्तियों के लिये चीनी का कितना स्टाक उपलब्ध है ;

(ख) क्या आसाम में चीनी के सम्भरण की स्थिति से वहां अत्यधिक अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सम्भरण बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):** (क) स्टाक उत्पादक राज्यों में फैक्ट्रियों के पास होते हैं । प्राप्त होने पर यह उपभोक्ता क्षेत्रों में वितरित कर दिये जाते हैं । राज्यानुसार एक लाख जनसंख्या के लिए शर्करा के उपलब्ध स्टाक का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग) : रेलवे विभाग द्वारा परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप शर्करा लाने ले जाने में कठिनाई होने के कारण हालही में आसाम में कुछ शर्करा की कमी, की रिपोर्ट मिली थी । पिछले दो सप्ताहों में लगभग 5,000 मीट्रिक टन शर्करा अधिकतर विशेष रेलगाड़ियों द्वारा भेजी गई है । स्थानीय फैक्ट्री द्वारा भी 1250 मीट्रिक टन शर्करा दी गई है ।

## कृषि वस्तुओं के मूल्य

1267. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग विभिन्न कृषि वस्तुओं के उचित न्यूनतम तथा लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषक संगठनों से परामर्श कर रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) कृषि मूल्य आयोग को अपनी क्रियाविधि स्वयं तय करने का अधिकार दिया गया है। आयोग ने अभी कार्य शुरू किया है और आशा है कि वह ऐसी क्रियाविधि तलाश करेगा जिससे कि वह अपनी सिफारिशें पेश करने से पहले ओरों से परामर्श करने के साथ साथ कृषकों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श लेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

## कीटनाशक पदार्थों का आयात

1268. **श्री जसवन्त मेहता :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विभिन्न फसलों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों में कुल एकड़ कृषि भूमि की कितने प्रतिशत भूमि पर कीटनाशक पदार्थ छिड़के गये ; और

(ख) इसी अवधि में कितनी मात्रा में कीटनाशक पदार्थों का आयात किया गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां** (क) गत वर्ष लगभग 10 प्रतिशत कृष्ट क्षेत्र में पौध रक्षा सम्बन्धी उपाय किये गये। आंकड़ों को इक्ट्ठा करने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) उसी अवधि के दौरान लगभग 8,200 टन कीटनाशक औषधियां आयात की गई।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### पश्चिमी बंगाल सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के जमाव के समाचार

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :—

> "पश्चिमी बंगाल में बेरुबारी की सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स की दो नई बैट्लियनो के जमाव और उस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा 600 एकड़ भारतीय क्षेत्र पर कथित अधिकार ।"

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : पश्चिम बंगाल सरकार को जलपाईगुड़ी में उनके जिला अधिकारीयों से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें यह कहा गया है कि 3 मार्च, 1965 की सबेरे पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के लगभग 15 सदस्यों ने ग्राम काजल डिघी, परानीग्राम, थाना कोतवाली, जिला जलपाईगुड़ी में कार्तिक पहाड़िया की जमीन पर ग़ैर-कानूनी प्रवेश किया और उस भारतीय राष्ट्रिक को धमकी दी जबकि वह अपनी जमीन पर काम कर रहा था। 4 मार्च, 1965 को, पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारी कार्तिक पहाड़िया की जमीन पर फिर चले आए, लेकिन जब उन्होंने भारतीय सीमा पुलिस को देखा तब वे सीमा पार कर पूर्व पाकिस्तान में वापस चले गए।

8 मार्च को दोपहर बाद, एक बार फिर पूर्व पाकिस्तान राइफल्स का एक गश्ती दस्ता भारतीय प्रदेश के लगभग 100 गज अन्दर घुस आया, लेकिन 4 मार्च की तरह, जब पाकिस्तानी कर्मचारियों ने उस इलाके में भारतीय गश्ती दस्ते को देखा, तो वे वापस चले गए।

जिस क्षेत्र में यह ग़ैर-कानूनी प्रवेश हुआ है, वह बेरूबारी यूनियन नं० 12 से लगा हुआ है और इसी के संबंध में 1958 में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच करार हुआ था। इस इलाके का रेखांकन नहीं हुआ है और अभी कुछ समय पहले तक वहां घना जंगल था। कार्तिक पहाडियां और उसके आदमियों द्वारा इस इलाके की जमीन को खेती योग्य बनाने और उस पर खेतीबाड़ी करने के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुआ है। सीमा पार के कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने इस जमीन पर अपना दावा किया और कार्तिक पहाडिया और उसके साथियों के सामान्य कार्य में दखल डालने की कोशिश की। वह इलाका और जमीन, जिस पर विवाद खड़ा हुआ, भारतीय राष्ट्रिकों के कब्ज़े में रही है।

इस इलाके में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश को ध्यान में रखते हुए, वहां पर पश्चिम बंगाल सीमा पुलिस की शक्ति बढ़ा दी गई है। मालूम हुआ है कि कार्तिक पहाड़िया की जमीन के सामने पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक भी पूर्व पाकिस्तान प्रदेश में इक्ट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ की सीमांत पुलिस कुछ सौ गज़ की दूरी पर आर-पार एक दूसरे के सामने तनी खड़ी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी पुष्टि की है कि इस इलाके में भारतीय प्रदेश का कोई भी भाग पूर्व पाकिस्तान राइफल्स अथवा किसी अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिक के कब्ज़े में नहीं है। 13 माच, 1965 को पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार के पास पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारियों के भारतीय प्रदेश में अवैध रूप से प्रवेश करने और कार्तिक पहाड़िया की खेती संबंधी सामान्य कार्रवाइयों में दखल देने पर विरोध प्रकट किया। उन्होंने कार्तिक पहाड़िया की ज़मीन के सामने पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों का जमाव करने और इस इलाके में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स द्वारा कुछ खाइयां खोदने के खिलाफ़ भी विरोध-पत्र भेजा। डिविज़नल कमिश्नर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ़ पुलिस ने उस जगह का दौरा किया है। कार्तिक पहाड़िया की सुरक्षा करने और कोई अन्य अवैध प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरती गई है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुए एक करार के अन्तर्गत बेरूबारी यूनियन न० 12 के क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले करना था परन्तु उच्च न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय की दृष्टि से सरकार अग्रेतर कार्यवाही न कर सकी, क्या सरकार उस से अवगत है कि पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के बाध्य

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

नहीं है और इसलिये इस बेरूबारी क्षेत्र को वे अपने कब्जा में लेना चाहते हैं ? इन परिस्थितियों में क्या यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वे इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाये जिसमें पाकिस्तानियों ने तीन से 13 मार्च तक 4 अथवा 5 बार अवैध रूप से प्रवेश किया है और जहां पर दोनों तरफ की सीमान्त पुलिस 500 गज की खंदकों के आर-पार एक दूसरे के सामने तनी खड़ी है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैंने पहले यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अवैध प्रवेश करने के प्रयत्न किये गये थे परन्तु उनको हमने पीछे धकेल दिया । अग्रेतर अवैध प्रवेश को रोकने के लिये पर्याप्त कदम उठाये गये हैं । बेरूबारी यूनियन सम्बन्धी करार तथा इस बारे में पश्चातवर्ती मुकदमेंबाजी के प्रश्न को पहले एक से अधिक बार उठाया जा चुका है और सरकार ने कई अवसरों पर इस मामले की व्याख्या भी कर दी है । दो सरकारों के बीच करार है और यह कानूनी अड़चन भी है परन्तु हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि जब तक करार में उल्लिखित नियत तारीख का फैसला नहीं हो जाता तब तक यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाये ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार भारतीय क्षेत्र को अपने कब्जे में बनाये रखेगी और उस यथापूर्व स्थिति को बनाये रखने के लिये बल प्रयोग करेगी ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : जी, हां, वही यथापूर्व स्थिति है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भारत में न्यायालयों के निर्णय की दृष्टि से क्या सरकार इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने की बजाये अपने कब्जे में ही रखेगी ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : वह निर्णय कौनसा है जिस का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वैदेशिक कार्य मंत्री होने के नाते उन्हें यह सब जानना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि करार के अन्तर्गत यह जो क्षेत्र पाकिस्तानियों को सौंपा जाना था, क्या वह अब हमारे पास ही रहेगा अथवा उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी यह क्षेत्र पाकिस्तानियो को सौंप दिया जायेगा ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : आपको याद होगा कि इस करार के अन्तर्गत कुछ राज्य क्षेत्र अथवा क्षेत्र भारत में आने थे और कुछ पाकिस्तान में मिलाये जाने थे । सरकार की इच्छा इस करार को पूरा करने की थी और अब भी है । जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है, यदि कोई निर्णय दिया जायेगा तो सरकार उसका पालन करेगी ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह सब समाचार पत्रों में आ चुका है । वैदेशिक-कार्य मंत्री को उसका पता होना चाहिये ।

**श्री प० चं० बर्मन** (कूच-बिहार) : उन स्थानों के नाम क्यां हैं जहां पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये सशस्त्र पुलिस दल तैनात किये गये हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं। मैं यह जानकारी नहीं दे सकता हूं।

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या वह उन स्थानों के नाम जानते हैं ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह सब समाचारपत्रों में आ चुका है। वह इसे गुप्त क्यों रखना चाहते हैं ?

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : Have the Government given any thought to this matter that these two Battalions which have been posted there, have not sprung up suddenly, they may have taken 4 to 6 months in this preparation.? Have Government received any report since when they were making preparations and when these two Battalions came into this formation ?

**Shri Swaran Singh** : I have made no mention of the two Battalions. The information which I have given to the House, does not contain any reference to the two Battalions.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : क्या इससे हम यह निष्कर्ष निकालें कि सरकार उच्च-न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखने की वांछनीयता के बारे में पाकिस्तान सरकार को संतुष्ट करने में असफल रही है ; और यदि हां, तो राजदूतीय स्तर पर समझौता करने के लिये क्या कोई अन्य कदम उठाने का विचार है ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम इस क्षेत्र को उनके हवाले नहीं कर सकते हैं।

**श्री स्वर्ण सिंह** : वैधानिक कठिनाई की दृष्टि से भारत सरकार न तो इस क्षेत्र को उनके हवाले कर सकती है और न ही हवाले करेगी।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री के विवरण में बताया गया है कि हमारे राज्य क्षेत्र से २०० गज के भीतर पाकिस्तानी सशस्त्र बल इकट्ठे हो रहे हैं। पहले भी उन्होंने हमारे अमल से कुछ कागजात छीन लिये थे जब वहां सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा था। पाकिस्तान की इस प्रकार की उत्तेजिक कार्यवाही की दृष्टि रो क्या मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वे अपने निर्णय का पुनरीक्षण करेंगे और उस राज्य क्षेत्र को उनके हवाले नहीं करेंगे जिसको हवाले करने के लिये पहले गलती से वचन दिया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक नीति का प्रश्न है जिसका उत्तर एक प्रश्न में, जिसका अभिप्राय केवल स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है, नहीं दिया जा सकता।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वे अपने निर्णय का पुनरीक्षण करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। यह एक सुझाव है और वे इस पर विचार करेंगे। परन्तु इसका उत्तर एक अनुपूरक प्रश्न में नहीं दिया जा सकता।

**श्री स० मो० बनर्जी :** उन्होंने पाकिस्तान को ६०० एकड़ भूमि दे दी है। जो कुछ हुआ है हमें पता ही नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई नई बात नहीं है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** श्रीमन्, इस ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में इतना समय लगा है और इस किस्म के उत्तर . . .

**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं उन्हें निर्णय को बदलने के लिये कह सकता हूं ?

**श्री स० मो० बनर्जी :** श्रीमन्, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । श्री कछवाय ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : May I know how much Indian land has been occupied by Pakistan in Berubari, Kutch, Kashmir and Bengal. Since this matter is not directly related to the Minister of External Affairs I want to know from the Prime Minister, whether he proposes to entrust this matter to the Defence Minister. Since this matter could not be settled through prolonged correspondence and in view of the fact that the enemy was going on occupying our territory, may I know whethr any military action is proposed to be taken ?

**Shri Swaran Singh** : What should I say about it. The whole Government is one. There is no question of making some one specially responsible for something. I would submit that we may not like certain things, but it would not be correct to think of taking military action in a hurry ?

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : I had asked from the Prime Miniser whether he was going to entrust this matter to the Defence Minister.

**Mr. Speaker** : He says that he is not going to entrust this matter to him.

**श्री दाजी (इन्दौर) :** क्या भारत सरकार ने बेरूबारी के बारे में उस तथाकथित वैधानिक कठिनाई के बारे में पाकिस्तान को लिखा है और क्या पाकिस्तान सरकार ने उसका कोई उत्तर दिया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** पाकिस्तान सरकार इस वैधानिक कठिनाई से अवगत है । पाकिस्तान सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस कठिनाई को सुलझाना तो भारत सरकार का काम है और कि भारत सरकार को करार के अन्तर्गत दायित्वों को क्रियान्वित करना चाहिये ।

**श्री दाजी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मेरा प्रश्न था कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस बारे में लिखा था और क्या पाकिस्तान ने उसका कोई उत्तर दिया । इसका उत्तर यह दिया गया है कि पाकिस्तान सरकार इससे अवगत है। मेरी समझ में नहीं आया कि वे इससे कैसे अवगत हैं। क्या समाचारपत्रों द्वारा अथवा अन्यथा । मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार ने इस वैधानिक कठिनाई के बारे में पाकिस्तान सरकार को लिखा था और क्या पाकिस्तान से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है । मैं यह नहीं जानना चाहता कि पाकिस्तान सरकार किस बात से अवगत है ··· **(अन्तर्बाधाएं)**

**श्री स्वर्ण सिंह :** हमने इस वैधानिक कठिनाई के बारे में पाकिस्तान सरकार को लिखकर बता दिया है ।

**Shri Naval Prabhakar** (Karol Bagh) : It has been mentioned in the statement that a protest note was sent to Pakistan, may I know their response thereto ?

**Shri Swaran Singh** : I do not know as to which protest note the hon. Member is referring to. I have referred to a number of things therein.

**Shri Nawal Prabhakar** : The hon. Minister said that the Government of West Bengal had sent a protest note to Pakistan, may I know whether any reply has been received ; and if so, what is that ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : श्रीमन्, मैंने पहले ही बता दिया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकितान सरकार से पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के इकट्ठा होने के विरुद्ध विरोध किया, जिसके फलस्वरूप खण्ड आयुक्त तथा पुलिस के उप-महा निरीक्षक ने उस स्थान का दौरा किया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई उत्तर प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। जहां तक मुझे पता है उन्हें अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री कृ० चं० भट्टाचार्य** (रायगंज) : माननीय मंत्री ने इस मामले के सम्बन्ध में कल पाकिस्तान के उच्च-आयुक्त से भेंट की थी तो उन्होंने इस प्रश्न पर पाकिस्तान के उच्च-आयुक्त के समक्ष क्या दृष्टिकोण रखा और उन्हें क्या उत्तर मिला ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : इस प्रश्न के बारे में मैंने पाकिस्तान के उच्च-आयुक्त से कल कोई भेंट नहीं की।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : May I know the number of Pakistani intrusions into our territory in Berubari since 10th February and the loss of life and property as a result thereof ?

**Shri Swaran Singh** : It has been mentioned in the statement that there was no loss of property and life.

**Mr. Speaker** : The hon. Member is unnecessarily getting angry without listening the answer. He says that there was no loss of property and life Now you have got the answer or not.

**Shri Onkar Lal Berwa** : Not yet Sir. Four men were killed and our territory had been raided six times after 10th February.

**Mr. Speaker** : If the hon. Minister says that 4 persons were killed then it would be the reply and if he says that there was no loss of life then that is not the reply.

**Shri Onkar Lal Berwa** : That was wrong.

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रमाणित लेखे--लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।**

**विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1962-63 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति, उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(दो) ऊपर (एक) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3998/65]**

**अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे ।**

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : मैं श्री दा० रा० चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक 4 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 387 में प्रकाशित उड़ीसा चावल वसूली (आरोपण) तीसरा संशोधन आदेश, 1965 ।

(ख) दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 389 में प्रकाशित भारतीय ज्वार (मांड बनाने में उपयोग का निषेध) आदेश, 1965 ।

**[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल. टी. 3999/65]**

(दो) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत, केन्द्रीय भाण्डागार निगम की वर्ष 1963–64 की वार्षिक रिपोर्ट तथालेखे की एक प्रति, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 4000/65]**

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1964–65 के पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा वर्ष 1965–66 के आय-व्ययक प्राक्कलन ।**

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : श्रीमान, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1964–65 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष 1965–66 के (आय व्ययक) प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई/देखिये संख्या एल. टी. 4001/65]**

**भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग को दिये गये भारत सरकार के दिनांक 13 मार्च, 1965 की टिप्पणी ।**

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : श्रीमान, मैं भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग को दिए गए भारत सरकार की (टिप्पणी) दिनांक 13 मार्च, 1965 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई/देखिये संख्या एल. टी. 4002/65]**

**सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना ।**

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू):** श्रीमान, मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, दिनांक 6 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 426 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल. टी. 4003/65]**

---

# कार्य मन्त्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### पैंतीसवां प्रतिवेदन

**संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो 15 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में केरल आय-व्ययक तथा अनुपूरक मांगों पर सामान्य चर्चा के लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है । संसद-कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होते ही शीघ्र आरम्भ हो जायेगी किन्तु आदेश-पत्र में केरल आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के लिए शुक्रवार को समय नियत किया गया है । मेरा एक सुझाव है कि सोमवार, 22 तारीख को प्रश्नकाल के पश्चात सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ की जाये और सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद केरल आय-व्ययक के उस भाग पर चर्चा प्रारम्भ की जाये जिस पर चर्चा नहीं हुई है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सर्व-सम्मति से यह निश्चय किया गया था कि 22 तारीख को प्रश्नकाल के पश्चात तुरन्त सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ की जायेगी । मेरा एक अनुरोध है कि संसद-कार्य मंत्री सदस्यों की सुविधा के लिए विभिन्न मंत्रालयों की समय-सारिणी अथवा अनुसूची बता दें ताकि सदस्यगण चर्चा- अनुसूची के अनुसार अपना कार्यक्रम बना सकें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे आशा है कि वह ऐसा करेंगे ।

**श्री सत्यनारायण सिंह :** श्री मसानी द्वारा उठाया गया प्रश्न पूर्णतः उचित है । हम भी उलझन में फंसे हुए हैं । हमारी धारणा यह थी कि केरल में कोई सरकार बन जायेगी और उस हालत में हमें केरल आय-व्ययक पर यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । किन्तु केरल में अभी तक कोई भी सरकार नहीं बन पायी है । ऐसी कोई भी आशंका पहिले नहीं थी । अतः ऐसी परिस्थिति में केरल आय-व्ययक संसद द्वारा स्वीकृत न किये जाने पर एक उलझन पूर्ण स्थिति पैदा हो जायेगी । इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभा से केरल आय-व्ययक को पहिले लेने के लिए अनुरोध करेंगे । इसके पश्चात् आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी ।

**अध्यक्ष महोदय :** राज्य-सभा 31 तारीख तक बैठ रही है। अतः क्या केरल आय-व्ययक पर चर्चा के लिए कोई सुविधा जनक तिथि नहीं निकल सकती है ?

**श्री सत्यनारायण सिंह :** मैं समझता हूं कि यह चर्चा 28 तारीख तक चलेगी और उसके बाद समय नहीं मिलेगा ।

**श्री मी० रु० मसानी :** यह चर्चा 25 तारीख तक चलेगी ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि सम्भव हो, तो वह इस पर विचार करें ।

**श्री हरिविष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : तब मेरा एक सुझाव है कि सदस्यों को किसी भी विशेष मंत्रालय पर चर्चा आरम्भ होने के कम से कम पांच दिन पूर्व उस मंत्रालय का प्रतिवेदन मिल जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो 15 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

---

# समिति के लिए निर्वाचन

# ELECTION TO COMMITTEE

## राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि मंत्रालय (वर्तमान खाद्य तथा कृषि) के समय समय पर संशोधित संकल्प संख्या एफ० 16--72/47 पालिसी दिनांक 8 नवम्बर, 1948 के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति की आगामी कार्य विधि के लिए उसके सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

**श्री रंगा** (चित्तूर) : इस समिति को बने हुए कई वर्ष हो गये हैं किन्तु इसे कोई प्रभावी कार्य नहीं दिया गया है। अमेरिका, कनाडा और इंगलैंड में इस समिति को विभिन्न कृषि सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के बाद अपने विचार प्रकट करने के कई अवसर मिलते हैं जिससे कि सरकार और खाद्य तथा कृषि संगठन दोनों को ही लाभ होता है। किन्तु हमारे देश में इस समिति की बहुत उपेक्षा की गई है : उचित यह है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बंधित किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व, उस समिति के एक अथवा दो वर्ष पहिले के क्रियाकलापों से सम्बंधित एक प्रतिवेदन सदस्यों के सूचनार्थ परिचालित किया जाना चाहिए जिससे कि सदस्यों को उसके वास्तविक कृत्यों के बारे में ज्ञान हो सके ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कृषि मंत्रालय (वर्तमान खाद्य तथा कृषि) के समय समय पर संशोधित संकल्प संख्या एफ० 16-72/47, पांलिस दिनांक 8 नवम्बर, 1948 के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति की आगामी कार्य विधि के लिए उसके सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was Adopted**

---

# नियम 377 के अन्तर्गत प्रश्न

## POINT UNDER RULE 377

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सभा के समक्ष कुछ बातें उठाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे आपकी अपेक्षित पूर्व अनुमति मिल चुकी है। मैं सदन के समक्ष जिन तथ्यों को रख रहा हूं वे तारांकित प्रश्नों की सूची में प्रश्न संख्या 447 से सम्बन्धित हैं। यह प्रश्न मैं ने तथा इस सदन के छः अन्य सदस्यों ने भेजा था। केवल श्री द्विवेदी के नाम को छोड़कर, अन्य सभी सदस्यों के नाम सूची में हैं, श्री द्विवेदी का नाम सम्भवतः भूल से रह गया होगा।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि मूल प्रश्न चार सारदान भाग में दिया गया था। प्रश्न का पहिला भाग, जैसा कि सूची में है, इस प्रकार था, अर्थात् :—

**"क्या यह सच है कि इस वर्ष गणतंत्र की परेड में भारतीय इतिहास के विभिन्न काल की सैनिक वेषभूषा सम्बन्धी शोभायात्रा में सिख सैनिकों को शामिल नहीं किया गया था";**

प्रश्न के दूसरे भाग (ख) में पूछा गया था कि क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एक इश्तहार बांटा था जिस में यह कहा गया है कि सिखों को इस में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इतिहास म उनका उदय अठारहवीं शताब्दी के बाद हुआ है। इस भाग को भी प्रश्न में शामिल नहीं किया गया है। मुझे इसकी जानकारी केवल प्रश्न-सूची मिलने के पश्चात् हुई। प्रश्न के अन्य भाग यथा सिखों की बहादुरी उनकी सैनिक शक्ति, मगल बादशाहों की सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में सिखों से पराजय, वर्ष 1710 में सिखों द्वारा उत्तरी भारत में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र राज्य की स्थापना आदि के बारे में प्रकाश डालते हुये पूछे गये प्रश्न के भागों को प्रश्न से निकाल दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि नियम 41 के खण्ड (चौदह) के अन्तर्गत प्रश्न के इन भागों को निकाल दिया गया है।

प्रश्न का अंतिम भाग यह था ; यदि ये बातें सच हैं तो क्या सिखों को इश्तहार में बताये गये कारणों से नहीं अपितु कुछ राजनैतिक कारणों से शामिल नहीं किया गया था। प्रश्न के इस भाग को निकाल कर एक नया भाग जोड़ दिया गया जो इस प्रकार है :—

"यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?"

मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष जो तथ्य पेश करना चाहता हूं वे ये हैं :— पहली बात यह है कि जिस नीति में इस प्रश्न के पीछे के भागों को उड़ाया गया है उस से ऐसा शक पैदा होता है कि यह किसी अपमान की भावना से, किसी प्रयोजन से किया गया है। मुझे यह भी सूचित नहीं किया गया कि प्रश्न की भाषा बदल कर उसे दूसरे रूप में रखा जा रहा है ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इसे प्रश्न संख्या 447 में रखा गया है, जब कि प्रश्न सूची संख्या 425 से आरम्भ होती है । सभा को विदित है कि प्रश्न काल में छः प्रश्नों के उत्तर से अधिक नहीं दिये जा सकते हैं। किन्तु इस प्रश्न को प्रश्न-सूची के लगभग अन्त में रखा गया है, एसा आपका सचिवालय कर सकता है । किन्तु प्रश्न को प्रश्न-सूची में इस प्रकार रखा गया है जिस से कि चुपचाप बिना कारण बताये इसे अतारांकित प्रश्न में बदला जा सकता है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि आप इन दो बातों पर गम्भीर रूप से पुनः विचार करें जिस से कि हमारे शक और बेचैनी का निवारण हो सके ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह बात स्पष्ट है कि मैं यहां किसी भी सदस्य को कोई प्रश्न, ध्यान आकर्षण अथवा कोई और मामला सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं जिसे मैं अपने कमरे में रद्द कर देता हूं । मैं सदा सदस्यों को यह राय देता हूं कि यदि वे मेरे आदेश को पुनरीक्षण करवाना चाहते हैं तो मुझ से मेरे कमरे में मिल लें। यही बात मैंने श्री कपूर सिंह से कही थी परन्तु उन्होंने मेरे आदेश को चुनौती दी और कहा कि मुझे ऐसा करने का हक नहीं है । वह चाहते थे कि मैं इस मामले को सदन के सामने लाऊं ।

सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि मेरी दोनों ओर परेशानी है । यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं तो भी और न करूं तो भी ।

श्री कपूर सिंह ने नियम संख्या 41 का उल्लेख किया है । अब मैं सदन के सम्मुख उन के प्रश्न के (ग) के बारे में कुछ सुनाता हूं ताकि आप स्वयं देख लें कि मैं ने इसे किसी प्रयोजन वश किया है । उन्होंने कहा कि क्या यह ऐतिहासिक सत्य है कि सिक्खों की पहली फौज 1609 में भरती की गई और उन्होंने शाही मुगल फौज को हराया तथा सिक्खों को पहला स्वायत गणराज्य 1707 में स्थापित हुआ आदि आदि ।

अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यह सारे तथ्य हैं और उन से कहूं कि वह यहां उसका उत्तर दें । क्या ऐतिहासिक तथ्य भी सरकार से पूछे जा सकते हैं और मंत्री उसका उत्तर यहां दें । फिर भी इस प्रश्न में कछ दूसरी बातें हैं और इसलिये मैंने उन तथ्यों के लिये एक तारांकित प्रश्न के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है । ऐसा करने पर भी कहा गया है कि मैं ने इसे किसी प्रयोजन के लिये किया ।

क्योंकि उन्होंने मेरे प्राधिकार को चुनौती दी, इसलिये मुझे बड़ा दुख हुआ । कोई भी व्यक्ति जो नियम संख्या 41 को पढ़ेगा उसे पता चलेगा कि प्रश्न में किसी प्रकार की दलील, अनुमान आदि नहीं होने चाहियें, परन्तु इस प्रश्न में तो मेरे विचार में यह सारी बातें विद्यमान हैं । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे इस में कोई प्रयोजन नहीं है ।

इस लिये मैं सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रकार के आरोप अध्यक्ष पर न लगावें । यदि आप अध्यक्ष का मान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र नहीं चल सकेगा । यदि आप मुझे नहीं चाहते हैं तो हटा दीजिये । परन्तु जब तक मैं यहां हूं आपको मेरे में विश्वास रखना होगा ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** (भीलवाड़ा ): यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । आपने श्री कपूर सिंह को इस मामले को यहां उठाने की अनुमति देकर एक पूर्व दृष्टान्त स्थापित कर रहे हैं और यदि ऐसा चलता रहा तो पता नहीं यह सदन कहां पहुंचेगा ।

**श्री कपूर सिंह :** (लुधियाना ) मेरा कहना तो केवल यह था कि ऐसा संदेह उत्पन्न हो सकता है कि आप ने किसी प्रयोजन से यह किया है और यदि कोई संदेह की बात हो तो वह टाल देनी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम मंत्रिमण्डल में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अध्यक्ष महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने स्थान पर बैठ जावें क्योंकि उस प्रश्न पर चर्चा समाप्त हो गई ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अध्यक्ष महोदय मैं इस बात का विरोध करते हुए सदन से बाहर जा रहा हूं । हम यह सहन नहीं कर सकते ।

**[इसके बाद श्री हरिश्चन्द्र माथुर सदन से बाहर चले गय ।]**

**[Shri Harish Chander Mathur then left the House.]**

---

# मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रस्ताव

## MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

**विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री प्र० कु० सेन)** : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर कल से चर्चा कर रहे हैं। मेरे लिये यह आवश्यक है कि यह बताऊं कि मंत्रिमंडल की उपसमिति तथा प्रधान मंत्री के सामने किस बात पर निर्णय लेना था ।

उड़ीसा विधान सभा के विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने तथा कुछ संसद् सदस्यों ने राष्ट्रपति के सामने अगस्त 1964 में एक आरोप लगाया । राष्ट्रपति जी ने संविधानिक ढंग से उसे प्रधान मंत्री के पास परामर्श के लिये भेज दिया जो आरोप लगाये उन में कुछ तो गम्भीर तरह के थे और कुछ मामूली । प्रधान मंत्री को वे आरोप उन व्यक्तियों के पास भेजने थे जिन पर आरोप लगे थे क्योंकि कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड जब दिया जा सकता है जब यह पूरी तरह सिद्ध हो जाये कि वह सत्य है । ऐसी स्थिति में यह मामला मंत्रिमंडल की उप-समिति के सामने आया । हम ने इस संदर्भ में पूर्वदृष्टान्त भी देखे और उन में एक दृष्टांत वह जांच थी जो लार्ड डेनिंग ने इंग्लैंड में प्रोफ्यूमो नाम के मंत्री के बारे में की थी । ऐसे ही हम ने दास आयोग की रिपोर्ट भी देखी जो केरों के बारे में थी ।

इस कार्य के लिये केन्द्रीय जांच आयोग के कुछ अधिकारी उड़ीसा सरकार की अनुक्त से नियुक्त कर दिये ।

जब केन्द्रीय जांच आयोग ने कुछ तथ्य निकाले तो उनकी परीक्षा करनी थी क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट पर तो विश्वास सदा किया नहीं जा सकता । मुझे विश्वास है कि मेरी बात का समर्थन श्री नि० चं० चटर्जी भी करेंगे कि केन्द्रीय जांच आयोग का प्रतिवेदन अथवा पुलिस की रिपोर्ट को हम आखरी शब्द तो नहीं मान सकते ।

अब हम मुख्य आरोपों पर विचार करें । सब से पहले कालिंगा उद्योग का मामला हम लेते हैं जिसमें उड़ीसा सरकार के अंश लगभग 7 प्रतिशत हैं और पटनायक परिवार का 1961 में 10 प्रतिशत या और जांच के समय 5 प्रतिशत था और आरोपों अनुसार जो प्रदीप पत्तन को इस्पात के नालीदार ढांचे संभरण करता था जिनका कुल मूल्य 18 लाख रुपये है । आरोपों के अनुसार संभरण आदेश बिना टेण्डर मांगे दे दिए गए क्योंकि यह समवाय मुख्य मंत्रियों, श्री पटनायक द्वारा नियंत्रित था और इसलिये बहुत बड़ी मात्रा में अनुचित लाभ इसे प्राप्त हुआ और उड़ीसा सरकार को अनुचित हानि हुई । यदि सच यही है तो ये बहुत गम्भीर आरोप है क्योंकि कोई मुख्य मंत्री भी अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करके अपने राज्य के राजस्व को हानि नहीं पहुंचा सकता । जब सचाई सुनिश्चित की गई तो ज्ञात हुआ कि इन निर्मित भागों का सम्भरण 1959 से हो रहा है जब विरोधी नेता श्री आर० एन० सिंह देव वित्त तथा उद्योग मंत्री थे । 25 सम्भरण आदेश उन मूल्यों पर दिये गए जिन्हें उड़ीसा सरकार ने सुनिश्चत कर के निश्चित किया था जिन्हें सरकार के अनुसार उन्होंने

संभरणकर्ताओं से पूछताछ के आधार पर निश्चित किया था जो इस मामले में केवल दो ही थे अर्थात्, इण्डियन ट्यूब्स तथा कलिंग उद्योग । और एक बार स्थापित मूल्य श्रंखला कलिंग उद्योग द्वारा इस्पात के नालीदार ढांचों के सभी सम्भरणों पर लागू रखी गई । इन 25 आदेशों में वह आदेश भी शामिल हैं जो श्री आर० एन० सिंह देव के कार्यकाल में दिये गए जिन पर उसे 90 प्रतिशत धन पहले ही वसूल करने दिया गया । जब प्रदीप पत्तन के लिये इस्पात के ढांचों की आवश्यकता पड़ी तो बिना टेण्डर मांगे विक्रय मूल्य पर ही आदेश दिये गये । उनका उत्तर यह है कि ये 1959 वाले मूल्यों पर ही दिये गए और केवल सरकार में परिवर्तन हो जाने से ही नए टेण्डर मंगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई । आगे ये भी कहा गया है कि आपत्ति किये जाने पर सरकार ने 1964 में टेण्डर मंगाने की क्रिया फिर से अपना ली जब उसे यह ज्ञात हुआ कि सब से कम मूल्य के टेण्डर से उन्हें कहीं अधिक मूल्य देना पड़ा है । फिर भी उप-समिति का विचार था कि चूंकि नया मुख्य मंत्री का भी सम्भरण कर्ताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है––लोक-व्यवहार के सर्वोच्च स्तर के अनुसार टेण्डर मंगाने आवश्यक थे––कम से कम यह संदेह मिटाने के लिये कि आदेश टेण्डरों के बिना जारी करना बिना उद्देश्य नहीं हो सकता । जब स्थिति बदल जाये तो पुरानी प्रक्रिया में भी परिवर्तन होना चाहिये था । इसलिये उप-समिति द्वारा कड़ा स्तर लागू किया गया और यद्यपि मूल्य वही थे जो 1959 में थे और सम्भरणकर्ता तथा सरकार भी वही है फिर भी सरकार में परिवर्तन आ गया है और मुख्य मंत्री ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध संभरण कर्ताओं से घनिष्ठ है, इसलिये टेण्डर मंगाने चाहियें थे और प्रधान मंत्री को उप-समिति की यही सलाह थी––जो अब सभी जानते हैं––कि इस मामले में प्रशासनिक अनौचित्यता थी । ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिस से सिद्ध हो कि टेण्डर मांगे गए थे और यदि ऐसा किया जाता तो मूल्य कम होते और यह वस्तुएं किसी भी अधिक उचित मूल्य पर मिल सकती थीं––इसका कोई प्रमाण नहीं मिला ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं नियम 368 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं । सभा को बिलकुल ज्ञान नहीं है कि मंत्री महोदय किस दस्तावेज को पढ़ कर सुना रहे हैं . . .

**श्री अ० कु० सेन** : यदि जैसा श्री कामत ने कल कहा था कि उनके पास उड़ीसा सरकार के दस्तावेज हैं तो वह उस में से देख कर मालूम कर सकते हैं ।

अच्छा तो जैसा मैं ने कहा कि उप-समिति ने उड़ीसा सरकार की त्रुटियों की उपेक्षा करने के बजाय एकमात्र तथा कड़ा लोक व्यवहार का मानदण्ड लागू किया ।

**श्री रंगा** : देश कानूनी जांच की मांग करता है ।

**श्री अ० कु० सेन** : अगला आरोप उड़ीसा एजेंट्स से सम्बन्धित है जिसकी स्वामी श्रीमती बिरेन मित्रा हैं, श्री मित्रा उस समय एक मंत्री थे और बाद में वह मुख्य मंत्री बने । इस समवाय ने 1959 में अपना व्यापार आरंभ किया जब सर्वश्री मित्रा और पटनायक मंत्री नहीं बने थे । शायद उस समय वहां मिलीजुली सरकार थी । अब पता चला है कि वह उड़ीसा राज्य में कलिंग ट्यूब्स के मुख्य वितरक थे । लगता है कि टेण्डरों के बिना आदेश जारी करने का आरोप बिलकुल सिद्ध नहीं किया जा सका । इसके विपरीत पता यह चला

है कि टेण्डर मंगाने के लिये उड़ीसा तथा कलकत्ता के समाचारपत्रों में सूचनाएं छपी थीं और एक मामले में लगभग 36 टेण्डर . . .

**श्री प्र० क० देव** : क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने मिली जुली सरकार का यह आदेश, कि सभी क्रय सम्भरण तथा निपटान के महा निदेशक द्वारा होना चाहिये, रद्द कर दिया है ?

**श्री अ० कु० सेन** : इस समय मुझे केवल तथ्य रखने दीजिये । प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दे दूंगा ।

जब इन टेण्डरों का पता लगा कि 5 अथवा 6 टेण्डर कलकत्ता तथा उड़ीसा से आए और उड़ीसा एजेंट्स का टेण्डर सब से कम राशि का था । यह भी ज्ञात हुआ . . .

**श्री प्र० क० देव** : यह सब झूठ है ।

**श्री अ० कु० सेन** : चाहे सच हो या झूठ, न्यायालय उनके समक्ष रखी गई गवाहियों पर निर्णय देगा ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : हां, ये चुनौती हमें स्वीकार है । एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए ।

**श्री अ० कु० सेन** : जब टेण्डरों के बारे में पता चला तो यह आरोप भी सिद्ध नहीं हो सका । फिर प्रश्न यह उठा कि टेण्डर बुलाने की सूचना उचित रूप से बांटी गई थी और क्या इस मनोरथ के लिये टेण्डर देने वालों को उचित समय दिया गया था । क्योंकि सम्भरण के आदेश कम से कम राशि वाले टेण्डर के आधार पर दिये जाने थे तो यह बात युक्तिसंगत लगी । उप-समिति को ज्ञात हुआ कि टेण्डर केवल कलकत्ता और उड़ीसा से ही मांगे गए थे क्योंकि टेण्डरों की सूचना केवल कलकत्ता और उड़ीसा के समाचारपत्रों में ही छपी थी ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : कितने दिन पूर्व ?

**श्री प्र० क० देव** : सी. बी. आई. की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि संभरण एवं निपटारन के महा-निदेशक द्वारा वस्तुएं प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता तो "जी-आई नालियों पर ही राज्य को 18 लाख रुपये की बचत होती . . ."

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति । शान्ति ।

**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझा नहीं कि माननीय सदस्य क्या पढ़ रहे हैं । परन्तु मुझे बताया गया कि उन्होंने सब से कम टेण्डर को स्वीकार नहीं किया । मैं अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : आप तो कहानी सुना रहे हैं ।

**श्री अ० कु० सेन** : जब यह देखा गया कि मंजूर होने वाले टेण्डर एक मंत्री के निकट सम्बन्धी के हैं--तो निश्चिय किया गया कि इन के बारे में पुनः टेण्डर मांगे जायें

और उन का विज्ञापन अधिक स्थानों पर किया जाये । इन टेण्डरों को प्राप्त करने के लिये समय भी बढ़ा दिया गया । इस आशय के भी कागजात प्रस्तुत किये गये थे कि अन्य सरकारी समवायों जैसे हिन्दुस्तान स्टील आदि को उड़ीसा सरकार को बेचे गये दरों से अधिक दरों पर पाइप बेचे गये थे ।

अतः कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल सका कि जिस से सिद्ध होता कि सरकारी धन गड़बड़ करके लिया गया है । एक निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता था और वह था प्रशासनिक अनौचित्य ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** साक्ष्य सभा पटल पर रखा जाय तब पता चलेगा कि जो बात कही जा रही है वह सच है या नहीं ।

श्री **सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : वह तथ्यों को तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह अपने तथ्य पेश कर रहे हैं । मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं । आप उन का खंडन कर सकते हैं ।

**श्री शिंकरे :** वह उपसमिति की रिपोर्ट के बारे में तो बता सकते हैं । फिर आप उसे प्रमाणित कर सकते हैं कि यह ठीक है अथवा नहीं ।

**श्री अ० कु० सेन** : इस अनौचित्य की बात उपसमिति ने प्रधान मंत्री को भेजी । अगला आरोप कलिंग इंडस्ट्रीज की शीट भट्टी लो शैफ्ट फर्नेश (low sheft furnace ) के उड़ीसा विकास बोर्ड को हस्तान्तरण के बारे में है । यह 1961 में चालू की गई थी । इसे प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख रुपये का लाभ था । जब सरकार बदली तो विकास निगम की स्थापना की गई थी ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस सम्बन्ध में कुछ कागजात सभा पटल पर रखे गये हैं । और मेरे माननीय सहयोगी श्री द्विवेदी ने उन में से उद्धरण दिये हैं । अब मंत्री महोदय अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हें इस का आधार बताना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहीं से उद्धरण नहीं दिये हैं । अतः मैं उन्हें सभा पटल पर रखने को कैसे कह सकता हूं ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री जो बातें कह रहे हैं उन पर उनको विश्वास नहीं है । क्या यह उचित है ?

**श्री अ० कु० सेन** : मैंने बताया है कि कम्पनी को 1961 में 7 लाख रुपये का लाभ हुआ ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान मैं आप का ध्यान लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 370 की ओर दिलाता हूं जिसमें सभा पटल पर रखने के बारे में कहा गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसे देख लिया है । वह यहां लागू नहीं होता । माननीय सदस्य अपनी बात बारी आने पर कर सकते हैं ।

**श्री अ० कु० सेन :** इन लाभों के बारे में जानकारी बहुत से स्रोतों से जानी जा सकती है। उड़ीसा विकास निगम बहुत से नये उद्योग चालू कर रहा था। इस को भी निगम के पास हस्तान्तरण कर दिया गया और इस की आस्तियों का मूल्यांकन जी० बसु एण्ड कम्पनी नाम के लेखा परीक्षकों ने किया ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** वह कलिंग ट्यूब्स के भी लेखा परीक्षक थे ।

**श्री अ० कु० सेन :** हो सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार की अन्तर्बाधाओं से समय में परिवर्तन करना पड़ेगा । सदस्य इस बात को मानेंगे कि इस प्रकार वे स्वयं अपना समय खोते हैं ।

**श्री रंगा :** सरकार को स्वयं ही त्यागपत्र दे देना चाहिये । इंगलैंड में श्री मैकमिलन ने बहुमत होते हुए भी अपना पद त्याग दिया था । इस सरकार को भी ऐसे ही करना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या हम आगे की कार्यवाही भी करेंगे या नहीं ? माननीय सदस्य बहुत अधिक अन्तर्बाधायें खड़ी कर रहे हैं । मैं विधि मंत्री को किसी बात कहने पर बाध्य नहीं कर सकता ।

**श्री अ० कु० सेन :** इस हस्तांतरण पर केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय और योजना आयोग ने भी विचार किया था और मंजूरी दी थी । आरोप में कहा गया है कि उड़ीसा सरकार को कबाड़ दिया गया था । परन्तु हस्तांतरण के पश्चात प्रथम वर्ष में इस से 19 लाख रुपये का लाभ हुआ था । इस बारे में जानकारी करना राज्य के महा लेखापाल का कार्य है । इस सब से सिद्ध होता है कि धोखे की बात नहीं की गई । उपसमिति भी इसी निर्णय पर पहुंची कि इस सौदे से सरकार को लाभ हुआ है । अतः इस की निन्दा नहीं बल्कि सराहना होनी चाहिये ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** वह हमारे द्वारा लगाये गये आरोपों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं । मुझे सम्बंधित उद्धरण पढ़ने की आज्ञा दें ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अपने समय में स्पष्ट कर सकते हैं ।

**श्री अ० कु० सेन :** अगला आरोप भूमि के प्रतिकर के बारे में है जो कि उड़ीसा टेक्सटाइल्स लिमिटेड नाम की कम्पनी दिया गया था । यह सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है और इस ने 1947 में अपना कार्य आरम्भ किया था । भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन कटक के निकट सरकार ने भूमि अर्जित की थी ।

**श्री दाजी :** जब यह विषय उपसमिति के विचाराधीन था उस समय भुवनेश्वर में राजभवन के सामने वाली जमीन जो विधि मंत्री को बांट में दी गई उस के बारे में क्या है ?

**श्री अ० कु० सेन :** कब ? उन्होंने यह बात उठाई है अतः मैं इस का उत्तर पहले दे लूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस का इस समय कोई सम्बन्ध नहीं । **(अन्तर्बाधाएं)**

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** श्रीमान, क्या उन को इस पर वक्तव्य की अनुमति नहीं दी जा सकती ? श्री दाजी इस प्रकार नहीं कह सकते ।

1900

**श्री दाजी :** जब वह उपसमिति के सदस्य थे तो उन्होंने जमीन के एक प्लाट के लिये आवेदन पत्र दिया। अभी उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया था कि इन को प्लाट दिया गया। यह जमीन भुवनेश्वर में राज भवन के सामने है। यह किसी और नागरिक को बांट में नहीं दी गई थी ।

**श्री अ० कु० सेन :** श्रीमान यह बहुत गम्भीर आरोप है। यदि वह इसे सिद्ध करे तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** वास्तव में ही यह बहुत गम्भीर आरोप है। सदन को इस ओर ध्यान देना चाहिये। श्री दाजी तथ्यों को देखें और आरोपों को सिद्ध करें।

**श्री राम सहाय पाण्डेय :** जी हां, नहीं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिये। **(अन्तर्बाधाएं)**

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। तब सदन को देखना होगा कि कोई कार्यवाही होना चाहिये या नहीं ।

**श्री अ० कु० सेन :** अगला आरोप भूमि अर्जन और उसके प्रतिकर के बारे में है। जब 1948 में यह भूमि ली गई थी तो प्रतिकर लगभग 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से चुकाया गया था और सरकारी भूमि तो इस समवाय को हस्तान्तरित की गई थी। जिला अधिकारियों ने इसके लिये प्रतिकर की मांग की। परन्तु उच्चाधिकारियों का विचार था कि 1957 में इसके मूल्य में वृद्धि हो गई थी। और प्रतिकर सम्बन्धी निर्णय के विरुद्ध अपील की गई। उस समय श्री बीजू पटनायक मुख्य मंत्री थे और उन्होंने अपील पर किये गये निर्णय का अनुमोदन किया। ऐसा करना उनके लिये एक अनुचित बात थी। यह बात प्रधान मंत्री की जानकारी में लायी गई है। हमारे विचार में अपील करने वाला स्वयं ही अपील सुनने वाला और उस पर निर्णय देने वाला नहीं होना चाहिये। अतः यह भी प्रशासनिक अनौचित्य की बात कही गई है ।

अगला आरोप 19 नवम्बर 1961 वाले परिपत्र के बारे में है। इस का उद्देश्य उड़ीसा एजेन्ट्स को लाभ पहुंचाना था। इस फर्म की मालिक श्रीमती मित्रा थीं। उड़ीसा राज्य का बिक्री कर अधिक था और बाहर अर्थात केन्द्रीय सरकार का बिक्री कर कम था। अतः राज्य सरकार के राजस्व को घाटा हो रहा था। जब नई सरकार बनी तो उस ने राज्य सरकार की आय बढ़ाने के लिये यह परिपत्र जारी किया कि सरकारी क्रय सम्बन्धी सभी आर्डर उड़ीसा एजेन्ट्स नाम की फर्म को दिये जायें। इस परिपत्र में प्रयोग किये गये शब्दों पर भी आपत्ति की जा सकती थी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने इस पर आपत्ति की भी। और छः महीनों के पश्चात् उस परिपत्र में संशोधन भी कर दिया गया। परन्तु इन छः महीनों में बहुत बड़ी मात्रा उस फर्म से माल खरीदा जा चुका था। इस से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि परिपत्र जानबूझकर अपनी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिये जारी किया गया था। उपसमिति इस निर्णय पर पहुंची कि यह सब अनुचित है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपसमिति ने प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट दी। अब प्रधान मंत्री ने जैसा उचित समझा उस पर निर्णय किया। यह कहना कि प्रधान मंत्री तथा उपसमिति ने दोषी लोगों के कामों को छुपाया है तथ्यों को झुटलाना है।

अब यह कहा जा रहा है कि उड़ीसा को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है। और इसके लिए उनके पास अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं। इस प्रकार सरकारी राजस्व की जो हानि हुई है उसका परीक्षण करने और उसकी रिपोर्ट राज्य विधान सभा को देने का दायित्व महालेखापाल का है। उसकी जांच पड़ताल के बाद यदि कोई हेरफेर की बात पकड़ी जाय तो कोई भी व्यक्ति इस मामले को लेकर अदालत में जा सकता है। परन्तु इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिये कि अदालत के आगे ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सकना कोई सरल कार्य नहीं है। केवल किसी बात को बार बार दुहराने से तो वह सत्य प्रमाणित नहीं हो सकती। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं यह कह सकता हूं कि मैं सरकार की विचारधारा का पूर्णरूपेण से समर्थक हूं।

जहां तक जांच आयोग का सम्बन्ध है उसका निर्माण भी सरकार को सूचना देने के लिए ही किया जाता है। कोई सूचना सरकार पर ठोसी नहीं जा सकती। और जब तक बहुमत के समर्थन से विरोधी पक्ष सरकार को पराजित न कर ले तब तक सरकार के निर्णय तो सब को मानने ही होंगे। मैंने कुछ बातों का उत्तर देना है। यह कहा गया है कि गृह कार्य मंत्री ने गलत सूचना दी है कि "केन्द्रीय जांच ब्यूरो" के पास कोई मामला रजिस्टर नहीं हुआ है। यह मामला केवल केन्द्रीय जांच आयोग की पुस्तकों में था। यदि इसके लिए कोई क्रम संख्या दी गयी है तो इस का अर्थ यह नहीं है कि यह कोई रजिस्टर्ड मामला ही नहीं। अतः मेरा यह निवेदन करना ठीक ही था कि यह कह देना ठीक नहीं कि गृह-कार्य मंत्री ने गलत वक्तव्य दिया था।

इस बात को बड़े जोर से कहा गया है कि मंत्रि परिषद उपसमिति के प्रतिवेदन के उद्देश्यों में से एक उन मंत्रियों के अपराधों पर पर्दा डालना है जिनको अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक प्रभावशाली गुट का समर्थन प्राप्त है। इस सम्बन्ध में श्री अतुल्य घोष का नाम विशेष रूप से लिया गया। सत्य यह है कि श्री अतुल्य घोष ने उपसमिति के किसी सदस्य से कभी बात भी करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने तो यह भी कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि यह मामला किस प्रकार चल रहा है।

इसके अतिरिक्त श्री अतुल्य घोष के बारे में यह भी कहा गया है कि उन्होंने दो सहायता निधियों के नाम पर इक्ट्ठे किये गये धन का दुरुपयोग किया है। श्री घोष ने मुझे कहा है कि मैं सदन को बता दूं कि 1959 की बाढ के दौरान पश्चिमी बंगाल सहायता समिति का काम समाप्त होने के बाद फालतू राशि पश्चिमी बंगाल सहायता तथा कल्याण बोर्ड को सौंप दी गयी थी, जिसके सभापति स्वयं मुख्य मंत्री थे। यह धन श्री अतुल्य घोष को व्यक्तिगत रूप से नहीं प्रत्युत उस समिति को दिये गये थे जिसके श्री घोष संयुक्त सचिव थे। उस समिति ने वह धन बाढ़ पीड़ित परवारों, उनके बच्चों की शिक्षा, पुस्तकों की खरीद, पुस्तकालयों की स्थापना तथा कई अन्य सामाजिक कल्याण के कार्यों पर व्यय किया था। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष होती रही है। अतः इस सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री कृष्णमाचारी भी सदन को यह बताना चाहते हैं कि "टी० टी० कृष्णमाचारी एंड कम्पनी" के पास चार वैदेशिक सार्थों की एजेन्सियां वर्षों से चली आ रही हैं, उनका उल्लेख एक विरोधी दल के सदस्य ने किया है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए मैं किसी भी ऐसे सदस्य को मिलने के लिए तैयार हूं जिसे कोई सन्देह हो। वह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि मैंने उस फर्म से 1942 से सम्बन्ध तोड़ लिये हुए हैं। अतः अब उसके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं।

इस प्रकार श्री मोरारजी देसाई का मामला है। वह बताना चाहते हैं कि उनके सपुत्र किसी सदस्य को अपने सभी लेखे बता सकते हैं जो कि उन्हें देखना चाहते हैं। रिपोर्ट हमारे सामने है। हमें अपने प्रधान मंत्री से यह आशा है कि यद्यपि उन पर यह आरोप लगा है कि वह अपने लोगों को आश्रय देते हैं, इस पर भी उन्हें अपने उच्च सिद्धान्तों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। सन्देह के आधार पर तो उन्हें कोई निर्णय करना भी नहीं चाहिये। यह गलत बात है कि हमारे प्रधान मंत्री कोई निर्णय लेने में कमजोरी दिखाते हैं। तथ्य यह है कि वह कोई गलत निर्णय नहीं लेते। देश उनके साथ है और हम सब उनके साथी एक मत से उनके साथ हैं।

**श्री जी० भ० कृपालानी** (अमरोहा) : इस प्रस्ताव का साथ देना कोई सुखद बात नहीं है क्योंकि यह सरकार के विरुद्ध है और जिसमें बैठे हुए कुछ माननीय सदस्य मेरे पुराने सहयोगी हैं। परन्तु मुझे खेद है कि आज कहीं से भी प्रकाश की किरण आती दिखाई नहीं दे रही। इलाज करने वाले डाक्टर स्वयं रोग का शिकार हो रहे हैं। विरोधी पक्ष वाले उड़ीसा के मामले पर चर्चा करना चाहते थे। सरकार ने माना नहीं। वे अविश्वास का प्रस्ताव ले आये। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य चारा ही नहीं था।

यह अत्यन्त खेद की बात है कि हमारी सरकार ने अनुभव से कुछ सीखना ठीक नहीं समझा। उसने एक ही प्रकार की भूल को बार बार किया है। वाम पक्षी साम्यवादियों के विरुद्ध कार्यवाही ऐसे समय पर की गई जब कि केरल के निर्वाचन के कारण इस पर सन्देह किया जा सकता था। हालांकि यह ठोस तथ्य है कि उनकी घृणित गतिविधियां वर्षों से चल रही थीं। वे तोड़ फोड़ कर रहे थे। परन्तु सरकार की नीति का परिणाम यह हुआ कि लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई है। लोग उनको देशद्रोही मानने के स्थान पर देशभक्त मानने लगे। इस दिशा में बुद्धिमत्ता की बात इतनी ही थी कि सरकार उस दल पर रोक लगा देती। कहते हैं कि मूर्ख को उस समय अकल आती है जब कि किसी काम से नुकसान हो जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*

जहां तक भाषा के मामले का सम्बन्ध है, यदि अधिकारियों को यह बता दिया जाता कि वे परिपत्र जारी करने में नियमों का उल्लंघन न करें और जो कुछ दंगों के बाद कहा गया उसका उचित प्रचार किया गया होता तो कोई दंगे न होते। जहां तक उड़ीसा के मामले का सम्बन्ध है, हमारे सामने रखे गये इन दो दस्तावेज़ों की निष्पक्षता से जांच होने से यह पता लगेगा कि इस बारे में अग्रेतर जांच की आवश्यकता है। परन्तु मंत्रि-मण्डल की उप-समिति ने दल के हितों के आधार पर सारे मामले पर परदा डालने का प्रयत्न किया है। सरकार के बाहर के लोगों पर सदोष असावधानी का आरोप लगाया जा सकता है और उस असावधानी के लिए वे नैतिक और कानूनी तौर पर जिम्मेवार हैं। महात्मा गांधी इसी लिये बड़े थे क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियां मानने में कभी संकोच नहीं किया।

जो दस्तावेज हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में सरकार द्वारा रखी गई गोपनीयता का कोई नैतिक आधार नहीं है। श्री चागला ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को एकतरफ़ा कहा है। परन्तु उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वह एकतरफ़ा है क्योंकि उनकी इच्छा उन लोगों को सुनने की है जिन्होंने पटनायक और मिश्र के विरुद्ध शिकायतें की हैं। यदि उड़ीसा के मंत्रियों को अपने ऊंचे पदों का त्याग करने के लिए बहुत पहले कहा गया होता तो जो कुछ हुआ है वह न हो पाता।

जब "केन्द्रीय जांच ब्यूरो" की रिपोर्ट के बारे में सब को पता लग गया था तो सरकार का कर्त्तव्य था कि वह यह दस्तावेज सभा-पटल पर रख देती। मंत्रिमंडल उप-समिति किन्हीं सामान्य व्यक्तियों के मामले पर पुनर्विचार नहीं कर रही थी। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि उड़ीसा के मामलों पर भी राजनैतिक आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार का विचार है कि राजनीति तथा नैतिकता दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। परन्तु यह बात गांधी जी के कथन के विरुद्ध है। वह चाहते थे कि नैतिक नियम को न केवल व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन में मान्यता मिलनी चाहिये और व्यवहार में लाया जाना चाहिये परन्तु राजनैतिक सम्बन्धों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

सरकार जांच के दो विभिन्न स्तर अपनाये हुए हैं--एक निर्धनों के लिए तथा दूसरा सत्तारूढ़ व्यक्तियों के लिए--काला बाजार करने वाले तथा राजनीतिक सत्ता वाले वह व्यक्ति जो शासन का घोर अपव्यय करते हैं उन्हें कोई रोक-टोक नहीं है जब कि निर्धन जनता छोटे से छोटे अपराध के लिए भी दण्ड पाती है।

पंजाब के भूतपूर्व मख्य मंत्री के मामले में "कांग्रेस हाई कमान" ने इस सारे मामले को प्रशासनिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं बतलाया। इसके विपरीत जांच आयोग का कहना है कि स्वर्गीय सरदार कैरों ने अपने परिवार के सदस्यों के हित के लिये अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और क्योंकि यह अनियमितताएं विधि के विरुद्ध थीं इसलिये इन्हें केवल भोलेपन से हुई गलतियां कह कर क्षमा नहीं किया जा सकता। इस जांच की नियुक्ति का श्रेय कांग्रेस सरकार को न हो कर विरोधी दलों को है। काला बाजार करने वालों, भ्रष्ट कर्मचारियों तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने जो लाखों रुपये बनाए थे वह उनके बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए थे। परन्तु वह व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार हैं इसलिये यह कहना कि उड़ीसा के मंत्री ने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया उचित नहीं है। "केन्द्रीय जांच ब्योरो" की रिपोर्ट को रद्द करके सरकार ने प्रशासन तथा देश के प्रति बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि भविष्य में यदि केन्द्रीय जांच ब्योरो को कोई मामला सौंपा गया तो सत्य बाहर नहीं आ पाएगा।

बिहार तथा मैसूर के मामलों में भी सरकार ने उन्हें निर्दोष ठहराया है। परन्तु वहां आन्दोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन मामलों की जांच के लिए कानूनी समितियां नियुक्त नहीं की जातीं। उड़ीसा का मामला भी तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इसकी जांच एक जांच आयोग नहीं कर लेगा। कुछ कांग्रेसियों ने शिकायत की है कि कांग्रेसियों ने वहां चरित्र पर कटु आक्षेप लगाए हैं। उन्होंने श्री मेनन तथा सेनाध्यक्ष श्री कौल के चरित्र पर भी लांछन लगाये थे। सरकार ने उन लांछनों पर भी अपने अनुमोदन की मोहर लगायी

थी। सरदार कैरों तथा श्री मालवीय के चरित्र को भी लांछित किया गया था। कांग्रेसियों को अपने ही व्यक्तियों तथा दल का बध जनता दबाव के कारण करना पड़ा।

यदि न्याय तथा उचित व्यवहार के नैतिक तथा लोकतंत्रीय मूल्यों का पालन न किया गया तो केवल बर्बरता और तानाशाही ही बची रह जाएगी और तब ऐसी सरकार को देश पर राज्य करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा। मुझे खेद है कि ये बातें मैं अपने पुराने मित्रों के विरुद्ध कह रहा हूं। क्या किया जाय, जब नैतिक तथा लोकतंत्रीय न्याय मांग करता है तो कुछ कहना ही पड़ता है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Mr. Deputy-Speaker, while listening to the speech of Shri A.K. Sen all were thinking that he was sometimes declaring that the Orissa ministers were guilty and on other times he was calling them as innocent. The trouble with this Government is that it cannot decide whether the Orissa ministers are innocent or guilty.

If the Orissa ministers are innocent then the Government must say that there is no need for institution of any inquiry body. If they are guilty then an inquiry should be instituted after taking into account the extent of their guilt. But the difficulty with Shri Asoke Sen was that he wanted to treat the double path simultaneously in this controversy. Due to this no body from that side is convincing.

Shri Chagla also pleaded this case here yesterday. I may state that in August 1942 even Gandhiji himself read and got published certain documents which were smuggled to him and which related to a paper sent by the Britishers through its secret service. He also stated that these things were in public interest and so should be got published. In law also Government's papers which are categorised as secret should be put in two categories—one which relate to those matters of army from which the enemy army or Government take advantage and those which can bring about something good to the general people and whereby any bungling of Government is detected. Exposition of papers of latter category is desirable and the ministers should always take it into consideration.

About the conscience of Shri Chagla, I do not want to say much. These days he sits in the company of a person whom he has condemned as a judge. Secondly he has recently done a thing which creates doubt about him. He first appointed a Scientist, Shri Jogesh Chandra Rai in Calcutta as a Professor and then ordered him not to enter even his own laboratory.

Now I come to Shri Patnaik. In 1942 he was a brave man and he once smuggled me from Delhi to Calcutta. But politicians who wanted to utilise him for their ulterior motives have spoiled him by bringing him into politics and now his entry into it has become a problem for the country.

Sometimes he is called as a great organiser and efficient man and that he belonged to a new generation of leadership. But what was his efficiency? He won election with money and that money was obtained by illegal means. So I must say that his efficiency was always enmeshed with corruption.

Even today, morning, Shri A.K. Sen was eulogising about Shri Atulya Ghosh and stated that he had won three general elections. I want to know whether winning of elections only is a sign of one's efficiency and burries him from all blame. Sometimes these people try to equate people in power with those who are powerless. If I am in power I will force persons like Shri Raghunath Singh to ponder over things.

I think that there is not only dishonesty in these things but lack of wisdom also. I want to tell my leftist friends specially on that side of the House that if they want to impose socialism from above, it will definitely bring corruption. But if they want to bring about this thing with the help of people by inspiring them, then there is scope for honesty too.

At the present time, the people are being put to loss not only by leftism of the kind narrated above which is sham but by capitalism also.

Now the question which is haunting my mind is what is the reason that in spite of the misdeeds of the Government *e.g.* in Orissa and in Kashmir, this Government has not been put out of power. There are various historical reasons for it and I am not pessimistic about it. One thing is clear that the Congress party has among its members all sorts of people—those who were supporters in Orissa affairs and those who were responsible for exposing the same. Thus they get credit also for themselves when such things are exposed. In fact the Congress has absorbed in itself all these conflicting elements and it has become a "Sangam" (meeting ground) of all these things. When Kairon was in power in Punjab, Sikhs thought that they had a Sikh Chief Minister and now after Ram Kishen has taken over, the Hindus take delight that they have a Hindu as their head of Government. As long Congress remains a "Sangam" of such elements, people will not be happy. Reducing it to the individual flank when a man is afflicted with so many ideas simultaneously, he has does not remain man. Since this thing pervades on this side of the House also, we are unable to dislodge Congress from power.

An ordinary man came to me from a distant place and I will not disclose his identity who showed me a sari bought by him from a Governmental shop and when he saw it at his house he found it in a torn condition. I will not disclose as to wherefrom he bought it.

Similar is the case with this phial of medicine which was bought for curing cough of a child. You can see it.

**श्री अ० कु० सेन** : मैं डा० राम मनोहर लोहिया से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रकार चीजों को न फेंकें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० राम मनोहर लोहिया को यह चीजें सभा पटल पर फेंकने की आवश्यकता नहीं है । वह अपना भाषण जारी रखें ।

**Shri G.S. Musafir** (Amritsar) : Is it a speech or a drama. Is such a thing permissible.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दूंगा । यह इन्हें वापिस दे दी जावेगी ।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** (गुना) : मैं आपका यह विनिर्णय चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य को कोई वस्तु, साड़ी अथवा बोतल सभा के सम्मुख इस प्रकार दिखाने का अधिकार है ? यह ड्रामा-भवन नहीं है ।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** I did not know it. I am just showing how corruption is prevalent in India.

**श्री तिरुमल राव** ( काकिनाडा) : यह इस सदन का खुल्लम खुल्ला अपमान है और इसकी प्रणाली के विरुद्ध है । मैं प्रार्थना करता हूं कि मामले को सदन की विषेषाधिकार समिति को सौंप दिया जावे और वह इस पर अपना निर्णय दे ।

**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक बार स्वर्गीय डा० श्यामा प्रशाद मुकर्जी ने भी ऐसा ही काम करने का प्रयत्न किया और कुछ चीजें दिखाईं परन्तु श्री मावलंकार जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है । यह सभा का निर्णय है कि किसी चीज को इस प्रकार नहीं दिखाया जा सकता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सदन में वस्तुओं को पहले भी प्रदर्शित किया गया है । बल्कि गला हुआ अन्न भी यहां दिखाया गया है । परन्तु कोई थेटर-सा इन चीजों को नहीं किया जाना चाहिये और उन्हें सभा पटल पर फेंकना नहीं चाहिये । वे उन्हें वापिस कर दी जावेंगी और मैं उन्हें पटल पर रखने की अनुमति नहीं दूंगा । मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा । अब डा० राम मनोहर लोहिया अपना भाषण जारी रखें ।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** What I have stated pertains to all parts of India. Most of India has become corrupt now. We should try to know the reason for it. Even small people are becoming corrupt while copying the bigger ones.

Along with Orissa, I want to tell you about the affairs of Bihar. Before I say anything about the sons of Chief Minister of Bihar, I want to tell you about the sons of Prime Minister and their relatives.

{**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
**Mr. Speaker** *in the Chair*}

All around there is corruption. The Cabinet sub-Committee while giving its decision on Bihar has characterised that "generally there is nothing wrong." They have used the word "generally". They have further stated that "on the basis of material collected by us, it has not proved the matter". When things pass to such extent, the Government should institute an enquiry and file a suit. These things can be best dealt with by non-ministers i.e. by a judicial body.

What is the root cause of these things ? Everybody now wants to accumulate wealth and property and there is a change in values. I may say about the five highest persons in India who hold the reigns of power. Out of 15 persons in the Cabinet there is not a single man who has not raised his standard of living and increased his property. If you call it socialism, it is not proper. These things create wrong values among the people.

Now there are 59 persons in the ministry. Out of these at the most 15 persons had gone to jails. Jail-going does not make one good but when you speak of revolution, I want to know how much place have you given to revolutionaries in your ministry. It is hardly 30 percent. I must tell that category number two always rule the people. It is only category number one which undergoes change. The Mughal empire finished and in its place came Britishers. Similarly Britishers were replaced by Congress. If people want to know the reason for this sad state of affairs and how to overcome it, I will tell them to bring down these congenital slaves of number two category. About 100 persons sitting opposite are such who possess property worth more than Rs. 1 lakh. They want to reach in power a Government of their nature. I want to tell you that you are a party to the misdeeds of the Government and you po.ider over it.

The revolution thus has been enslaved. Due to indecisions during the past 17 years everything is being bogged down. As long as this Government is in power, things will not change. This Government is in the habit of poking at issues and then leave them unsolved. This is like disturbing a snake. Either you do not disturb him and if you do so, then do not leave it alive. This has happened in the case of language. The Government is generally callous and the man who is penalised, is always called by it as worthless.

I was much pained on the day when the leader of Communist group in Lok Sabha, Shri H.N. Mukerjee instigated you to expel me from the House. I want to tell you who this H.N. Mukerjee is. When people of my age used to be arrested by police in Calcutta, Shri H.N. Mukerjee used to tell the police about the people who violated discipline. That role he is playing to this day.

I used to say previously that the Government has two fore-heads but now I think it is headless. The greatest fault lies with me as I have not been able to change this Government.

Socialism like many other things is a broad thing. Therefore we should step down a little and that will be equality. Then again it will be economic equality, social equality, political equality and religious equality. Then only we will get full equality. We should dream about that complete equaliy. Then we should fix highest and lowest limits. I think the highest limit shall be fixed at Rs. 1000 and lowest at Rs. 100·00.

If Government accepts my advice then I will say that to upgrade lowest income to higher one, you will take 5 to 7 years but to bring down the highest limit to lower one, it must not take more than 3 months. The money which will be thus obtained after demoletion of highest level should be utilised for opening new industries. Then you will know the meaning of socialism.

1. Primary schools should be of one type and whether it is the child of President or of a poor man must all get similar education in primary standard. I am at the present not talking of college or university education.

2. In railways there should be only one class.

3. No body should be permitted to spend more than Rs. 1000 per month.

4. Put an end to use of English language. You cannot bring about socialism with English.

In India there is about 31 crore acres of land which should be supplied water without irrigation charges. Without it socialism cannot be ushered in India.

People ask me why Congress wins elections. I must tell that all these big people such as Shri Atulya Ghosh, Shri Sanjiva Reddy, Shri T. T. Krishnamachari and Shri Lal Bahadur Shastri apply all sort of bad practices to win elections.

During elections only such things be permitted :—

1. No motor vehicle should be permitted to be used on election days.

2. The ballot paper should be supplied by Govenment people only. This supply by persons of candidates should be made illegal.

I will also appeal that Prime Minister of India should never belong to the Hindi speaking area. If he remains of Hindi speaking area, it becomes unconstitutional and creates trouble in every thing. I do not advocate that only Tamilians should become Prime Minister. He may be a Gujarati, Maharashtrian, Bengali or Tamil speaking. If we have a Bengali or Tamil Speaking Prime Minister, I will not ask him not to speak in English although I may prefer him not to speak in that language. If he is a Gujarati or Marathi, I will ask him not to speak in English in the House.

**श्री खाडिलकर** (खेड) : श्रीमान्, जब मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता श्री द्विवेदी को कुछ कागजात उछालते देख रहा था तो मुझे जादूगर का स्मरण हो रहा था। एक जादूगर गांवमें बच्चों को इकट्ठा कर के तमाशा दिखाता है और वहां पर जादू का वातावरण उत्पन्न करता है। वह एक एक करके अपने औजार निकालता और अन्त में एक खोपड़ी निकालता है। ऐसा करने से वह जादू का वातावरण बनाता है। ठीक उसी प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता ने अन्त में श्री कोहली का गृह-कार्य मंत्री को लिखा पत्र निकाला। इस में उन को पीछे बैठे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्होंने ताली बजायी।

छः महीनों में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मेरे विचार में प्रति पक्ष वालों को यह प्रस्ताव लाने से पहले सोचना चाहिये था कि तुच्छ से मामलों, जैसे उड़ीसा की बात, पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिये या नहीं। यहां पर उड़ीसा का मामला विचाराधीन है। हमें भूलना नहीं चाहिये कि उड़ीसा में श्री पटनायक ने सामन्तशाही को समाप्त कर के रख दिया है। वहा राजाओं तथा महाराजाओं ने सब पर नियन्त्रण जमा रखा था। वह श्री पटनायक ने खत्म कर दिया है। श्री द्विवेदी ने स्वयं माना है कि उन्होंने श्री पटनायक से धन लिया था।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: यह ठीक है। मैंने यह धन 1956 में लिया था और यह सार्वजनिक कार्य के लिये था।

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। जब मैं खड़ा होऊं तो आप बैठ जायें।

**श्री रंगा** : आप को खड़ा नहीं होना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खड़ा नहीं होना चाहिये ?

**श्री रंगा** : जब वह व्याख्यात्मक बात करना चाहते हैं तो उन को अवसर मिलना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे स्वतन्त्र पार्टी के नेता की बात पर हैरानी है । मैं कह रहा हूं कि मुझे एक शब्द भी कहने नहीं दिया जा रहा है और इस को और भी समझ रहे हैं । हम यहां पर श्री द्विवेदी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं । हमें व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने चाहिये ।

**श्री खाडिलकर** : मैं आप के विनिर्णय को स्वीकार करता हूं ।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : स्वतन्त्र पार्टी के नेता की यह बात कि अध्यक्ष को खड़े नहीं होना चाहिये कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसे आने वाली पीढ़ियों के देखने के लिये रहने दिया जाना चाहिये । मैं यही चाहता हूं ।

**श्री मुरारका** : यह कहना उचित नहीं ।

**श्री खाडिलकर** : जब हम पंजाब में श्री केरों और उड़ीसा में श्री पटनायक और मित्रा के बारे में सोचते हैं तो यह पाते हैं कि उन्होंने लोगों में उत्साह उत्पन्न किया । इन राज्यों में उन को अभी भी याद किया जाता है । यह ठीक है कुछ अनुचित बातें हुई हैं परन्तु उनकी तुलना में विकास कार्य बहुत अधिक हुआ है । एक नेता को सार्वजनिक कार्य करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि उस से कोई ऐसा कार्य न हो जो अनुचित हो । प्रतिपक्ष वालों ने एक छोटी सी बात को बड़ा बना दिया है और व्यर्थ में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाये जा रहे हैं ।

[ **उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए
*Mr. Deputy speakers in the Chair* ]

यह मांग बड़े ज़ोरदार शब्दों में की जा रही है कि एक जांच कमीशन की नियुक्ति की जाय । इस बारे में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार जांच कमीशन तो तथ्यों को जानने के लिये नियुक्त किये जाते हैं । यह आवश्यक नहीं कि उस की सिफारिशें सरकार पर बाध्य हों । और न ही उन के आधार पर अभियोग चलाया जा सकता है ।

जब पिछली बार अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि संथानम समिति की सिफारिश के अनुसार एक आचार संहिता बनायी जा रही है । उसी के अनुसार उड़ीसा के मामले में किया गया है । मंत्रि मंडल की उपसमिति ने इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार किया है । उस के सामने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अतिरिक्त और भी बहुत सी सामग्री थी । और व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य लिया गया था । इस सब कार्यवाही के पश्चात् श्री पटनायक और श्री मित्रा को अपने पद छोड़ने को कहा गया है । पंजाब में जो श्री कैरो के विरुद्ध जांच हुई थी उस का परिणाम क्या था ? श्री कैरों को अपना पद त्याग करना पड़ा था । वही बात उड़ीसा में की गई है ।

हमारे देश में प्रतिपक्ष वालों ने यह काम बना लिया है कि आरोप लगाये जायें । वह हर एक को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे हैं । परन्तु हम संविधान की परिधि से बाहर नहीं जा सकते । राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं । संविधान में उनका अपना स्थान है । हम पार्टी के स्तर पर कार्यवाही कर सकते हैं । कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि यह भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देती है । यह बात सत्य नहीं है । कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ही भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की है । यदि आज गणतन्त्र परिषद् सत्ताधारी होती तो कोई कार्यवाही नहीं होनी थी ।

आर्थिक लाभ के बारे में कहा गया है कि श्री मित्रा ने ऐसा लाभ उठाया था। इस सम्बन्ध में उन के विरुद्ध चुनाव आयोग के पास याचिका भी दी गई थी। परन्तु चुनाव आयोग के अनुसार श्री मित्रा ने कोई ऐसा सौदा आदि नहीं किया है कि जिस से उन्हें अनुचित लाभ हुआ हो। वह याचिका अस्वीकार कर दी गई थी।

इस देश में सौभाग्यवश एक प्रभावी राजनैतिक पार्टी है और वही संसदीय प्रणाली को जीवित रखे हुए है। आज हमारे देश के चारों ओर के देशों में प्रजातन्त्र समाप्त हो गया है और तानाशाही सरकारें स्थापित हो गई हैं तो हमें अधिक सतर्क बनना है। मैं कांग्रेस के आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि क्या देश में प्रजातन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं या नहीं ? कांग्रेस पार्टी ने अब तक सभी निर्णय बहुत न्यायपूर्वक किये हैं और प्रजातन्त्रीय नियमों का पालन किया है। हम ने यहां भिन्नता में से एकता उत्पन्न की है। हो सकता है हमारी प्रगति धीमी रही हो और कोई गलती भी की हो परन्तु इस सब के साथ साथ जो कार्य किया गया है वह महान है। इस के लिये हम सब को और देश को गर्व है।

**श्री नारायण दांडेकर** (गोंडा): इस प्रस्ताव का प्रयोजन मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करना है। इसके समर्थन में बात यह है कि सरकार पर भ्रष्ट लोगों की संरक्षण का आरोप है। यह भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है तथा सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इस में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इस चर्चा का मुख्य विषय यही बना हुआ है। उड़ीसा के कांग्रेसी नेताओं ने भ्रष्टाचारपूर्ण जो कार्य किये हैं और सरकार ने उन पर पर्दा डाला है यह उचित नहीं।

1961 में जब उड़ीसा में चुनाव हुआ तो श्री पटनायक और श्री मित्रा ने अपने संसाधनों का गलत उपयोग किया। हर प्रकार के तरीके प्रयोग में लाये गये। उनका ध्येय था कि जैसे भी हो चुनाव जीतना है। इन्हीं तरीकों को 1962 के चुनाव में बरता गया। बहुत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुचित कार्य हुए। इसका एक नमूना गोंडा में मिलता है। मैं समझता हूं कि कई मामले प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आये हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में उस के पश्चात् श्री संजीवय्या ने बताया। यह उन्होंने 1963 में इन्दौर में बताया था। उस समय वह कांग्रेस पार्टी के प्रधान के पद पर आसीन थे। उनकी बात को हमें भूलना नहीं चाहिये। उन्होंने कहा था कि यह देख वह चकित रह जाते हैं जब वह देखते हैं कि पार्टी के उच्च पदों पर लगे व्यक्तियों ने थोड़े समय में कितना धन एकत्र कर लिया है। उस के बाद भ्रष्टाचार के मामलों का तान्ता बन्ध गया। इन में से कुछ इस प्रकार हैं :— मालवीय कांड, तारकेश्वरी सिन्हा कांड, खादीवाला कांड, कैरों कांड और संजीवा रेड्डी कांड। श्री संजीव रेड्डी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने राजनैतिक कारणों के लिये ऐसी कार्यवाही की जो उचित नहीं थी। इस के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और श्री रेड्डी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु थोड़े समय के पश्चात् वह केन्द्रीय मंत्री मंडल में ले लिये गये।

इन घटनाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिन से कांग्रेस की गलत नीतियां सामने आयी हैं। ऐसे आरोप बिहार, मसूर तथा राजस्थान के मुख्य

[श्री नारायण दांडेकर]

मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये हैं। मेरे विचार में मंत्रिमंडल की उपसमिति को इन सब विषयों पर विचार करना चाहिये। यह पृष्ठभूमि है उन के कार्यों की।

इस सभा में पिछले सत्र में जब भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो मैं ने तीन बातें कही थीं। मैं ने कहा था कि भ्रष्टाचार का मूल कारण हमारे अत्यधिक कानून, नियम और विनियम आदि हैं। इसका हल यह है कि एक निकाय इन पर पुनः विचार करे। परन्तु इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरी बात यह कि यदि उच्च स्तर से भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय तो सभी स्थानों से इसकी समाप्ति हो जायगी। तीसरी बात यह है कि मंत्रियों के विरुद्ध भी सरकारी अधिकारियों की भांति कार्यवाही होनी चाहिये। श्री हाथी ने कहा था कि मंत्रियों के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है परन्तु अब श्री चागला और श्री सेन को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो बात श्री हाथी ने कही थी वह ठीक नहीं थी। जैसा कि अब श्री पटनायक के बारे में प्रत्यक्ष रूप से पता चल गया है। आप राज्य सरकारों के मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इस सब से यही सिद्ध होता है कि सरकार भ्रष्टाचार को दबाने में कुछ करना ही नहीं चाहती। इस ने ऐसे ऐसे त्रुटिपूर्ण कानून बना रखे हैं। यह भी हो सकता है कि उड़ीसा कांड से भी अधिक बड़े कांड हो रहे हों।

इस कांड में पांच दस्तावेज सामने आये हैं। एक उड़ीसा विधान सभा में प्रतिपक्षी नेता द्वारा अन्य लोगों के राष्ट्रपति को पेश किया स्मरणपत्र है। दूसरा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट है। जिसे सरकार ने गोपनीय रखा था। परन्तु श्री कामत ने उस की एक प्रति सभा पटल पर रख दी है। इसे समाचार पत्रों ने बड़ी अच्छी तरह प्रकाशित किया है। तीसरा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर की टिप्पणी है। यह बहुत स्पष्ट शब्दों में है। इस के पश्चात् है मंत्रिमंडल की उपसमिति की रिपोर्ट और प्रधान मंत्री का वक्तव्य।

दो दस्तावेजों को तो सब मानते हैं। मेरा अभिप्राय है सरकार मानती है वे हैं एक स्मरणपत्र तथा दूसरा प्रधान मंत्री का वक्तव्य। यह ठीक है कि एक व्यक्ति कि जिस पर आरोप लगाये गये हों अवश्य ही दोषी नहीं हो सकता। हमें तथ्यों को देखना होगा। इस दृष्टिकोण से देखने पर राष्ट्रपति को दिये गये स्मरण पत्र के अनुसार इन नेताओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से दोषी होने की बात मालूम होती है। फिर उपसमिति की रिपोर्ट और प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार का संरक्षण हो रहा है। इन से सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तर लाने की बात नहीं झलकती।

मैं ने सरकार के विरुद्ध कही जाने वाली बातों की सूची तैयार की है और मैं सदन के समक्ष उसे पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उड़ीसा में भारत की जनता के नाम पर श्री बीरेन मित्र तथा श्री बीजू पटनायक ने निरन्तर अपने पद और शक्ति का अनुचित प्रयोग किया। उन्होंने भ्रष्ट साधनों से विशाल धन राशि एकत्रित कर ली। श्री बीजू पटनायक और श्री बीरेन मित्र ने तमाम परम्पराओं, नियमों तथा प्रक्रियाओं को पद्दलित किया।

लोगों से अनुचित मुलाकातें कीं, ठेके दिये और कई तरह की अनुचित खरीदो-फरोखत भी की ।

हमारा आरोप गृह-कार्य मंत्रालय श्री गुलज़ारी लाल नन्दा के विरुद्ध भी है, उन्होंने अपना कर्त्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभाया । और उस दिशा में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं :—

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो जांच की उसे गृह कार्य मंत्री ने जानबूझ कर सदन और मंत्रिमंडल से छिपाये रखा, और उसे गोपनीय दस्तावेज का नाम दे दिया ।

(ख) कई एक बहानों से उन्होंने उपरोक्त मामलों की रिपोर्ट सदन तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों से छिपा रखी जिसे कि मंत्रिमंडल की उपसमिति ने प्रस्तुत किया था । उसे भी उन्होंने एक गोपनीय दस्तावेज का नाम दिया ।

(ग) इस उपरोक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के मामले में उन्होंने सदन और जनता को गुमराह किया कि यह कोई जांच नहीं केवल कुछ तथ्यों का संकलन किया गया है ।

(घ) उन्होंने कुछ गैर-सरकारी लोगों को भी कई दस्तावेजें दिखाई जो कि अन्यथा गोपनीय थीं । वे लोग हैं श्री बीजू पटनायक तथा बीरेन मित्र । कांग्रेस दल के संसदीय बोर्ड को भी ये दस्तावेज दिखाये गये । कांग्रेस उच्च कमान को भी दिखाया गया । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के "सिंडिकेट" को भी इन दस्तावेजों को दिखाया गया । इसी तरह मंत्रिमंडल ने भी कई एक ऐसी बातें की हैं जिन्हें प्रशासन की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।

प्रधान मंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर सका । उन्होंने देश के हित की उपेक्षा कर दल के हितों को आगे बढ़ाया ।

उड़ीसा कांड के बारे में सार्वजनिक जांच की मांग की गई है । मैं यह बताना चाहता हूं कि राम कृष्ण दालमिया बनाम टन्डोलकर मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जांच आयोग केवल तथ्यों का पता लगाने वाला एक निकाय होता है जो कि कुछ मामलों के बारे में सरकार को वास्तविक स्थिति के बारे में सूचित करता है । इसके निष्कर्षों को किसी व्यवहार अथवा दाण्डिक कार्यवाही का आधार नहीं बनाया जाता ।

मेरा यह भी निवेदन है कि मंत्रिमंडल की उपसमिति ने केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को आधार नहीं माना प्रत्युत उड़ीसा के सारे मामले की पूरी पूरी जांच की और सार्वजनिक नैतिकता का सर्वोच्च स्तर बनाये रखने का निर्णय किया । इसी आधार पर श्री पटनायक और मित्रा के, कहा गया कि वे अपने पदों से त्याग पत्र दे दें । कैरों के मामले में भी लगभग ऐसे ही हुआ है । उन्हें भी जांच आयोग के निर्णय के आधार पर ही अपने मुख्य मंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था । मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि इस देश के विरोधी पक्ष ने स्थापित राजनीतिक सत्ता में अविश्वास का वातावरण निर्माण करने का कार्य अपने जिम्मे ले लिया है । शायद उनका विचार यह है कि इस नकारात्मक आदर्श पर उनका आदर्श कायम रहे । परन्तु इसे लोकतंत्रीय पद्धति नहीं कहा जायेगा ।

[श्री नारायण दांडेकर]

मेरे विचार में जांच के काम का आधार राजनीतिक से कहीं अधिक नैतिक है और इसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।

**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : पंजाब में जांच करवाने तथा जांच आयोग की स्थापना करने का जो परिणाम हुआ है, वह प्रायः सब के सामने है । मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को समझें और इसका अध्ययन करें। जहां तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रश्न है, मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं, परन्तु हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस एक स्वयं विनियमन करने वाला दल है । ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि लोक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमने अपने साथियों और सहयोगियों को दंड देने का साहस किया है । और ऐसा कर के हमने देश में लोकतंत्र के लिए अच्छी परम्परा स्थापित की है । परन्तु मैं यह बात कहने का साहस कर सकता हूं कि हमारे विरोधी दलों के पास एक भी उदाहरण नहीं है जहां उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से किसी सदस्य को त्याग-पत्र ही देने को कहा हो अथवा कोई अन्य दंड दिया हो । यदि कांग्रेस दल ने यह साहस दिखाया है तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए ।

उड़ीसा के मामले का जहां तक सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में एक कानूनी आयोग की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी । जांच का उद्देश्य पूरा हो गया है । इस मामले में मेरा मत यह है कि भारत सरकार ने आयोग की औपचारिक व्यवस्था तथा उस पर जो व्यय होने वाला था, उसे बचा दिया है । सारी प्रक्रिया भी सरल बना दी गयी है । इस दिशा में उल्लेखनीय बात यह है कि मंत्रिमंडल की उपसमिति ने उड़ीसा के मामले पर प्रधान मंत्री को परामर्श दिया था । उसके आधार पर ही कुछ कार्यवाही की गयी है । वैसे इस सभा को यह अधिकार है कि वह प्रधान मंत्री को अब भी कोई कार्यवाही करने के लिए कह सकती है । मेरा आग्रह यह है कि यह कार्यवाही अवश्य ही बिना पक्षपात के होनी चाहिए । महसूस यह होता है कि राजनीतिक झगड़ों के कारण विरोधी दलों ने भारत सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाते समय काफी सक्रिय भाग लिया । उन्होंने अपने कुछ साथियों का पक्ष लिया, क्योंकि वे सब उसी दल से सम्बन्धित थे । यह ठीक दृष्टिकोण नहीं था । आलोचना करना बुरा नहीं, पर मेरा निवेदन यह है कि अविवेकहीन आलोचना नहीं की जानी चाहिए । आलोचना करते समय प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष विवेक की भावना रहनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो ।

एक अन्य बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए । वह यह कि राजनीतिक नेताओं को दंड देने के मामले में हम एक सीमा तक ही जा सकते हैं । यह बड़े महत्व की बात है तथा इस दिशा में सचेत रहने की आवश्यकता है । हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम उचित से अधिक कठोर बनेंगे तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जायगी । मैं यह भी कह सकता हूं कि गृह कार्य मंत्री पर छोटे मुंह वाली भट्टी के मामले में जो आरोप लगाये गये हैं वे सभी आधारहीन हैं ।

डा० लोहिया ने सरकार पर बड़ा भीषण आरोप लगाया है । उन्होंने यह शपथ ली है कि वह अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे । मेरा मत यह है कि यदि हमने अंग्रेजी का परित्याग कर दिया तो देश एक दो में नहीं प्रत्युत 14 अथवा 15 राज्यों में विभाजित हो जायेगा ।

वह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस दिशा में कदम उठायें, परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता । में श्री लोहिया को यह भी बताना चाहता हूं कि जिस समाजवाद का वह प्रचार करते हैं वह भी अंग्रेजी पुस्तकों में से ही निकला हुआ है । श्री जवाहरलाल जी ने देश को जो इस दिशा में आश्वासन दिया था, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । दुनिया की ताजी हवा भारत तक पहुंचती रहे इसके लिये अंग्रेजी जरूरी है । अंग्रेजी को देश निकाला देने का प्रस्ताव अनुचित है । मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बननी चाहिए, वह बननी चाहिए और जब तक यह भाषा प्रबल नहीं बना ली जाती, अंग्रेजी रहनी चाहिए । हमें इसी पृष्ठभूमि में ही सारे मामले पर विचार करना चाहिये । हमें देश की एकता को तबाह करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेनी चाहिए ।

**Shri Maurya** (Aligarh) : This debate on the Confidential Report is a very serious matter. There are two reasons for its being very serious. Firstly if it is confidential then how it reached the Western Court. And if it was not a Confidential Report, why it was concealed from the general public, which is against the spirit of democracy. I am of the opinion that the CBI Report on Orissa affairs have nothing confidential in it. It has nothing to do with the Defence of the Country. Government should not have kept it as a confidential document. Such like cases should not be suppressed, as they encourage corruption. The disease about which Shri Nanda knows better than anybody.

We find that lawlessness is increasing very rapidly in the country. In our country big people are killed in the broad day light, as it is clear from the murder of Shri Partap Singh Kairon and his three comrades. We say that the rule of law has been established but what we actually see is the negation of democracy everywhere. Undue use of D.I.R. is being openly done. How strange it is that low class employees are given very severe punishments while the Ministers and big officials go scot free. Emergency measures have been misused by the party in power.

It is stated that leftists are anti-national, and they are also allowed to fight the elections. When they win the elections, they are refused of their right to take part in the ordinary day to day parliamentary activities. They are not allowed to take part in the meetings of the State legislative assembly. I say if Government have sufficient information that these leftists are Chinese agents, then they should be declared as unlawful organization. Their activities should be banned. There are complaints that during the bye-elections the party in power misused the Government Machinery.

I may also state that the condition of the Schedule Caste people who are crores in number is very pitiable. Their economic life is very deplorable. They are being exploited everywhere. I am of the opinion that until and unless Government pay adequate attention and take strong measure to improve their conditions, we cannot expect any revolutionary reform in the country. I urge upon the Government to take strong and definite measure to eradicate inequality, lawlessness and starvation from the country completely.

I may also urge that Judicial inquiry against all those who are connected with corruption matters in the Orissa affairs including the former Chief Minister of the State. If Congress men desire that there should be healthy democracy in the country then they should rise above the party consideration and try to end the present stalemate.

**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अवसरों की परम्परा के अनुसार अविश्वास के प्रस्तावक महोदय ने हमारे तथाकथित दोषों, त्रुटियों और भूलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, प्रायः कहा जाता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों तथा सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देने की दोषी है । यह भी कहा जाता है कि दल के स्वार्थ को देश से अधिक महत्व दिया जाता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि इन अभियोगों के दोषी विरोधी दल हैं ।

जब कभी किसी सत्ताधारी व्यक्ति के विरुद्ध दोषारोपण किया जाता है, हम उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हैं और प्रजातंत्र के अनकूल उचित दंड देते हैं। ये सब दोषारोपण विरोधी दल के सदस्य चुनावों में पराजित होने, प्रगति में बाधा डालने और हतोत्साह होने के कारण करते हैं। विशेषतः विरोधी दलों ने उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में अभियोग लगाये हैं । यदि दूसरा कोई दल सत्तारूढ़ होता तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही को राज्य के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप तथा अवैधानिक घोषित करती । यदि कांग्रेस चाहती तो वह इस स्थिति से अवश्य दूसरा मार्ग अपना कर दलगत लाभ उठा सकती थी । किन्तु, श्रीमान्, सरकार ने ऐसा न कर के केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग की सहायता से यथासम्भव तथ्यों को जानने का प्रयास किया । इस प्रकार उनके आधार पर मंत्रिमंडल की उपसमिति ने साक्षी पत्रों की पड़ताल की और दो निष्कर्षों पर पहुंची—प्रथम यह कि कुछ प्रशासनिक कार्यों में औचित्य नहीं था। दूसरा यह कि पड़ताल के आधार पर—पद अथवा सत्ता का जानबूझकर दुरूपयोग नहीं किया गया है । इसलिए जांच आयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम पर यह भी आरोप लगाया गया कि इस मामले में डेनिंग आदर्श के आधार पर आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? किन्तु इस तथ्य को विस्तृत कर दिया जाता है कि श्री प्रोफ्यूमो काण्ड काफी साधारण था। उस काण्ड में प्रश्न केवल यह था कि श्री प्रोफ्यूमो सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं अथवा उन्होंने सदन को गलत सूचना दी है । किन्तु यहां पर समस्या भिन्न प्रकार की है, इस काण्ड में व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य के धन तथा सत्ता का दुरुपयोग किया जाना है और राज्य के कोष का धन अनियमित और अनुचित रूप से किसी विशेष औद्योगिक कारखाने या कारखानों को दिया जाना है जिनसे मंत्रिमंडल के सदस्यों का सम्बन्ध था।

प्रत्येक संसद् सदस्य यह भलीभांति जानता है कि राज्यों के विधान मण्डलों और लोक-लेखा समिति का राज्य के व्यय पर पूरा नियंत्रण है, इसलिए सरकार ने जांच आयोग नियक्त करने का निर्णय नहीं लिया । इसलिए नहीं कि सरकार वास्तविकता से भयभीत थी और तथ्यों को दबाना चाहती थी । राज्य सरकार के लेखे व्यौरे राज्य विधान मंडलों तथा लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

अतएव मैं विरोधियों को कर्तव्य च्युत होने का दोषी ठहराता हूं । श्री पटनायक को जब इन निरन्तर लगाये गये आरोपों के बारे में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने विरोधी दल के नेता, जो जापान के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता हैं, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को इन अभियोगों की जांच करने का सुझाव दिया । विरोधी दल के नेता, जिन्हें प्रजातंत्र का पुजारी कहा जाता है, पहिले तो जांच करने के लिए सहमत हो गये किन्तु बाद में अस्वीकार कर दिया, इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों से विमुक हो गये जिससे कि उनकी कर्तव्यपरायणता तथा विरोधी दल के नेता होने का श्रेय नहीं बढ़ा ।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

श्रीमान तथ्यों के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को उड़ीसा के महालेखापाल तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा किये बिना जांच आरम्भ कर देनी चाहिये किन्तु राज्य विधान मंडलों के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है, इसी कारण जांच आयोग की आवश्यकता नही थी ।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल यह कहा कि कांग्रेस संविधान तथा प्रजातंत्र का उपहास कर रही है, उनका यह कहने का कारण स्पष्ट है कि उनके लिए एकाधिकार को समाप्त करने का केवल एक मार्ग यह है कि सभी उद्योगों तथा उनके उत्पादन के साधन पर राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया जाये, यही नहीं बल्कि राज्य का एकाधिकार भी साम्यवादी दल का हो, साम्यवादियों के बारे में एक बात यह कही जाती है कि उन्हें अनावश्यक ही सन्देह के आधार पर बन्दी बनाया गया है। इस सदन में उनके बारे में पूर्ण वाद विवाद हो चुका है और गृह कार्य मंत्री महोदय ने उनके बारे में सभी तथ्यों को सभा के समक्ष रख दिया था, किन्तु वामपन्थी साम्यवादियों के नेता ने इनमें से एक का भी खण्डन नहीं किया श्रीमानजी यह प्रमाणित हो गया कि उनके विभिन्न सम्मेलनों में माउ से तुंग की मूर्तियां पूजी गईं और उनकी सहानुभूति चीन के साथ है । प्रजातंत्र में वाक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि उसका प्रयोग प्रजातंत्र को ही नष्ट करने के लिए किया जाये ।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि यदि हम विरोधी प्रस्ताव को स्वीकार करें और राज्य विधान मंडलों के अधिकारों का सम्मान न करें तथा उनकी स्वतंत्रता को कम कर दें तो हम प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाओं के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा के कर्तव्य से विमुख हो जायेंगे और विरोधी जो कार्य लगातार चुनाव प्रचार द्वारा न कर सके वे अब इस प्रकार अपने कानाफूसी आन्दोलन का सहारा लेकर अपनी अभिष्ट स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, मेरा सभा से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करे ।

**श्री सेझियान** (पेरम्बलूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जी के इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । कांग्रेस का सदन में भारी बहुमत है, अतः यह भी स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया जावेगा तथापि किसी भी प्रजातंत्रीय सरकार को अपने बहुमत पर नहीं अपितु अपने नैतिक बल पर अधिक भरोसा करना चाहिये । सरकार को केवल इस सदन का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश की जनता का विश्सवास प्राप्त होना चाहिए ।

प्रजातंत्र की सफलता उसके विधान मण्डलों, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्भर रहती है, इन तीनों एककों का प्रभावशाली ढंग से एवं समन्वय से काम करना आवश्यक है, दुर्भाग्यवश हमारे देश में विधान मंडलों में विश्वास नहीं किया जाता है; न्यायपालिका को उचित रूप से कार्य नहीं करने दिया जाता है और कार्यपालिका के तथ्यों को छिपाया जाता है ।

हमें सरकार के प्रति यह आपत्ति है कि सरकार का कोई निर्देश नही होता है, वह किसी बात पर दृढ़ नही रहती है, वह किसी बात को स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखती है और स्थिति के विषय में सही सही ज्ञान भी नही रखती है । सरकार का किसी समस्या पर दृष्टिकोण स्पष्ट तथा परिपक्व नहीं होता है जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार वास्तविक स्थिति को सुलझाने अथवा उसके बारे में कोई दृढ़ निश्चय न लेने में असमर्थ है । सरकार वास्तविक स्थिति पर

प्रकाश न डाल कर, तथ्यों को छिपाती है और उन्हें स्पष्ट तथा रहस्यमय ढंग से दूसरे ही रूप में सामने रखती है जिससे सरकार की कमजोरी भी जाहिर होती है । उदाहरणार्थ केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन को जो श्री कामत ने सभा पटल पर रखा है, देखिये, सरकारी प्रवक्ता महोदय यह तर्क दे रहे थे कि 'इनक्वाइरी' और 'इनवेस्टीगेशन' में बहुत अन्तर है। मैं नहीं जानता कि आम आदमी को इस प्रकार की व्याख्या से कोई मतलब होता है । मुझे माननीय एवं विद्वान श्री छागला जी की बातों से सहमत न हो कर यह कहना है कि केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन में, जो पुस्तकालय में उपलब्ध है, पृष्ठ 3 में, शीर्षक 6(क) के अन्तर्गत सब-पैरा 2 में यह कहा गया है :

"आगे जांच करने से पता चला है कि श्री पटनायक के मुख्य मंत्री बनने से पूर्व एक करार किया गया था, जो अब तक चल रहा है कि इस मामले में टिकट शुल्क राज्य वहन करेगा।"

परन्तु सरकार ने न ही अब तक इसको स्वीकार किया है और न इसको अस्वीकार किया है । सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अग्रेतर छानबीन करने से कोई और बातों का पता लगा है । यदि यह रिपोर्ट सही है तो जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा वे "इन्क्वायरी" तथा "इन्वेस्टीगेशन" में जो अन्तर है उसे पूरी तरह जानते हैं । इस सारे मामले की जांच सरकार के एक विभाग द्वारा की गई है जिसको सेंट्रल ब्योरो आफ इन्वेस्टीगेशन कहते हैं । यह मालूम नहीं कि यहां इस शब्द इन्वेस्टीगेशन का उस प्रसंग में क्या अर्थ है ।

गृह-कार्यमंत्री ने यह शपथ ली है कि वे दो वर्ष के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। यह मालूम नहीं कि वह उस अवधि में ऐसा कर भी सकेंगे । सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयत्न कर रही है परन्तु भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कोई कायवाही नहीं कर रही है। सन्थानम समिति ने भी यही निर्णय दिया है कि यदि हम जनता के विश्वास को जीतना चाहते हैं तो सार्वजनिक जीवन में उच्च स्थान रखने वालों के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में हम ऐसा ढंग नहीं अपना रहे हैं जैसा कि अपनाना चाहिये। इस पहलू के बारे में सरकार की कमजोरी से ऐसा महसूस होता है कि जहां सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध है वहां वे उन व्यक्तियों के, जिनको अपेक्षित शक्ति, प्रभाव तथा सुरक्षा प्राप्त है, विरुद्ध नहीं है। स्पष्ट है सरकार ऐसी नीति अपना रही है जिससे भ्रष्ट लोगों पर कोई आंच नहीं आ सकती।

संसद ने 14 नवम्बर, 1962 को चीनी आक्रमणकारियों को भगाने के लिये निष्ठापूर्वक शपथ ली थी, चाहे संघर्ष कितना लम्बा और कठिन क्यों न हो । सभी लोगों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया और इसका स्वागत किया। परन्तु सरकार ने उस विश्वास को, जो लोगों ने सरकार में दिखाया था खो दिया है। यही नहीं उस समय भारत की सुरक्षा के लिये जो सरकार को भारत प्रतिरक्षा नियमों के रूप में अधिकार दिये और आक्रमणकारियों का मुकाबिला करने के लिये जिन युद्धोपकरणों के लिये स्वीकृति दी, उन्हीं नियमों तथा युद्धोपकरणों का दुरुपयोग किया जा रहा है देश उनका प्रयोग देश की सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि स्वयं कांग्रेस दल की सुरक्षा के लिये किया जा रहा है। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो सरकार उनके विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाती। मद्रास विधान मंडल में प्रतिपक्ष के उप-नेता श्री करुणा निधि को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया है। यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया था जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा था तो सरकार उसके

[ श्री सेझियान ]

विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाती है। आपात-काल को भी कांग्रेस की रक्षा के लिये बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर सेना को सीमाओं पर आक्रमणकारियों का मुकाबिला करने के लिये न भेजकर तामिलनाड के छोटे छोटे ग्रामों में लोगों पर अत्याचार करने के लिये भेजा जा रहा है।

यदि सरकार ने भाषा के प्रश्न पर अपनी स्थिति को पहले स्पष्ट कर दिया होता तो जो कुछ वहां पर हुआ है यह न होता। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री का यह कहना गलत है कि हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में लागू करने के बारे में सरकार ने 26 जनवरी को और इससे पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे पास ऐसे ज्ञापनों तथा परिपत्रों की प्रतियां हैं जो अक्तूबर, 1964 से अब तक जारी किये गये हैं। गृह-कार्य मंत्रालय ने अक्तूबर, 1964 को अन्य मंत्रालयों से हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में पूछा था क्योंकि 26 जनवरी, जिस दिन हिन्दी ने सरकारी भाषा बनना था निकट आ रहा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य परिपत्र देखने को मिले हैं। दक्षिण रेलवे के एक परिपत्र में यह कहा गया कि हिन्दी सीखना एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। यह सब कुछ किया गया था। मैं प्रधान मंत्री के उन वक्तव्यों का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों को पुनः दुहराया है। अच्छा होगा यदि इन आश्वासनों को वैधानिक रूप दिया जाय। दक्षिण में हुए आन्दोलन में की गई हिंसात्मक घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह जो हिंसात्मक कार्य वहां किये गये हैं उनके लिये आन्दोलन चलाने वाले ज़िम्मेदार हैं अथवा स्वयं सरकार।

**Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri)** : Lot of heat has been generated during this debate. People from both the sides want to stress that what they say is correct and final. But we must look into this question dispassionately.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

(MR. SPEAKER *in the Chair*

As for the question of Shri Patnayak or Shri Mitra is concerned, the President received certain complaints. He referred those complaints to the Government. In order to see whether there is some *prima facie* case or not I referred the matter to a Cabinet sub-Committee which comprised some Senior ministers.

The CBI report was also placed before the Committee. A questionnaire of about 100 questions was sent to Shri Mitra and Patnayak. After receiving the replies, the Committee again questioned them on all those points which they considered that those points were not replied in a satisfactory manner. They sent documents to the sub-committee in support of their statements.

Although I am not a lawyer, yet I know that CBI report is not final. They have to take the case to a court of law where the decision may be in their favour or against them.

According to the replies received to the questionnaire and the documents received, the Committee arrived at the conclusion that certain improprieties were committed. But as far as the question of money is concerned, according to the sub-committee the case is not proved. When I received the report, and on seeing that improprieties have been proved, I asked Shri Mitra and Patnayak to resign.

The hon. Members may be remembering that when I took charge of this new responsibility, I had assured the House that whenever there would be any complaint against a minister. I will first of all see whether there is a *prima facie* case against him or not . If the *prima facie* case is there, I will ask him either to resign or face an enquiry Commission. And so long as the enquiry commission is sitting they cannot continue in their post of Minister or Chief minister. If the Commission of enquiry acquits them, then they can again occupy their post. This is the policy which I have followed.

When I received the information about improprieties, I informed Shri Mitra and Shri Patnayak about the findings of the Cabinet Sub-Committee and told them that I leave the decision to their own sense of duty and responsibility. I want to give this credit to them that both of them resigned from their respective posts. Now there has been some talk of misappropriation or other improprieties from the other side. I want to inform them that the Comptroller and Auditor General is looking into all these things. His enquiry will be thorough and final and then on its basis they can be proceeded against in a court of law

I cannot understand this demand for setting up of a Commission of enquiry. If the findings of the enquiry of Commission are against them, then also we can ask them to resign. As far as prosecution is concerned, it is not for the Central Government to do. But we have already asked them to resign. We have saved lot of time. Therefore, I cannot understand this demand for Commission of enquiry.

I said something about taking decision at political level; I did not mean by that that if there is any charge of misappropriation against me or my colleagues, there should not be any prosecution. What I meant was that that the action should be taken by me or the Government here so that we can ask him to resign. There has been a Profumoe case in England recently where Defence secrets were involved, but was only asked to resign.

The first thing I want to submit is that to hold enquiry against a Chief Minister, who has the full support of the party, is not a small thing. Anyhow, we held the enquiry against the Chief minister and then asked him to resign. But you consider it an ordinary thing. It is not possible for me to do witch-hunting, but I will do full justice. I think I have done my duty and I have not shown any weakness anywhere. It is wrong to say that we have been cowed down by some pressure.

It is correct that the Home Minister said that there was lot of mismanagement and action was called for . But he said this when no enquiry had been conducted. Therefore, I think that whatever Government have done is perfectly correct and no more action is called for.

Other political parties have also been in power and there have been charges of corruption against their minister. But no action has ever been taken by those political parties. Therefore, to say, that we are all honest and others are dishonest is not appropriate. We are all human beings and suffer from certain weaknesses. We must, therefore, try to build an atmosphere, for which purpose we have evolved a code of conduct.

As for our responsibility, for being in power, is concerned, we do not want to escape from that responsibility. It is being said that there is indecision and drift in our policy. I want to know where is the drift? Our basic policies are quite clear, it may be non-alignment, it may be peaceful co-existence or disarmament. We are trying to maintain good relations with all those countries who are not our enemies. We have not lost the friendship of a single country during this period. It may be U.S.A. or U.S.S.R., they have assured of their continued friendship with us.

As far as our economic policy or food policy is concerned, we are following the policies which we had formulated. We want to keep the food zones, because we want to build buffer stocks . It can only be done with the help of surplus states. After we have buffer stocks we can review our policy. Due to our policy, the prices of foodgrains are coming down and with it the prices of other commodities will also fall. We have not presented a deficit budget this time and we have tried that it should have a healthy effect on our policy. We want to help the weaker section of the society. In the end I would say that this Government is working resolutely and will work resolutely.

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय कल कुछ दस्तावेजों के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था जिनका उल्लेख श्री द्विवेदी ने किया था । इस विषय पर आपके पहले के निर्णय की दृष्टि से मैंने आप से निवेदन किया था कि आप उन्हें कहें कि वह उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखें । आपने तब इस विषय पर विचार करने के लिये कहा था । मुझे आशा है कि आपने इस मामले पर विचार कर लिया होगा । अत: अब आप हमें बतायें कि क्या आपने उन नये दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री द्विवेदी ने उन दस्तावेजों से उद्धृत किया है । न मैंने उसमें से उद्धरण करने से उसे रोका है और न ही किसी और अन्य व्यक्ति को। मेरा आशय यह था कि मैं इस पर विचार करूंगा और आवश्यकता हुई तो मैं ऐसा करने की अनुमति दे दूंगा । अब और किसी सदस्य ने उद्धरण उसमें से नहीं किया ....

**श्री नाथ पाई** : श्री दांडेकर ने भी उसमें से उद्धरण किया था । आप उस समय नहीं थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : तब उसने ठीक ही किया है ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas): Mr. Speaker, Sir, yesterday Shri U.M. Trivedi the leader of Jan Sangh referred to a Memorandum in which certain charges have been levelled against the Chief Minister of Bihar and he promised to place it on the Table of the House, I want to place it on the Table of the House..... .

**Mr. Speaker :** Order, Order. The hon. Member should resume his seat.

I have already called Shri Surendranath Dwivedi for making a reply.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं आग्रह करता हूं कि मुझे आप उन तीन दस्तावजों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दें। इन दस्तावज़ों से यह सिद्ध हो जायेगा कि जो कुछ विधि मंत्री ने कहा है वह सही नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : : आप उन दस्तावजों से जितना चाहे उद्धरण कर सकते हैं।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं नहीं जानता कि आप उसे उन दस्तावज़ों को सभा पटल पर रखने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : उसे उसमें से उद्धरण करने और वक्तव्य देने दीजिये।

**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : इस ओर से उस रिपोर्ट में से किसी ने उद्धरण नहीं किया है। वे उसमें से उद्धरण करने तथा उसको सभा पटल पर रखने का प्रयत्न सरकार को नीचा दिखाने के लिये कर रहे हैं। हम उनके इस प्रयत्न का विरोध करते हैं।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मुझे आशा थी कि इस वाद-विवाद से अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये कुछ नियम और सिद्धांत बना सकेंगे, परन्तु श्री खाडिलकर ने कीचड़ उछालने केहेतु इस वाद-विवाद में कुछ अपमानजनक ढंग अपनाये जिस से इस वाद-विवाद के पीछे पवित्र भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने जो मेरे विरुद्ध एक द्वेषपूर्ण आरोप लाया है उसका मैं खण्डन करना चाहता हूं। इस निन्दात्मक आरोप की शुरूआत तब से हुई जब श्री बी० पटनायक ने एक प्रेस सम्मेलन में इस प्रकार कहा था :—

> "मैं जानता हूं कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने स्वयं मेरे से समय समय पर काफी राशि ली है अपने वैयक्तिक कार्यों के लिये अपनी बीमारी के लिये।"

यदि मैं ने अपनी बीमारी के लिये वह राशि ली भी थी तो उसमें अनुचित बात ही क्या थी, परन्तु यह ऐसा नहीं था, मैंने व्यक्तिगत रूप में कोई राशि नहीं ली। क्योंकि जो कुछ भी मैंने उससे लिया था वह सब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लेख में दर्ज हैं। अपने दलों के लिये दान तो सभी लेते हैं। अतः यदि ऐसा मैंने किया तो इसमें बुराई क्या है। हां यदि उच्चतर नैतिक दृष्टि से इस मामले को देखा जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा करना मेरे लिये उचित नहीं था चूंकि वह राशि एक कांग्रेसी द्वारा दो कांग्रेसियों को चुनाव में हराने के लिये ी गई थी जोकि एक अनैतिक कार्य था, और इस दृष्टि से मेरे लिये ऐसा करना अनुचित था। परन्तु जब इस आरोप का इस सभा में पहले ही खण्डन कर दिया गया था तो इसको पुनः उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मैंने अपने प्रस्ताव के अन्त में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये थे परन्तु प्रधान मंत्री ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस प्रस्ताव को केवल श्री बीजू पटनायक और श्री बीरेन मित्र के विरुद्ध ही एक प्रस्ताव के रूप में लिया। पर-तु यह सही नहीं है क्योंकि मैंने इस मामले को व्यक्तिगत रूप में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब श्री बीजू पटनायक तथा श्री बीरेन मत्रने पद-त्याग किया है तो जांच आयोग की नियुक्ति किस लिय की जाय। परन्तु यह केवल

उन दो व्यक्तियों के पद-त्याग का ही प्रश्न नहीं है। यदि सार्वजनिक जीवन में उच्च स्थिति के व्यक्ति ऐसी अनियमितताएं करें और लोक-धन के करोड़ों रुपयों का इस प्रकार अपव्यय करें तो केवल पद-त्याग करना ही क्यों कर पर्याप्त हो सकता है। यह तो स्वीकार किया गया है कि इससे उड़ीसा राजकोष को हानि हुई है परन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि जब राजकोष को हानि हुई है तो उसका किसी व्यक्ति को लाभ भी तो हुआ होगा। अतः यह प्रश्न केवल दो व्यक्तियों का न होकर सारे राज्य के कार्य करण में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री तथा उपमुख्य मंत्री श्री सदाशिव त्रिपाठी तथा श्री नीलमणि राउत्रे के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा यद्यपि इन दोनों के विरुद्ध भी इतने ही गम्भीर आरोप लगाये गये थे जितने कि श्री पटनायक और श्री मित्र के विरुद्ध। हमने कुल 58 आरोप लगाये थे परन्तु जैसा कि रिपोर्टों से पता चलता है, केन्द्रीय जांच विभाग ने केवल 12 आरोपों की जांच की क्योंकि उन के पास अन्य आरोपों की जांच करने के लिये समय नहीं था। इन 12 आरोपों में से कुछ को उन्होंने भी गम्भीर बतलाया है और कहा है निश्चित और स्पष्ट निर्णय पर पहुंचने के लिये इनकी अग्रेतर जांच होनी चाहिये। मंत्रिमण्डल की उप-समिति को सौंपे गये इन दो मामलों के बारे में श्री चागला ने कहा कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री पटनायक ने जो कुछ किया है वह एक मुख्य मंत्री के लिये शोभनीय नहीं है। मंत्रि-मण्डल की उप-समिति को बहुत कम सामग्री सौंपी गई थी। यदि वह सब सामग्री उन के समक्ष प्रस्तुत की जाती तो निर्णय कुछ और ही होता। उन्होंने इस प्रश्न को केवल दो व्यक्तियों तक इसलिये सीमित रखा क्योंकि उन्हें पता था कि यदि यह सब कुछ लोगों के सामने रखा गया तो इससे कांग्रेस दल को बहुत हानि होगी। यदि सरकार लोकाचार का उच्च स्तर स्थापित करना चाहती है तो इस सारे मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिये जिससे लोगों को तथ्यों का पता लगे।

श्री चागला ने यह स्वीकार किया है कि यह केन्द्रीय जांच विभाग की सम्पति है अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस रिपोर्ट की प्रमाणिकता को मान लिया है। फिर भी वह कहते हैं कि इसको सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसने गोपनीयता की शपथ ली है। क्या उन्होंने सच को छुपाने की शपथ ली है? मंत्रि मंडल की उपसमिति ने इन सभी आरोपों को हास्यस्पद बताया है। यह तो मंत्रि मण्डल की उप-समिति ने भी स्वीकार किया है कि उन संस्थाओं ने जिन से उनकी पत्नियों का सम्पर्क था पर्याप्त लाभ उठाया है और कि यह कार्य एक मुख्य मंत्री के लिये शोभनीय नहीं है। कहा जाता है कि अब भी प्रधान मंत्री कहते हैं यद्यपि मंत्रिमंडल उप-समिति ने यहां लिखा नहीं है—कि उन्होंने बताया है कि श्री मित्र ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया। श्री चर्चिल का कहना था कोई पुरुष और उसकी पत्नी एक ही व्यक्ति समझे जाते हैं परन्तु मंत्रिमण्डल उप-समिति यह तर्क प्रस्तुत करना चाहती है कि वे दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। यह भी कहा जाता है कि यह एक पक्षीय रिपोर्ट है। मैं पूछता हूं कि क्या सी० बी० आई० की ऐसी ही एक पक्षीय रिपोर्टों के आधार पर हमारे अपने देश के सैंकड़ों नागरिकों को बन्दी नहीं बनाया गया। हम मानते हैं कि ठीक है यह पुलिस की रिपोर्ट है तो क्यों न हम पूरी जांच कराएं। यही तो हम चाहते हैं। यदि मंत्री उनकी अपनी ही पुलिस के बारे में इसी प्रकार गैर जिम्मेदारी वाले वक्तव्य देते रहे तो भविष्य में प्रशासन को इनसे बहुत क्षति पहुंचेगी क्योंकि पुलिस यह कार्य करके देश प्रेम का कार्य करती है। मैं प्रधान मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल

उप-समिति ने अपना निर्णय भी एकपक्षीय आधार पर लिया है ? प्रधान मंत्री जी ने भी यहां कहा था कि उन्होंने श्री पटनायक, मुख्य सचिव को सुना है और उन्होंने सरकारी रिकार्ड भी मांगे हैं। यह सभी दस्तावेज़ सभा पटल पर रखे जाने चाहिये ताकि जनता को पता लग सके। क्या हमारी मांग उचित नहीं है। हम अभ्यावेदक चाहते थे कि हमारी बात भी सुनी जाए ताकि हम और गवाहियां प्रस्तुत कर सकें परन्तु हमसे पूछा तक नहीं गया। न्याय के बारे में न्यायाधीश सु० रं० दास ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया गया है कि न केवल न्याय हो परन्तु ऐसा भी आवश्य लगे कि न्याय हुआ है। परन्तु क्या सरकार कह सकती है कि उनका निर्णय बिना संदेह स्वीकार किया जा सकता है ? में श्री अ० कु० सेन द्वारा उठायी गई कुछ बातों का वर्णन करूंगा। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा एजेंट्स के लाभ कमाने के प्रश्न को लीजिये। टेण्डर खोलने से तीन दिन पूर्व कलकत्ता में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और यह बात उन्होंने स्वीकार की थी। तथ्य क्या हैं ? उनका कहना है कि कोई हानि नहीं हुई और यह कि यह सबसे कम खर्चे वाला टेण्डर था। परन्तु मैं कहता हूं कि यह सच नहीं है क्योंकि तथ्य हमारे समक्ष है उन टण्डरों थे से 29 के साथ रक्षित राशि जमा नहीं की गई, इसलिये उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यदि सर्व श्री अमीचन्द, प्यारे लाल का टेण्डर स्वीकृत हो जाता तो सरकार को 4 लाख रुपये की बचत होती। परन्तु उनका टेण्डर अस्वीकृत हुआ क्योंकि उन्होंने रक्षित राशि नहीं भेजी थी हालांकि यह फर्म एक सुस्थापित फर्म थी। यद्यपि टेण्डर 'ए' श्रेणी के माल के मांगे गये थे और कुछ फर्मों के टेण्डर इस श्रेणी के आए भी थे परन्तु उड़ीसा एजेंट्स ने अपना टेण्डर "बी" श्रेणी के लिए भेजा जिसे स्वीकार करने का कारण भी अद्भुत है। लिखा है कि "क्योंकि 6" गोलाई की 'जी-आई' नालियां 'बी' अथवा इससे ऊपर की श्रेणी में बनती हैं इसलिये "बी" श्रेणी के लिए उनका दिया हुआ भाव विचाराधीन आया।" ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के पश्चात् अब उड़ीसा एजेन्ट्स का टेण्डर ही सब से अधिक उपयुक्त पाया गया और स्वीकार हुआ जब कि इनकी जमा हुई रक्षित राशि भी 1690 रु० कम थी। फिर लिखा है कि लगता है राज्य सरकार ने शेष धन वसूल करने की ओर ध्यान नहीं दिया। विशेष ध्यान रखने योग्य बात तो यह है कि सम्भरण तथा निपटारन-महानिदेशालय द्वारा घोषित मूल्य की उपेक्षा की गई। तब के यह मूल्य 9.14 रु० थे जबकि उड़ीसा एजेंट्स ने अपना मूल्य 15.25 रु० बताया था। कलिंग ट्यूब्स ने भी अपने मूल्य परिपत्र में अपने मूल्य 11.50 रु० बताये हैं। राज्य सरकार ने महानिदेशालय से मूल्यों के अनुसार उड़ीसा एजेट्स को 10 लाख रुपये का फालतू भुगतान किया। सर्वश्री अमीचन्द, प्यारेलाल के मूल्य के अनुसार 4.5 लाख और कलिंग-ट्यूब्स के मूल्य परिपत्र के अनुसार 7 लाख रुपये का फालतू भुगतान किया। यह एक उदाहरण है जहां श्री सेन ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। या तो यह तथ्य मंत्रिमंडल उपसमिति अथवा श्री सेन के समक्ष रखे ही नहीं गये या श्री नन्दा या गृह मंत्रालय में से किसी ने जान-बूझ कर इन्हें पेश नहीं किया। अन्यथा यह बात स्पष्ट है कि श्री मित्रा आदि ने अपने परिवारों के लाभार्थ जानबूझ कर ऐसी कार्यवाहियां की हैं।

अब मैं नीचे मुंह वाली भट्टी (लो शैक्ट फर्नेस) के मामले को लेता हूं आरोप यह है: "वारविल के स्थान पर कलिंग उद्योग द्वारा उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को (लो शैफ्ट फर्नेस का बिक्रय) आरोप यह है कि भट्टी घाटे पर चल रही है और लेखें में परिवर्तन कर के लाभ दिखाया जाता है।" यह भी आरोप है कि केवल 30 लाख रुपये की सम्पदा। 1 करोड़ रुपये के बदले में बिना उचित मूल्यांकन के ले ली गई और साथ ही इस निगम ने उसकी ठेकों के सभी उत्तरदायित्व भी अपने जिम्मे ले लिये। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के श्री कोहली

ने एक पत्र में कहा है कि वास्तविक शर्तों और प्रबन्ध की कार्यान्विति से लगता है कि उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम के हितों का नहीं परन्तु किसी और के हितों का विशेष ध्यान रखा गया।

मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिये। 5 तारीख को श्री नन्दा लिखते हैं कि, "और दस्तावेज एकत्र किये जाएं।" 6 तारीख को श्री पटनायक स्वयं एक हस्तलिखित पत्र ले कर उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि इस फर्म को 20 लाख रुपये का लाभ हुआ। किस आधार पर यह जानकारी दी गई? इस पत्र से पहले लो शैफ्ट फर्नेस के मूल्य अथवा लाभ-क्षमता का पृथक अनुमान अथवा महालेखापाल अथवा महा-लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-जांच नहीं करवाई गई—स्थिति ये है। श्री नन्दा 5 तारीख को और सामग्री के लिए कहते हैं, 6 को वे कहते हैं कि नहीं जानते उसका आधार क्या है, और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्री त्रि० ना० सिंह का कहना है कि क्योंकि उपाध्यक्ष ने आपत्ति नहीं उठायी, इसलिये इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका वर्णन पहले भी कर चुके हैं। अब उन्हें समाप्त करना चाहिये।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : पृ. सं. 51 में लिखा है .....

**श्री रंगा** : उन्हें इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने पहले ही बताया था कि जब चर्चा आरंभ नहीं हुई थी तो मैं देख रहा था कि कोई सदस्य कहेगा कि वह इस रिपोर्ट में से बोलना चाहता है तो मैं इसे पटल पर रखवाने की व्यवस्था कर सकता था तब तो किसी सदस्य ने यह इच्छा प्रकट नहीं की। परन्तु अब जब कि सारी चर्चा समाप्त होने को है तो मैंने श्री द्विवेदी को इसमें से बोलने की अनुमति दे दी है।

**श्री प्र० क० देव** : हम इस में से बजट की चर्चा में बोलना चाहते हैं।

**श्री नाथ पाई** : मेरा निवेदन यह है कि संक्षिप्त रूप में इसे आप के कहने पर पहले ही सभापटल पर रखा जा चुका है परन्तु इस समय मूल रिपोर्ट में से बोला जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आगे की चर्चाओं में जब कोई प्रार्थना हुई तो उसपर विचार किया जाएगा। श्री द्विवेदी अब समाप्त करने की चेष्ठा करें।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : अन्त में मुझे कहना है कि जैसा कृपलानी जी ने कहा था कि मंत्रिमण्डल उप-समिति उनकी जांच समय यह भूल गई कि उनका सम्बन्ध चालाक व्यक्तियों से है। उदाहरण के तौर पर 1946 में जब श्री हरे कृष्ण महताब उड़ीसा के मुख्य मंत्री थे तो श्री पटनायक राज्य विधान सभा के सदस्य थे को क्या यह सच नहीं है कि टेलीफोन डायरेक्टरी में भी पटनायक का नाम मुख्य मंत्री के संसदीय सचिव के रूप में छपा था बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपने आपको यहां प्रधान मंत्री का परामर्शदाता घोषित किया हुआ था।

श्रीमान् मैंने विशेष प्रश्न ही उठाये हैं जैसे कानूनी जांच की नियुक्ति और मंत्रालय को हटाया जाना और यदि श्री शास्त्री देश में सच ही एक व्यवहार स्तर स्थापित करना चाहते हैं और यदि भविष्य में इन सभी कठिनाइयों को दूर रखना है तो लोक सेवा आयोग अपना चुनाव आयोग जैसी किसी संस्था की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिये जो प्रशासन तथा लोक कार्यों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों को निबटाये। इस सुझाव के बारे में भी वह चुप र —पता नहीं क्यों। उन्होंने संथानम समिति की रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया है और इस सीधी साधी मांग को भी नहीं मान रहे हैं।

श्रीमान् वह मेरे प्रस्ताव को भले ही अस्वीकृत कर दें परन्तु सारा देश उनके कुकर्मों को देख रहा है चाहे वह उन्हें कितना ही छिपायें, सफेदी पोतें और यदि मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तो वह दिन भी और निकट आ रहा है जब जनता उन्हें गद्दी से उतार फेंकेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 44; विपक्ष में 315

Ayes 44; Noes. 315

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

The motion was negatived.

**इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 मार्च, 1965/28 फाल्गुन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 19, 1965/Phalguna 28, 1886 (Saka)

P.L.S. 48. XXXIX. 20-65 (N)
600

© 1965 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा क प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1965 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI.